विषय सूची

क्र. सं.	वर्ष/दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
		आमुख	
1.	10 जून, 1996	डॉ. नीलम संजीव रेड्डी तथा अन्य सदस्यों के बारे में निधन संबंधी उल्लेख	1
2.	11 और 12 जून, 1996	मंत्रिपरिषद् में विश्वास का प्रस्ताव	
		(i) मंत्रिपरिषद् में विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा, 11 जून, 1996	4
		(ii) मंत्रिपरिषद् में विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर, 12 जून, 1996	8
3.	10 और 12 जुलाई, 1996	जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में सांविधिक संकल्प	
		(i) जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करते हुए, 10 जुलाई, 1996	22
		(ii) जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के बारे में संकल्प पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए, 12 जुलाई, 1996	23
4.	15 जुलाई, 1996	पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में	29
5.	18 जुलाई, 1996	गन्ना किसानों के बकायों का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में	40
6.	23 जुलाई, 1996	जम्मू और कश्मीर में विकास कार्यों के बारे में वक्तव्य	44
7.	02 अगस्त, 1996	जम्मू और कश्मीर राज्य को ऋण राहत, केन्द्रीय योजना सहायता, विस्थापितों के शिविरों में सुविधाएं, आधारभूत ढांचे के विकास के बारे में वक्तव्य	47
8.	26 अगस्त, 1996	अमरनाथ यात्रा के बारे में वक्तव्य	52
9.	02 सितम्बर, 1996	श्री नाथू राम मिर्धा और श्री अशोक कुमार सेन के बारे में निधन संबंधी उल्लेख	60

क्र. सं.	वर्ष/दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
10.	26 नवम्बर, 1996	अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम के निरसन के संबंध में	62
11.	26 और 27 नवम्बर, 1996	आंध्र प्रदेश में चक्रवात के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के संबंध में चर्चा	
		(i) चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश में हुए नुकसान के बारे में चर्चा, 26 नवम्बर, 1996	64
		(ii) आंध्र प्रदेश हेतु राहत उपायों पर चर्चा, 27 नवम्बर, 1996	65
12.	29 नवम्बर, 1996	ओडिशा में सूखे की स्थिति के संबंध में चर्चा	74
13.	02 दिसम्बर, 1996	डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी के बारे में निधन संबंधी उल्लेख	84
14.	05 दिसम्बर, 1996	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के संबंध में प्रस्ताव	86
15.	12 दिसम्बर, 1996	बंगलादेश के साथ गंगा जल के बंटवारे पर हुई संधि पर हस्ताक्षर के संबंध में वक्तव्य	88
16.	20 दिसम्बर, 1996	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्मशती मनाने संबंधी सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य	91
17.	24 फरवरी, 1997	प्रक्षेपास्त्र परीक्षण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में वक्तव्य	
		(i) पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण	94
		(ii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	94
18.	25 फरवरी, 1997	बारीपाड़ा ओडिशा में हुए अग्निकांड के बारे में वक्तव्य	97
19.	04 मार्च, 1997	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	100
20.	11 अप्रैल, 1997	मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा	119

डॉ. नीलम संजीव रेड्डी तथा अन्य सदस्यों के बारे में निधन संबंधी उल्लेख

10 जून, 1996

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा में आपके द्वारा प्रस्तुत किए गये शोक संबंधी संकल्प से अपने आपको संबद्ध करते हुए आज डॉ. नीलम संजीव रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले प्रस्ताव से स्वयं को संबद्ध करना मेरा दु:खद कर्त्तव्य है।

डॉ. नीलम संजीव रेड्डी के निधन से देश ने एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, एक सुयोग्य प्रशासक, एक स्वच्छ छवि वाला राजनीतिज्ञ और एक वरिष्ठ देशभक्त खो दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के आह्वाहन पर उन्होंने उच्च शिक्षा सहित अपना सभी कुछ बलिदान कर दिया था और अपने प्रारंभिक युवा काल में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और कई वर्षों तक जेल में रहे। वे किसान परिवार से संबद्ध थे। अपने बलिदान, कठोर परिश्रम और गुणों के आधार पर, वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कई परियोजनाएं प्रारम्भ की जिनसे बाद में कृषि का चहुंमुखी विकास हुआ। वे केवल एक प्रगतिशील प्रशासक ही नहीं थे बल्कि एक असाधारण रूप से संवेदनशील राजनीतिज्ञ थे। वे एक राजनेता थे और सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्शों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध थे।

उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य करके देश की सेवा की। सर्वप्रथम वे मद्रास विधान सभा के सदस्य बने। तत्पश्चात् वे भारत की संविधान सभा के सदस्य बने। बाद में वे आंध्र प्रदेश के मंत्री तथा मुख्यमंत्री बने। वे श्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में और बाद में श्रीमती इन्दिरा गांधी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। एक योग्य प्रशासक के रूप में, उन्होंने केन्द्र सरकार में कई मंत्रालयों को परिपक्व मार्ग दर्शन दिया। संसदीय कौशल के कारण ही उन्हें चौथी लोक सभा का अध्यक्ष चुना गया था। जिस पद पर उनको व्यापक प्रशंसा मिली। उनकी प्रतिभा के कारण ही वे मार्च, 1977 में पुन: सर्वसम्मति से लोक सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और फिर देश के सर्वोच्च पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए।

मुझे उनको कई वर्षों तक निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके अंतिम वर्षों के दौरान, जब वे बंगलौर रहने लगे, तो भी मुझे उनके निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला था। आज जब मैं उनके बारे में बात करता हूं तो, उनके साथ मेरी संबद्धता की कई यादें दिमाग में आ रही हैं। उनके जाने से भारत के सार्वजनिक जीवन को क्षति हुई है, लेकिन वे सदैव हम सभी के लिए सार्वजनिक जीवन का एक अनुकरणीय उदाहरण रहेंगे।

मैं हमारे कुछ निवर्तमान साथियों के निधन पर भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं।

श्री राम चरण चौथी लोक सभा के सदस्य थे, जिनकी सामाजिक कार्य और दलितों के उत्थान में विशेष रुचि थी।

श्री वाल्मीकि चौधरी हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के साथ अपनी निकट संबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से संबंधित दस्तावेजों को एकत्रित करके और उनका संकलन करके देश की महत्वपूर्ण सेवा की थी।

हम श्री डी.डी. पुरी, श्री पी.ए. एंटनी और श्री विजय पाल सिंह के निधन पर भी शोक व्यक्त करते हैं। श्री पुरी किसानों और चीनी उद्योग के हितों से निकट रूप से संबद्ध थे, श्री पी.ए. एंटनी एक बुद्धिजीवी और एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे।

श्री विजय पाल सिंह की श्रमिक वर्ग, किसानों और युवा वर्ग में विशेष रुचि थी और वे उनके कल्याण के प्रति समर्पित थे।

मैं डॉ. नीलम संजीव रेड्डी और अन्य दिवंगत साथियों के निधन पर राष्ट्र द्वारा और हम सभी द्वारा महसूस की गई व्यक्तिगत क्षति और शोक व्यक्त करता हूं। भगवान उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे।

पश्च टिप्पण

I. डॉ. नीलम संजीव रेड्डी तथा अन्य सदस्यों के बारे में निधन संबंधी उल्लेख, 10 जून, 1996

कोई टिप्पण नहीं।

मंत्रिपरिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

11 और 12 जून, 1996

(i) मंत्रिपरिषद् में विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा

11 जून, 1996

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय, विश्वास-मत के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा अन्य वरिष्ठ नेता श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उर्वरक से संबंधित मुद्दा उठाया था, जिसमें लगभग 133 करोड़ रुपये की धनराशि अंतर्ग्रस्त है। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार को आज सायं तक इस बारे में सुस्पष्ट उत्तर दे देना चाहिए। मैं इस सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी तथ्य को छुपाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भी इसका रहस्योद्घाटन करने का इतना ही इच्छुक हूं। मैं भी यही जानना चाहता हूं कि इसके लिए वास्तव में कौन व्यक्ति दोषी हैं तथा यह भी जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। कृपया थोड़ी-देर के लिए मुझे सहयोग दीजिए। हमें जांच पूरी होने से पहले ही निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। जांच चल रही है।

जहां तक मुझे याद है कि हमारे माननीय विपक्ष के नेता जो प्रधान मंत्री थे तथा लगभग पन्द्रह दिन उसी कुर्सी पर विराजमान रहे हैं, जिस पर मैं बैठा हूं, ने भी इस विशेष मामले का अध्ययन किया है तथा संबंधित अधिकारियों को इसकी तेजी से जांच करने के निर्देश दिए हैं। मैं जांच-कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैंने इस संबंध में अभी तक किसी अधिकारी को नहीं बुलाया है, मैं तो केवल इस मामले से सम्बद्ध दस्तावेजों का अध्ययन कर रहा हूं। इन दस्तावेजों से कुछ तथ्य उजागर हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे तथ्य सही हैं तथा वास्तविकताओं पर आधारित हैं। मैं समाचार-पत्रों में छपी खबरों पर नहीं जाना चाहता। जब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक मुझे पूरी जानकारी नहीं दे देते, तब तक बिना समुचित सामग्री के हम इस सभा के समक्ष उत्तर नहीं दे सकते। कल मैं अविश्वास-प्रस्ताव पर उत्तर दूंगा। माफ कीजिए, विश्वास के प्रस्ताव पर। इस विशिष्ट मामले पर, मैं इस सभा के समक्ष सारी सामग्री एवं संबंधित तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं इस यूरिया घोटाले से संबंधित कोई भी बात छिपाना नहीं चाहता।

*** *** ***[1]

आज मैं इस माननीय सभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि माननीय राष्ट्रपति जी ने मुझे प्रधान मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए बुलाया है। उन्होंने मुझे यह भी कहा है कि मैं इस सभा के समक्ष पेश होऊं तथा इस महीने की 12 तारीख से पहले विश्वास का मत प्राप्त करूं।

इस समय मैं केवल कुछ ही शब्द कहना चाहता हूं। हमारे भारतीय इतिहास में पहली बार ग्यारहवीं लोक सभा अपना एक अद्भुत स्वरूप लेकर आई है। इस सभा की संरचना में लगभग 32 राष्ट्रीय दलों के साथ-साथ क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं।

मुझे पता है कि इस संसद में मुझसे अधिक वरिष्ठ, परिपक्व एवं अनुभवी अनेक नेता मौजूद हैं। इस विकट स्थिति में प्रधानमंत्री के रूप में प्रशासन की जिम्मेदारी मुझ पर थोपी गई है क्योंकि कांग्रेस सहित सभी धर्मनिरपेक्ष दलों ने मुझे कहा है।

कृपया प्रतीक्षा कीजिए। कृपया कुछ समय के लिए रुकिए। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, उसके लिए आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा मैं आपके बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा। मैं पूरी चर्चा के दौरान बैठा रहूंगा तथा इस सदन से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य के विचार सुनूंगा तथा चर्चा के दौरान जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे, उन सभी का उत्तर देने की कोशिश करुंगा।

यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? ग्यारहवीं लोक सभा के चुनावों से पहले बहुत-से राजनैतिक पण्डितों तथा समाचार पत्रों के स्तम्भ-लेखकों ने अपने विचार व्यक्त किए थे कि ग्यारहवीं लोक सभा 'त्रिशंकु संसद' के रूप में सामने आएगी। गत एक वर्ष से, इस देश में मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक और निजी दोनों ही रूप में यह बहस हो रही थी कि केन्द्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनैतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। ग्यारहवीं लोक सभा के चुनावों से पहले यही मत व्यक्त किया जा रहा था।

ग्यारहवीं लोक सभा के चुनाव समाप्त हो जाने के बाद, जनता ने क्या जनादेश दिया है? जनता ने इस देश को चलाने के लिए किसी भी एक राजनैतिक दल को जनादेश नहीं दिया है। हां, विपक्ष के हमारे माननीय नेता को, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री पद का उत्तरदायित्व संभालते हुए इस देश को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चूंकि राष्ट्रपति जी ने अपनी सूझबूझ के अनुसार यह सोचा था कि यह सबसे बड़ा दल है, उन्होंने यह अवसर उन्हें दिया तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 31 मई, 1996 से पहले अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा। 27 एवं 28 मई को जो घटित हुआ तथा इस सभा में जो चर्चा हुई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। 28 मई को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना त्याग-पत्र दे दिया। उसी दिन राष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया तथा सरकार के गठन के लिए नियुक्ति आदेश दिये। सभी धर्मनिरपेक्ष दलों ने 15 मई को बैठक की तथा मुझे धर्मनिरपेक्ष मोर्चे का नेता चुन लिया।

मैं इस सभा का सदस्य नहीं हूं। इसके बावजूद, समूचे संयुक्त मोर्चे के मित्र दलों ने निर्णय लिया तथा मुझ में विश्वास व्यक्त किया, जबकि जहां तक संसदीय प्रणाली के कार्यकरण का संबंध है, मैं ज्यादा अनुभवी एवं परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं हूं। उन सभी ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया तथा मुझे जिम्मेदारी लेने को कहा। साथ ही, कांग्रेस कार्य समिति ने 12 मई को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि वे सरकार नहीं बना रहे हैं और यह भी कहा गया था कि वे भा.ज.पा. सरकार को किसी भी कीमत पर समर्थन

नहीं देंगे और यदि कोई धर्मनिरपेक्ष दल यह उत्तरदायित्व लेगा तो वे बिना शर्त अपना समर्थन देंगे। यह कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव था। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति जी ने 28 मई को 8 बजे मुझे बुलाकर यह नया कार्य लेने के लिए कहा था।

मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं। यदि हम इतिहास को देखें तो इसी पद पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारतीय इतिहास में एक शीर्षस्थ व्यक्ति थे, ने प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया, अंतिम तक, अर्थात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहे वे दस या पन्द्रह दिन तक रहे, संसदीय जीवन में उनके अनुभव और प्रौढ़ता के लिए मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं अब उनका स्थान राष्ट्रपति जी की सदन में बहुमत सिद्ध करने की शर्त पर ले रहा हूं। समय-सीमा 2 जून तक है। इसीलिए मैं इस माननीय सभा के समक्ष इस विश्वास प्रस्ताव पर इसमें अंतिम विचार जानने के लिए आ रहा हूं।

हमें वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए सहयोगी दलों के साथ भा.ज.पा. बहुमत सिद्ध क्यों नहीं कर सकी? इसे 15 दिन का समय दिया गया था। मैं इसका कोई प्रयोजन नहीं बता रहा हूं। उन्होंने यह देखने के लिए कि अन्य दलों से बहुमत लिया जाये, कोई गलत तरीका नहीं अपनाया। हमारे वरिष्ठ नेताओं के अनुसार उन्होंने इसी सभा में यह बताया था कि वे किसी तरह की जोड़-तोड़ नहीं करना चाहते और वे यह देखना चाहते थे कि उनकी सरकार जारी रहे क्योंकि वे संख्या में अधिक थे। अटल बिहारी जी ने यह तर्क दिया था। यदि संख्या पर विचार किया जाना है, तो 160 और सहयोगी दलों की संख्या मिलाकर 542 के सदन में लगभग 194 बनती है, क्या यह कहना संभव है कि उन्हें जनादेश मिला है?

मैं यह प्रश्न आपके विचारार्थ रखता हूं।

आज, मैं एक बार फिर इस बात को दोहराता हूं कि जनादेश मिली-जुली सरकार के पक्ष में है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, ग्यारहवीं लोक सभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और अन्य सभी दलों को, एक या दो को छोड़कर, संयुक्त मोर्चा में 192 सदस्य लाने में सफल रहे थे।

हमारा साझा कार्यक्रम है। हमने प्राथमिकता निर्धारित की है, और इन सभी बातों को पहले ही राष्ट्र के सम्मुख रखा गया है और सदन के माननीय सदस्य साझे कार्यक्रम के बारे में अपने मत व्यक्त कर सकते हैं।

इस निर्णायक सभा में मैं इस सभा के सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि, जब राजनैतिक माहौल इतना भ्रामक है, जब राजनैतिक माहौल इतना अस्थिर है, तो हमें आवश्यक सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए। मैं उनसे सरकार को केवल सही कार्यों के लिए ही अपना पूरा सहयोग देने का आग्रह करता हूं। यदि उन्हें लगे कि सरकार सही दिशा में नहीं जा रही है, तब वे सरकार की गलती को उजागर करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं कुछ छिपा नहीं रहा हूं। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। यदि यह सरकार, अथवा यह मंत्रालय किसी बात पर गलती पर है, तो वे इसे उजागर कर सकते हैं। इस सदन को इस सरकार

के गलत कार्यों को उजागर करने का हर अधिकार है। मैं इस सदन के प्रति उत्तरदायी हूं। मैं इस देश की 90 करोड़ जनसंख्या के प्रति उत्तरदायी हूं। मैं आपको इस संबंध में आश्वस्त करना चाहता हूं।

एक नया अध्याय प्रारम्भ हो गया है। मिली-जुली सरकार का समय आ गया है। महोदय, यह लगभग दो वर्ष पूर्व भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, श्री वेंकटरमन ने बताया था। मिली-जुली सरकार का समय आ गया है। ऐसा मत उन्होंने लगभग दो वर्ष पूर्व व्यक्त किया था। यह सही निकला है। आज कुछ मित्रों के दिमाग में कुछ शक है कि श्री देवेगौड़ा सभी मामलों में समझौता करेंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं – मैं इस माननीय सभा को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि–कांग्रेस ने अपना समर्थन देते समय कोई शर्त नहीं रखी है। यही नहीं, अब तक उन्होंने किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। कोई निर्णय लेने में उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। लेकिन मैंने स्वयं ही यह निर्णय लिया कि सदन द्वारा अपना ठोस समर्थन दिए जाने तक, सभा में विश्वास मत प्राप्त किए जाने तक, कोई महत्वपूर्ण निर्णय न किया जाए। मैंने अपने सभी मंत्रियों को इस माह की बारह तारीख तक, कल परिणाम जानने तक कोई प्रमुख निर्णय न लेने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। मैं वर्तमान मिली-जुली सरकार की समय अवधि के बारे में शक नहीं करना चाहता। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। जनादेश मिली-जुली सरकार के लिए है और यह सरकार पांच वर्षों तक चलेगी। हम यह सिद्ध करने जा रहे हैं।

यह आत्म प्रशंसा की बात नहीं है। मैं डेढ़ साल कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहा। मैंने पिछले डेढ़ वर्ष में कर्नाटक में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कि अन्य वरिष्ठ नेताओं की तुलना में मैं एक अनुभवहीन राजनीतिज्ञ हो सकता हूं, लेकिन इस सभा को मैं एक बात बता रहा हूं।

महोदय, मुख्यमंत्री के रूप में मैंने क्या किया है, यह तो समय बताएगा।

यह सरकार अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों के लोगों, कृषि से जुड़े लोगों के लिए क्या करने जा रही है, इसका उल्लेख हमारे कार्यक्रम में किया गया है।

कुछ देर के लिए इन्तजार कीजिए। मैं इस सदन से भाग नहीं रहा हूं। कृपया इन्तजार कीजिए। हमें देखना चाहिए।

मुझे सदन की संरचना और इस सदन के बहुत से नेताओं की वरिष्ठता के बारे में पूरी जानकारी है। तीन पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इन्द्रजीत गुप्त और सोमनाथ चटर्जी जैसे वरिष्ठतम कामरेड हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तीन वर्ष पूर्व मैं पीछे की बैंच पर, कोने में बैठा था। मैंने पीछे की सीट पर बैठ कर सभा की कार्यवाहियों को देखा था। जब ये सभी वरिष्ठ नेता बोला करते थे, तो मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनता था–मुझे सीखने दें और मैं वरिष्ठ नेताओं से कुछ सीखना चाहता हूं। अपने राजनैतिक जीवन में यह मेरी विशेषता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि मैं बहुत विद्वान हूं। न मैं अर्थशास्त्री हूं और न ही वैज्ञानिक। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस देश के लोगों की समस्याओं को जानता हूं। मैं आपको एक बात बताऊंगा। महोदय, इसी पद पर 17 अथवा 18 वर्षों तक कई नेताओं ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और आज यदि

मैं यहां पर 5 वर्ष के लिए हूं या 5 महीने के लिए हूं, यह मापदण्ड नहीं होगा बल्कि इस देश की जनता के लिए एक प्रधानमंत्री की हैसियत से जो काम करुंगा वही महत्वपूर्ण होगा। मैं अपने समय का प्रत्येक मिनट और प्रत्येक घंटा देश के लिए लगाउंगा और मैं यह साबित कर दूंगा कि मैं इस देश के गरीब तबके, दलित लोगों और अल्पसंख्यकों के साथ हूं। मैं यह करने जा रहा हूं। यही मेरी चिन्ता है। इस तरह मैं कार्य करता हूं। इस तरह से मैंने कार्य किया है और मैं यह पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं वचन दे रहा हूं। यदि मैं कोई गलती करूं, तो यह सदन उसकी जांच कर सकता है। मैं आपको केवल बात बताना चाहता हूं। महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि और बहुत से सदस्यों को बोलना है। इस वाद-विवाद में और कई वरिष्ठ नेताओं को भाग लेना है और मेरे विचार से हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी आज बोलेंगे। मैं केवल आपको यह आश्वासन देता हूं कि जो प्रश्न उठाए जाएंगे, उनका कल मैं विस्तृत उत्तर दूंगा और इस सभा द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी मैं सभा को प्रदान करुंगा।

इन शब्दों के साथ, मैं बड़ी विनम्रता से इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत करें।

(ii) मंत्रिपरिषद् में विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर

12 जून, 1996

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित अनेक वरिष्ठ सदस्य कल इस विश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग ले चुके हैं।

मैंने भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र और भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के वर्तमान नेता द्वारा 27 और 28 मई, 1996 को इस सभा में दिए गए भाषण भी पढ़ लिए हैं। साथ ही एक बार उन्होंने यह कहते हुए अपना असंतोष और निराशा प्रकट की है कि "मैं राजनीति से मुक्ति चाहता हूं लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं बन रही है कि मैं उससे मुक्ति पा सकूं"। हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने पर इसका यह अर्थ निकलता है। मैंने यह पढ़ा है। इस देश में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में इस तरह की निराशा प्रकट की है, क्यों? इसका वास्तविक कारण क्या है? आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। हम लगभग 90 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगभग 545 सदस्य इस शीर्षस्थ संस्था की सभा में बैठे हुए हैं।

मैं केवल थोड़े समय अर्थात् साढ़े तीन वर्ष तक के लिए यहां पर रहा और पिछली कतार में बैठता था। मैं सभी वरिष्ठ नेताओं के भाषण सुना करता था और सोचा करता था कि मैं यहां किस लिए आया। वास्तव में ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहां किस लिए आया। क्या मैं इस तरह के व्यवहार के लिए इस सभा में आया हूं? महोदय, इस संस्था की किस हद तक अपकीर्ति हुई है। इसके लिए मुझे खेद है चाहे सदस्य इस पक्ष के हों या उस पक्ष के। क्या हममें से सभी की यह जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस सदन की गरिमा, शालीनता

और अनुशासन को बनाए रखें? जब सब लोग बोल रहे थे तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था, मैंने मुंह तक नहीं खोला। चाहे किसी भी तरह की आलोचना की गई, मैंने शांत रहते हुए बहुत ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर ने उठकर गुस्से में कहा कि यदि ऐसी स्थिति है तो हम सभा को कैसे चला सकते हैं। यदि मेरी बात सही है तो उन्होंने घोर निराशा में यह बात कही।

मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को पहले नहीं लेना चाहता हूं। यदि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैंने ग्रंथालय में संसद में रखे संसद की कार्यवाही वृत्तांत को देख लिया है।

मैंने इस देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे को समझने की कोशिश की है।

हमें यह बात स्वतंत्रता प्राप्ति के दिनों में उस समय से शुरू करनी चाहिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के सबसे बड़े राजनेता थे जो हरिदास मणिवर्के को लाए थे। उस समय उनके दामाद फिरोज गांधी उस मुद्दे को सभा में लाए थे। आज हमें अपने दिल से पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल दो सप्ताह सत्ता में रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कितने राज्यों में हैं? क्या वहां भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हैं? मैं इसे सिद्ध करुंगा। मैं जब बोलता हूं तो किसी आधार पर बोलता हूं। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे थे तो मैंने मुंह नहीं खोला। मैं पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता द्वारा कही गई इस बात के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता हूं कि "पिता और पुत्र दोनों बहुत बुद्धिमान हैं और उन्हें बचाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है"।

मुझे यह कहते हुए खेद है लेकिन जब तक मामला सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी पर आक्षेप लगाना किसी के लिए भी उचित नहीं है। जब तक जांच के अधीन मुद्दा सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बाद में आऊंगा। मैं इन सभी मामलों पर चर्चा करूंगा।

जी हां, हम सब भ्रष्ट लोग इस पक्ष मैं बैठे हुए हैं और धर्मनिरपेक्षवाद की वकालत कर रहे हैं। दूसरी तरफ केवल संत लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए लोगों ने उन्हें केवल 23 प्रतिशत मत दिए हैं। वे यहां आकर यह वकालत कर रहे हैं कि जनादेश उनके लिए है और इस तरफ बैठे हुए बाकी सब लोग भ्रष्ट हैं और केवल वे लोग ही स्वर्ग से आए हैं और सदाचारी हैं।

जी, हां। मेरा कहना यही है, कृपया भगवान के लिए तर्क मत कीजिए।

इतना अधिक मानसिक संताप? मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है। आज भी चाहे हम इस तरफ बैठें या उस तरफ बैठें मैं केवल एक शब्द कहूंगा कि मैंने 35 वर्ष के अपने राजनीतिक जीवन में आडवाणी जी या वाजपेयी के प्रति एक शब्द भी नहीं कहा।

उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुद्दा उठाया। मैं आज भी कहता हूं कि मैंने उस दिन विशेष को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आपातकाल के दौरान अदा की गई भूमिका की सराहना

की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? मेरा पूरा भाषण उद्धृत नहीं किया गया है। मैं वह सब ब्यौरे अपने साथ लाया हूं लेकिन मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। श्री अरुण शौरी इस सभा के सदस्य नहीं हैं। इसीलिए मैं उस दिन के सभी मुद्दों को नहीं उठाना चाहता हूं। वह सभी बातें यहां पर बताई गई हैं।

भ्रष्टाचार हमारे सामने जो मुद्दे हैं उनमें से एक है। इस देश में अन्य ज्वलंत मुद्दे हैं जो मेरे हिसाब से बड़े मुद्दे हैं। मैं एक विनम्र राजनीतिज्ञ हूं। मैं भारतीय राजनीति में कोई बड़ी हस्ति नहीं हूं। मुझे सत्ता की कोई लालसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि "संयुक्त मोर्चा का एक कार्यक्रम है और वह इस बात से सहमत है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता लोलुप्ता के कारण पुराने कटु अनुभवों को दोहराया नहीं जाएगा"।

श्री चन्द्रशेखर अंतिम कतार में बैठे हैं। मैं 1983 में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बन गया होता। 1983 में केवल उन्होंने ही मुझे कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने का प्रयास न करने के लिए कहा।

आपके कारण मैंने वह पद छोड़ दिया। मैं वह व्यक्ति हूं जिसने तीन बार अपने पद से त्याग-पत्र दिया है। यदि आपको मेरे पिछले जीवन के बारे में मालूम है तो मैं कभी भी किसी पद की तलाश में दिल्ली नहीं आया। कर्नाटक के 5 करोड़ लोगों ने किसी दया, किसी के समर्थन के बगैर मुझे राज्य का शासन चलाने का जनादेश दिया। मुझमें इस माननीय सभा को यह बताने का साहस है। मुझे जनता का समर्थन प्राप्त था और जनता के समर्थन से मैं कर्नाटक में मुख्यमंत्री का गद्दी पर बैठा और मैंने डेढ़ वर्ष तक राज्य का शासन चलाया। मैंने स्वयं यह जिम्मेदारी स्वीकार की थी। जी, हां सभी वरिष्ठ नेता जो यहां बैठे हुए हैं उन्होंने मुझसे कहा कि "मौजूदा स्थिति में आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए"। जब इन सभी वरिष्ठ नेताओं ने, जो मुझसे अधिक अनुभवी हैं, यह जिम्मेदारी लेने के लिए कहा तो मैंने उस समय उनकी बात स्वीकार की थी।

यह जिम्मेदारी स्वीकार करते समय, मुझे स्थिति मालूम है, मुझे सभा का गठन मालूम है। मुझे इस देश की जटिल समस्याओं के बारे में मालूम है। इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हुए मैंने यह जिम्मेदारी स्वीकार की है। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छी तरह से करने का पूरा प्रयास करुंगा। जनता और दल ने, कांग्रेस समर्थन सहित संयुक्त मोर्चे ने मुझमें विश्वास व्यक्त किया है। मैं केवल इन लोगों को संतुष्ट करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करूंगा वरन् इस देश के 90 करोड़ लोगों को संतुष्ट करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करुंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं यहां पर पांच वर्ष रहता हूं या पांच दिन। मैं बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हूं। कृपया आप इन शब्दों को लिख लीजिए। मैं किसी भी बात से डरने वाला नहीं हूं यह मेरा स्वभाव है। मैं बहुत साधारण बात कर रहा हूं। लेकिन जब परिस्थिति आएगी तो मैं झुकने वाला नहीं हूं। यह मेरा स्वभाव है। मैंने इस पद तक पहुचने के लिए अपने जीवन में कई संघर्ष किए हैं।

अब हमें अपनी उपलब्धियों पर वापस आना चाहिए। यह बात ऐसी नहीं है जिसका उपहास किया जाए। आज जबकि लोग पीने के पानी और संचार सुविधाओं के अभाव का सामना कर

रहे हैं। मंदिर-निर्माण इस देश में एक मुद्दा नहीं है। आज गांव में सड़क नहीं है। लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। यह सभा इस बात पर वाद-विवाद कर रही है। मेरे सम्मानीय सहयोगी सदस्य चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, मैं कुछ गलत कहने वाला नहीं हूं। क्या यह सभा पेयजल की समस्या पर चर्चा करने के लिए है? क्या यह सभा एक गांव के लिए दूरसंचार सुविधाओं के बारे में चर्चा करने के लिए है? यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आज स्थिति क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के 48 वर्ष बाद भी आज आपने स्वयं कहा था कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कहा था कि "केन्द्रीय अनुदान का जो एक रुपया जारी किया जाता है उसमें से केवल 16 पैसे निचले स्तर तक पहुंचते हैं"। आपके भाषणों में यह उद्धृत किया गया है।

इसका अर्थ यह है कि भ्रष्टाचार हर स्तर पर है। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। आपने भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द कहा था, हम सबको एक साथ बैठ कर भ्रष्टाचार के बारे में एक सचेतन निर्णय लेना चाहिए। लोकपाल मुद्दे को लेने से पहले मैं अन्य मामलों पर विचार करूंगा।

मैं एक बात के लिए कांग्रेस सरकार को बधाई देता हूं। जब पूर्व प्रधानमंत्री यहां बैठे थे तो उन्होंने कहा था "मैं इस बार ग्रामीण विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा रहा हूं"। यह एक मुख्य क्षेत्र है जिसमें उन्होंने कार्यक्रम में परिवर्तन किया है जिसकी मैंने उसी दिन सराहना की थी।

आज मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। मैंने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया है। मित्रो, मैं आप सब के परामर्श से कतिपय प्राथमिकताओं को बदल रहा हूं। यह प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं: पहली प्राथमिकता है पेयजल, दूसरी प्राथमिकता है संचार और तीसरी प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं और आवास है। महोदय, सार्वजनिक वितरण पर कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आप इसकी सराहना कर सकते हैं या आप इसकी सराहना नहीं भी कर सकते हैं। यह आप पर और इस माननीय सभा पर छोड़ दिया है। मैं इस सभा में जो कहने जा रहा हूं वह यह है कि मैंने मुख्यमंत्री के रूप में पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान क्या किया है। वह मेरा पहला काम था। मैं यह कह रहा हूं कि यदि आप सब सहमत हो जाते हैं, यदि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री सहमत हो जाते हैं तो मैं प्राथमिकता पर पुनर्विचार करना चाहूंगा।

मैंने जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था तो मैंने सभी जिला समाहर्ताओं की एक बैठक बुलाई थी। मैंने उनसे यह विवरण देने के लिए कहा था कि कितने गांवों में सड़कें नहीं हैं, कितने परिवारों के पास घर नहीं हैं, और कितने गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैंने सभी गांवों में इन कमियों का विवरण देने के लिए एक महीने का समय दिया था। जिला समाहर्ताओं की बैठक में मैंने यह पहला निर्णय लिया। आपकी और सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कर्नाटक में, जो कि बड़ा राज्य नहीं है, इसकी जनसंख्या पांच करोड़ है, मेरे गृह राज्य में 19.86 लाख व्यक्तियों के पास घर या रहने की जगह नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 48 वर्ष बाद और इतने सारे कार्यक्रम कार्यान्वित करने के बाद ऐसी

स्थिति है। श्री निजलिंगप्पाजी के समय से और अविभाजित कांग्रेस के समय से आवास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। जब मैंने जिला समाहर्ताओं से पूछा कि यह विवरण दें कि कितने लोगों के पास घर नहीं हैं, सभी जिला समाहर्ताओं के विवरण के बाद मुझे जो आंकड़ा मिला उसके अनुसार कर्नाटक में 19.86 लाख परिवारों के पास घर नहीं हैं। जब कर्नाटक की स्थिति ऐसी है तो मैं नहीं जानता कि पूरे देश की स्थिति कैसी होगी। कुछ लोग कहते हैं देवेगौड़ा हिन्दी नहीं जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं देवेगौड़ा अंग्रेजी नहीं जानते हैं, कुछ कहते हैं कि देवेगौड़ा को मेघालय के बारे कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ लोग कहते हैं देवेगौड़ा को शिमला, दार्जिलिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं। कुछ लोग दार्जिलिंग जाएंगे, कुछ लोग कश्मीर घाटी जाएंगे, कुछ शिमला जाएंगे। किस लिए? वे ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल हैं।

मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने गांव में रहता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने किसानों के साथ रहता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने कामगारों के साथ रहता हूं। इसीलिए मैं इस पद तक पहुंचा हूं। हो सकता है मुझे पूरे भारत की जानकारी नहीं। मैंने कम से कम भारत का मानचित्र तो देखा है। कम से कम कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने यह देखा है।

मैंने जो निर्णय लिए हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि हमारे वरिष्ठ नेताओं सहित सभी माननीय सदस्य संयुक्त मोर्चे ने राष्ट्र के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसके अलावा अगले बजट में कुछ और कार्यक्रम बनाने पर सहमत हों तो मैं कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित करना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए इस सभा के समक्ष आना चाहता हूं कि इस देश में कम से कम मूल आवश्यकताओं को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा किया जाए चाहे वह पीने के पानी की आवश्यकता हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा की हो और चाहे वह स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता हो। ये कुछ क्षेत्र हैं जिन पर मेरा पूरा ध्यान केन्द्रित है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह बात नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं योजना तक न खिंचे। मैं ऐसी स्थिति स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। चाहे स्थिति कैसी भी हो।

वित्तीय जटिलताओं के संबंध में आपने अपने व्यापक अनुभव के आधार पर कहा है, 'आपके पास संसाधन कहां हैं ? मैं इससे सहमत हूं। यह देश गरीब नहीं है। यह देश धनी है लेकिन वह धन कुछ थोड़े से लोगों के पास है।

प्रत्येक राजनैतिक दल में अच्छे लोग हैं। बुरे लोग भी हैं। इस धारणा में न रहें कि भा.ज.पा. में बुरे लोग नहीं हैं अथवा भा.ज.पा. में अच्छे लोग नहीं हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल में, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। इस समय, मैं दोनों तरफ के प्रत्येक माननीय सदस्य से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें इस संबंध में एक आम प्रयास करना चाहिए कि हम अपने संसाधन कैसे जुटाएं। यदि आप सभी सहमत हों, तो संसाधन जुटाना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम संसाधन जुटा सकते हैं मैं यह बात कहना चाहता हूं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मेरे पास भी कुछ प्राथमिक ज्ञान है, कम से कम प्रशासन के बारे में।

यद्यपि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं मैं हिन्दी का अच्छा वक्ता नहीं हूं, न ही अंग्रेजी का अच्छा वक्ता हूं। अंग्रेजी अथवा हिन्दी में सबल भाषण से भारत में गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। मैंने बहुत कुछ देख लिया है।

*** *** ***[1]

आरक्षण के संबंध में श्री वाजपेयी ने पूछा है कि हमने दो माह में क्या किया। मैं माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सत्ता में आने के दो माह पश्चात् जब बहत्तरवां संशोधन और जिला परिषद और तालुक पंचायतों और नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों के संबंध में तिहत्तरवां संशोधन पारित किए गए थे, तो मैं यहां था। उक्त संशोधन इसी सदन में पारित किए गए थे। मैं भी तत्कालीन संयुक्त समिति का सदस्य था।

कुछ राज्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए सहमत नहीं थे। हमने इसे राज्यों पर छोड़ दिया। बहत्तरवें संविधान संशोधन में यह राज्यों को दिया गया था। कर्नाटक में पिछड़े वर्गों के लिए पहली बार आरक्षण किया गया था। यह बहस बिहार में स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर के दिनों से चल रही है और श्री देवराज आर्स और कई अन्य लोग आरक्षण के लिए लड़े हैं। क्या मैं आपको एक शब्द बता सकता हूं? हम कुछ अवधि के लिए सत्ता में रहे। मैं 5000 वर्ष पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता। हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए।

मैंने एक निर्णय लिया था, कुछ समुदाय हैं, यह वर्ग, पिछड़े वर्ग के आधार पर नहीं है। आजादी के पश्चात् कुछ समुदाय और जातियां यहां तक कि पंचायत चुनने में भी सक्षम नहीं थी। वे नगरपालिका का चुनाव भी नहीं कर सकती थी। वे यहां तक कि एक निगम का भी चुनाव नहीं कर सकती थी। मैंने 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया, जैसा कि श्री वी.पी. सिंह ने केन्द्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गों को दिया था। मैंने राजनीतिक आरक्षण के लिए उन समुदायों के लिए वही मानदण्ड लागू किया जो किसी प्रशासन में भाग लेने में सक्षम नहीं थी।

आज कर्नाटक में, सभी संस्थाओं में, चाहे कस्बा पंचायत हो, जिला पंचायत हो, नगर पंचायत हो, निगम हो, इन सभी संस्थाओं में — मेरे मित्र श्री धनंजय कुमार यहां हैं—हमने जाति के आधार पर आरक्षण दिया है। वह धोबी हो, नाई हो, बुनकर हो, खाती हो, कुम्हार हो।

वह मुस्लिम हो सकता है। भारत में पहली बार कर्नाटक में मुसलमानों के लिए राजनीतिक आरक्षण दिया गया है। जब श्री बनातवाला सभा में बोल रहे थे, तो मैं भोजनावकाश पर चला गया था। मैंने वहां उनका भाषण सुना था। भारत में पहली बार, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया है।

इसका श्रेय कर्नाटक सरकार को जाता है। मैं यह इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं अगले मुद्दे पर आऊंगा।

*** *** ***[2]

एक स्तर पर ही आरक्षण नहीं बल्कि सभापति के रूप में भी इस समुदाय को, चाहे वह धोबी हो, नाई हो अथवा सुनार हो, भारतीय इतिहास में पहली बार मैंने राजनीतिक आरक्षण

दिया है। मैं चाहता हूं कि वे प्रत्येक क्षेत्र में भाग लें और वे यह महसूस करें कि यह सरकार उनकी है। मैंने कर्नाटक में यही किया है। यदि आप सभी मेरे साथ सहमत हों, तो मैं यही इसी प्रणाली की यहां भी शुरुआत करना चाहता हूं। अन्यथा इस प्रश्न पर आप अनेकों सौ बातें कर सकते हैं।

आप कह सकते हैं कि भगवान सब जगह हैं। यहां तक कि खम्भों में भी भगवान हैं। मैंने प्राथमिक विद्यालय में यह पढ़ा है। मेरे पिता इतने शिक्षित पढ़े-लिखे नहीं थे। मैंने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी के माध्यम से पढ़ा था कि भगवान सभी स्थान पर हैं। यहां तक कि खम्भों में भी हैं। आप धर्मनिरपेक्ष हैं। श्री नरसिंह राव ने कहा है कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं। इसी वजह से उन्होंने आप का नाम इस देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में लिया है। अन्यथा उन्होंने आपका नाम नहीं लिया होता। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताऊंगा। मैं जानता हूं कि यह क्या है। महोदय, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपके घर आया। आपने मुझे कई मुद्दों पर परामर्श दिया है। मैं अपने भविष्य में अपने प्रशासन के लिए आपका परामर्श और मार्गदर्शन लेता हूं। आप कुछ धर्मनिरपेक्ष हैं। उस कारण से आप बीस या तीस अधिक स्थान प्राप्त कर सके थे। अन्यथा स्थिति पूर्णतया भिन्न हुई होती। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं।

आज आपको अवश्य आगे आना चाहिए, अपने उदार दृष्टिकोण के साथ आपको आगे आना चाहिए। ये समुदाय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् उन्हें वास्तविक लाभ नहीं मिला है। आजादी किस लिए है? स्वतंत्रता किसके लिए है? यह सदन किसके लिए और किस उद्देश्य के लिए है? सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका किस उद्देश्य और किसके लिए है? बाद में हो सकता है अगले बजट सत्र में, मैं न्यायपालिका सुधारों चुनाव सुधारों, आदि पर चर्चा करूं। लेकिन आज मैं स्वयं को कर्नाटक में हमारे द्वारा उठाए गए कतिपय प्रगतिशील उपायों तक सीमित रखूंगा। हम माननीय सदस्यों के ध्यान में लाने के लिए इस मुद्दे की जांच कर सकते हैं।

*** *** ***[3]

आपने अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में कहा है। कर्नाटक में, हमने अध्यापकों के पदों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। आप ये बातें नहीं सुन सकते। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यदि आप सभी सहमत हों, तो मैं उनको यहां भी प्रारम्भ करना चाहता हूं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं। कर्नाटक में प्राथमिक विद्यालयों की सभी रिक्तियों में से, 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं और अन्य सभी पदों में 30 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। हमने इन चीजों को कार्यान्वित किया है।

मैंने पूर्व प्रधानमंत्री को भी महिलाओं को विधान सभाओं और लोक सभा में आरक्षण देने के संबंध में लिखा था। यह पत्र मैंने पूर्व प्रधानमंत्री को लिखा था। यदि आप सभी सहमत हों और मुझे सहयोग दें, तो मैं अगले सत्र में ही इन संशोधनों को पुर:स्थापित करुंगा।

अब, मैं एक या दो और बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। जब मैं सामाजिक न्याय के बारे में उपलब्धियों के बारे में कुछ कहता हूं, तो आप को बुरा लगता है। क्यों लगता है,

इसकी मुझे जानकारी नहीं है। क्या आपकी गरीबों में रुचि नहीं है? क्या आपकी दलितों में रुचि नहीं है? मुझे उसके बारे में बोलने दीजिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको इस तबके की कोई चिन्ता नहीं है। लेकिन जब मैं इस संबंध में बोलता हूं कि मैंने डेढ़ वर्ष में क्या किया है तो कृपया मेरी बात सुनिए। इस सम्माननीय सभा में इन सभी बातों का उल्लेख करने का कारण आपका सहयोग प्राप्त करना और यदि संभव हो, तो इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना और यह देखना है कि इसे सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाता है/जाए। मैं इसका उल्लेख इस उद्देश्य से कर रहा हूं।

मेरे वरिष्ठ साथी, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने—अब चाहे जो भी राजनीतिक मतभेद हो, एक बार मुझे लिखा था। मैं कर्नाटक की उपलब्धियों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं अब यहां उठाए गए मुद्दों पर आ रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने 27 और 28 मई को अपने भाषण में सभी दलों के घोषणापत्रों की तुलना की है। उन्होंने इस की आलोचना करने का प्रयास किया कि ये लोग इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। कैसे? उनके अनुसार यह विश्व का आठवां या नौवां आश्चर्य है। मैं उनसे एक सीधा प्रश्न करना चाहता हूं। जब श्री मोरारजी की सरकार गिरी थी—मैं उस समय श्री जार्ज फर्नान्डीज की भूमिका की आलोचना नहीं कर रहा हूं—उस समय हमारे वरिष्ठ नेता श्री वाजपेयी सरकार में थे। वे उस सरकार में थे। आप भी उस सरकार में थे। श्री चन्द्रशेखर पार्टी के अध्यक्ष थे। मैं भी राज्य इकाई में एक कार्य समिति का सदस्य था। श्री वाजपेयी और श्री मोरारजी देसाई दोनों ने मुझसे सम्पर्क किया था और उस सरकार के लिए श्री देवराज अर्स के समर्थन का अनुरोध किया था। श्री देवराज अर्स को एक भ्रष्ट राजनैतिक बताया गया था और देवराज अर्स भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच आयोग द्वारा दोषी करार दिया गया था। महोदय, मैं यह पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या यह सही नहीं है? जो कुछ मैं पूछने जा रहा हूं।

इस देश में राजनीतिक सुविधा के लिए सभी राजनैतिक दलों ने देवेगौड़ा सहित, अस्थाई लाभ के लिए अपनी भूमिका निभाई है। हां, एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाने की अपेक्षा हमें अपने अन्दर झांककर देखना चाहिए। कम से कम, हमें एक नया अध्याय प्रारम्भ करना चाहिए। यदि आपकी इस संस्था के साथ, भारतीय प्रजातंत्र के साथ जुड़ी गरिमा, श्रेष्ठता और पवित्रता को पुन: बहाल करने में रुचि है, तो हमें एक नया अध्याय प्रारम्भ करना चाहिए।

मैं श्री वाजपेयी के एक शब्द को उद्धृत करुंगा। मैं अन्य को नहीं ले रहा हूं। कई अन्य मुद्दे हैं। मैं भ्रष्टाचार के बारे में अथवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार आदि के बारे में उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैंने यहां सभी बातें पाई हैं। वह एक भिन्न विषय है। बहुजन समाज पार्टी को भा.ज.पा. का समर्थन एक चाल है। संयुक्त मोर्चा को कांग्रेस पार्टी का समर्थन अवसरवादी है। देवेगौड़ा की पार्टी में मुश्किल से 45 सदस्य हैं। 136 सदस्यों वाली कांग्रेस देवेगौड़ा को समर्थन दे रही है। आपके आरोप के अनुसार ऐसा केवल उनके पापों को छुपाने

के लिए है। मायावती के पास उत्तर प्रदेश विधान सभा में कितने विधायक थे? महोदय, मैं आपको यह बताऊंगा कि आपने कल एक बात कही थी।

*** *** ***[4]

जनादेश क्या था? क्या जनादेश बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने के लिए था? महोदय, मुझे बताइए। आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, आप मुझे परामर्श दे सकते हैं, आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। परसों, जब आप निधन संबंधी उल्लेख में भाग ले रहे थे, तो आपने एक बात कही थी—यह अब भी मुझे याद है—कि संजीव रेड्डी जी को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया और दस वर्ष पश्चात् उन्हें बनाया गया। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि कल क्या होगा। लेकिन आप जैसे व्यक्ति को दूसरों में कमी नहीं ढूंढनी चाहिए जबकि आपकी पार्टी ने इतनी गलतियां की हैं। मैं केवल यहीं कहना चाहता हूं। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी आन्तरिक समस्याएं हैं। आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? जब दिल्ली भा.ज.पा. की टिकटें बांटी जा रही थीं, तो क्या हुआ था? वह अलग बात है।

जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की टिकटें बांटी गई, तो यह कहा गया था,

सूटकेस नहीं चलते, नहीं चलते।

मैं हिन्दी नहीं जानता। मैं हिन्दी में बोल नहीं सकता। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में ऐसे मुद्दे उठते हैं। यह किसी विशेष राजनीतिक दल तक ही सीमित नहीं है। आज की राजनीति में प्रत्येक राजनीतिक दल की आंतरिक समस्याएं हैं और हमें इसका फायदा उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यही मेरी अपील है। मैं इस मुद्दे पर और अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता।

मैं केवल दो-एक बातें और कहूंगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल श्री बरनाला जी ने कहा कि यूरिया की कमी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे इस बारे में चिंता न करें, यूरिया की पर्याप्त मात्रा है। किसान का बेटा होने के नाते, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि इस देश के सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिले। मैं इसका ध्यान रखूंगा।

हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता ने विदेश नीति के बारे में चिंता व्यक्त की है। हमने यह स्पष्ट किया कि हमारी विदेश नीति व्यापक सहमति से बनी है। जो उन पारंपरिक मूल्यों और अनुभवों पर आधारित हैं, जो हमने आजादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरांत प्राप्त किए हैं। हमारी विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत गुट-निरपेक्षता का है। संयुक्त मोर्चा की सरकार सर्वसम्मति का दृढ़ता से पालन करेगी। हमने यह स्पष्ट कर दिया है और जहां तक अन्य मुद्दे, जिन्हें आपने उठाया है, का सवाल है; मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जेनेवा सम्मेलन की अंतिम तिथि 28 है। इस संबंध में मैं वरिष्ठ नेताओं से परामर्श करुंगा। मैं अभी कोई घोषणा नहीं करने जा रहा हूं। यह इस सभा में घोषित करने वाली चीज नहीं है। जब मैं आपके घर पर आप से मिलने गया था तब आपने कुछ सुझाव दिए थे। मैं वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में परामर्श करूंगा। यह अति गंभीर और महत्वपूर्ण मामला

है। मैं इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले विपक्ष के सभी नेताओं से परामर्श करूंगा। मुझे इसके दोनों पहलू देखने होंगे कि इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। दोनों ओर के वरिष्ठ नेताओं के विचार जानने के उपरांत ही मैं कोई अंतिम निर्णय लूंगा। एक प्रधान मंत्री के नाते मुझे ही अंतिम निर्णय लेना है। मेरा सर्वप्रथम कार्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होगा, अन्य मुद्दे मेरे लिए गौण हैं। राष्ट्र-हित और राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता किए बिना, अगर आपके वरिष्ठ नेताओं की सलाह से जो कुछ भी संभव होगा इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लूंगा। श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने उर्वरक के मुद्दे पर लगभग 15 प्रश्न दिए हैं। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखकर उन सभी 15 प्रश्नों के जवाब देने के लिए कहा है। क्या मैं 15 प्रश्नों को पढ़कर उनका जवाब दूं? उन्होंने 15 प्रश्न तैयार किए हैं।

मेरे विचार में उन दिनों एक वरिष्ठ न्यायविद प्रतिदिन 10 प्रश्न तैयार करता था। मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि, वे पूर्व विधि मंत्री हैं। श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान वे प्रतिदिन 10 प्रश्न पूछते थे। अगर आप प्रतिदिन 100 प्रश्न भी रखें, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने उन्हें भी गंभीरतापूर्वक लिया है।

मैं नम्रतापूर्वक यह स्पष्ट करना चाहूंगा—चाहे आप इसे पसंद करें या न करें—कि मैं भगवान में पूर्ण आस्था रखने वाला व्यक्ति हूं और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं मामलों का घालमेल नहीं होने दूंगा। मैं ईश्वर में पूर्ण आस्था रखने वाला हूं और इसलिए मैंने कहा कि मुझे भाग्य ही यहां लाया है। मुझे यह आशा कभी न थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और यह मेरी महत्वाकांक्षा भी नहीं थी। मेरे लिए इसमें उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। मुझे यह जिम्मेदारी संभालने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी।

नम्रतापूर्वक मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी कांग्रेसी नेता—चाहे आप विश्वास करें या न करें—ने अभी तक इस विशेष मसले पर मेरे साथ कभी कोई चर्चा नहीं की। मैं राष्ट्र के सम्मुख यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई मेरे पास नहीं आया। मैं कसम उठाकर कह सकता हूं कि इस मामले में अभी तक किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया और मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले में कुछ छिपाने के लिए नहीं कहा है। मैं इस सभा में अभी तक जो कुछ हुआ है, उसके बारे में सूचित करने आया हूं। मैं सभा को अभी यही जानकारी दे सकता हूं। उसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं बता सकता क्योंकि जांच के विभिन्न चरण होते हैं।

इस संबंध में जांच पूरी नहीं है तथा हमें इस धन एवं इसके अन्तिम छोर का पता लगाने के लिए अपने लोगों को भेजना है। थोड़े समय में ही अर्थात्, दो या तीन दिन के भीतर हम इस बारे में फैसला कर लेंगे। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के नेता ने इस फाइल को देखा था तथा इस पर हस्ताक्षर किए थे। 1987 में मेरे विरुद्ध भी दस्तावेजों की अनेक फोटोकापियां ली गई थीं। चन्द्रशेखर जी यहां बैठे हुए हैं। मेरा भाग्य मुझे यहां खींचकर लाया है। मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन उन्होंने बाहर से प्रयत्न किया है। यह एक अलग बात है। इसके विषय में चिन्ता मत कीजिए।

मुझे विभाग से वास्तव में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, मैं उसे पढ़कर सुनाऊंगा:

"नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एन.एफ.एल.) ने मैसर्स करसन लिमिटेड, अंकारा के साथ लागत एवं मालभाड़े के आधार पर 190 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की दर से 2 लाख मीट्रिक टन बोरे बंद यूरिया की आपूर्ति के लिए एक दीर्घावधि करार किया था। कुल 380 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के इस करार पर 9.11.1995 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री सी.के. रामाकृष्णन (24.5.1996 से निलम्बित) ने अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने स्तर पर इस सौदे पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी थी।

इस करार की शर्तों में कहा गया कि विक्रेता को शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जाएगा और उसे भुगतान के पांच महीनों की अवधि के भीतर यूरिया की आपूर्ति करनी थी। मैसर्स करसन लिमिटेड के अनुरोध पर एन.एफ.एल. ने 5.12.1995 को 370.62 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम उनके जिनेवा स्विट्जरलैंड स्थित पिक्टेट बैंक में उनके खाते में जमा करवा दी थी। इस करार मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर अर्थात् 0.38 मिलियन डॉलर की राशि 2.11.1995 को जारी की गई थी, ताकि विक्रेता लायड्स बीमा पॉलिसी प्राप्त कर सके, जो कि इस करार के निष्पादित न किए जाने एवं इसके साथ ही यूरिया की डिलिवरी न दिए जाने की स्थिति में जोखिम की क्षतिपूर्ति करने के प्रयोजन से रखी गई थी।

जनवरी, 1996 में एन.एफ.एल. ने भारत सरकार से माह फरवरी-अप्रैल, 1996 के बीच आपूर्ति की जाने वाली 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया के आयात के लिए मंजूरी मांगी। यह मंजूरी 29.1.1996 को प्रदान कर दी गई थी। 13.2.1996 को इस सौदे की मध्यस्थ एजेंसियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा के दौरान, एन.एफ.एल. उक्त करार के संबंध में पक्के शिपिंग ब्यौरे नहीं दे पाई थी। इसके पश्चात् इस मामले को एन.एफ.एल. के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के साथ बार-बार उठाया गया तथा उन्हें 16.2.1996 एवं 23.2.1996 को शिपिंग के अनुसूचित कार्यक्रम के ब्यौरे प्रदान करने तथा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं प्रक्रिया के विरुद्ध धनराशि का अग्रिम रूप में भुगतान किए जाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लेख करने के लिए भी कहा गया था। प्रबंध निदेशक, एन.एफ.एल. ने 6.3.1996 को इसका सिर्फ इतना ही अंतरिम उत्तर दिया था कि वह स्थिति का आकलन कर रहे हैं तथा पन्द्रह दिन के भीतर इसका जवाब दे देंगे। 20.3.1996 को प्रबंध निदेशक को पुन: स्मरण कराया गया, लेकिन उत्तर प्राप्त हो पाने से पहले ही, इस सौदे के बारे में 23.3.1996 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस समाचार पत्रों में अनेक लेख प्रकाशित हुए। तत्कालीन रसायन और उर्वरक मंत्री की मंजूरी से संबंधित पार्टी की विश्वसनीयता एवं इसके साथ ही इस कार्य के निष्पादन के प्रति उसके रुझान का मौके पर जाकर आकलन करने के लिए एन.एफ.एल. एवं विभाग के अधिकारियों के दल अंकारा, टर्की भेजने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, दो दल

रवाना किए गए थे, पहला दल जिसमें एन.एफ.एल. के नए कार्यकारी निदेशक (विपणन) तथा अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी, एन.एफ.एल. शामिल थे — 3.4.1996 को भेजा गया था। इस दल में बाद में संयुक्त आयुक्त (उर्वरक आपूर्ति एवं वितरण) भी शामिल हो गए थे। दूसरा दल—जिसमें एन.एफ.एल. के प्रबंध निदेशक तथा विभाग के निदेशक (सतर्कता) शामिल थे—17.4.1996 को वहां पहुंच गया था। वे 23.4.1996 को मैसर्स करसन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ आपस में बातचीत कर पाए। इन दलों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय दूतावास का भी दल की सहायता हेतु सहयोग लिया गया था। निदेशक (सतर्कता) के इस आकलन के आधार पर कि यूरिया की आपूर्ति नहीं की जाएगी, इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्री की मंजूरी प्राप्त की गई। 25.4.1996 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिए गए हवाले में यह कहा गया था कि इस मामले में सरकारी अधिकारियों की ओर से कोई आपराधिक षड्यंत्र एवं दुराचार हुआ प्रतीत होता है।"

इसके बीच की अवधि में, एन.एफ.एल बोर्ड ने 27.3.1996 को एक अपातकालीन बैठक बुलाई तथा यह पाए जाने के बाद कि यह सौदा संबंधित पार्टी की विश्वसनीयता का समुचित सत्यापन किए बिना अनावश्यक जल्दबाजी में किया गया है, खुफिया जांच करवाए जाने के आदेश दिए थे। एन.एफ.एल. के कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) ने इस मामले की जांच कर 11.4.1996 को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई थी कि समूचा सौदा गलत अवधारणा से किया गया था तथा उन्होंने यह सलाह दी कि यदि यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के लिए 4.5.1996 से पूर्व जहाज नहीं भेजे जाते, तो यह सारा मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाए।

एन.एफ.एल. के तत्कालीन प्रबंध निदेशक मई, 1996 के पहले सप्ताह तक यही आश्वासन देते रहे कि इस माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।

वास्तव में, विक्रेता से प्राप्त आश्वासनों एवं संदेशों के आधार पर, उन्होंने 29.4.1996 को यह सूचित किया कि तीन जहाज–जिनमें से कि प्रत्येक जहाज में 25,000 टन यूरिया लदा हुआ है–मई, 1996 में यहां पहुंच जाएंगे। तथापि, मई के महीने में ऐसा कोई जहाज नहीं आया। इससे उक्त पार्टी की नियत में बेईमानी के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। 15.5.1996 को इस मामले से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात सामने यह आई कि लायड्स बीमा पॉलिसी केवल एक समुद्री जहाजी बीमा है तथा इसमें विक्रेता द्वारा करार के निष्पादित न किए जाने का जोखिम शामिल नहीं है। इससे इस सौदे की जालसाजी की नियत साबित हो गई। 19.5.1996 को एन.एफ.एल. के कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास तुर्की के दो नागरिकों, टनके अलंकुस एवं निहान करंची—जो कि मैसर्स करसन लिमिटेड के क्रमश: मुख्य कार्यकारी एवं उपाध्यक्ष हैं–एवं उनके भारतीय एजेंटों श्री एम. सम्भाशिवा राव, श्री डी. एस. कंवर, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक (विपणन), एन.एफ.एल. के विरुद्ध एक आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई गई।

मंत्रिमंडलीय सचिव और मुख्य सतर्कता आयुक्त से परामर्श के बाद 24.5.1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनके पास उर्वरक विभाग का कार्यभार भी था, की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया था कि श्री सी. के. रामाकृष्णन को निलंबित कर दिया जाए और एन.एफ.एल. के प्रबंध

निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री ए.वी. सिंह को सौंप दिया जाए।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 27.5.96 को श्री सी.के. रामाकृष्ण के विरुद्ध एक नियमित मामला दर्ज करने के लिए सहमति मांगी क्योंकि वे एक बोर्ड स्तर के अधिकारी थे। आवश्यक सहमति 28.5.1996 को प्रदान की गई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक (विपणन) श्री सी.के. रामाकृष्ण और श्री डी.एस. कंवर को 1.6.1996 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद श्री एम. साम्भाशिव राव को गिरफ्तार किया गया था।

अग्रिम अदायगी की राशि की वसूली के लिए एन.एफ.एल. मैसर्स करसन लिमिटेड के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कामर्स में मध्यस्थ निर्णय का मामला दायर कर रही है। उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से इन्टरपोल को भी सावधान कर दिया है कि वे मैसर्स करसन लिमिटेड के उपर्युक्त संचालकों पर निगाह रखें।

यही रिपोर्ट मुझे मिली थी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी भी जांच की जा रही है और जांच पूरी हो जाने के पश्चात् मैं सारी आवश्यक सामग्री सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि जांच अभी चल रही है इसलिए मैं इसके अतिरिक्त और सूचना सदन को नहीं दे सकता हूं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके संबंध में मेरे पास जवाब तैयार हैं। तथ्यों को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक ने पूरा कार्यभार संभाला हुआ है जो कि पूरे जांच कार्य की निगरानी कर रहे हैं। उनके लोगों को बुलाया गया है और जांच चल रही है। इसलिए, इस स्तर पर मैं कोई और सूचना नहीं दे सकता जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती।

कल, कश्मीर के डोडा जिले में हुई हत्याओं के बारे में उल्लेख किया गया था। यह सभी जानते हैं, सभी वरिष्ठ नेता भी जानते हैं। वास्तव में, भा.ज.पा. के घोषणा–पत्र में भी यह कहा गया है कि इसे अशान्त क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए।

मैं अब कोई कड़ा कदम नहीं उठाना चाहता क्योंकि हम निकट भविष्य में चुनाव करवाने जा रहे हैं। इसे विपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने जैसा कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सभा को आवश्वस्त करना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके वहां विधान सभा के चुनाव करवाए जाएंगे और फिर निर्वाचित सरकार इस क्षेत्र का ध्यान रखेगी।

जहां तक ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने का संबंध है भारत सरकार इन अपराधों को कड़ाई से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। इन शब्दों के साथ मैं बहुत विनम्रता से इस सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देकर हमें अपना समर्थन दें।

धन्यवाद, महोदय।

पश्च टिप्पण

II. **मंत्रिपरिषद् में विश्वास का प्रस्ताव**

(i) **मंत्रिपरिषद् में विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा, 11 जून, 1996**

1. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद):** प्रधानमंत्री महोदय, आज सांय तक इस मुद्दे पर तथ्यों सहित उत्तर देने में आपको क्या परेशानी है? यह एक साधारण-सी बात है। विपक्ष के नेता ने आपसे अनुरोध किया है कि आज सांय तक तथ्यों सहित उत्तर दे दें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: जैसा कि मैंने आपको बताया, जांच अभी चल रही है। अत: संबंधित अधिकारी हैदराबाद में हैं। वे वापस आएंगे तथा सभी संबंधित दस्तावेज एवं पूरा विवरण देंगे। जब तक मुझे पूरी सामग्री नहीं मिल जाती, तब तक मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। मैं सभा को गुमराह नहीं करूंगा। इसी कारण मैं ऐसा कह रहा हूं। मेरा मन साफ है। मैं सारी सामग्री देना चाहता हूं।

(ii) **मंत्रिपरिषद् में विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर 12 जून, 1996**

1. **अध्यक्ष महोदय:** शांति, शांति रखिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैंने जो पहला निर्णय लिया था वह आरक्षण के बारे में था, श्री वाजपेयी ने कहा था।

अध्यक्ष महोदय: आप इस तरह क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हैं?

2. **एक माननीय सदस्य:** आप अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं इस पर बाद में आऊंगा।

3. **एक माननीय सदस्य :** हवाला के बारे में क्या है?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: कृपया मेरी बात सुनिए। मैं हवाला के बारे में जानता हूं। कृपया इसके बारे में परेशान न होइए। केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि आप भी हवाला में शामिल हैं। हवाला में सभी शामिल हैं। इस हवाला के बारे में तर्क न दीजिए। हवाला मामला किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। उस पर तर्क न दीजिए।

4. **श्री कांशीराम** (होशियारपुर): इस सभा में आपके 44 संसद सदस्यों की तुलना में मायावती के पास 69 विधायक थे।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: कांशीराम साहब, आपके पास एक महान क्रांतिकारी है। मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं केवल उनकी नीति का विरोध कर रहा हूं।

श्री प्रमोद महाजन: वह उस व्यक्ति पर आक्रमण कर रहे हैं जिसका वह सर्वाधिक सम्मान करते हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में सांविधिक संकल्प

10 और 12 जुलाई, 1996

(i) जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करते हुए

10 जुलाई, 1996

मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"यह सभा जम्मू और कश्मीर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी उद्घोषणा को 18 जुलाई, 1996 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 18 जुलाई, 1996 को समाप्त हो रही है तथा हम इसे थोड़े और समय के लिए बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि हम इस अवधि को छह महीने और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं फिर भी मैं इस महान सदन को यह बात सुस्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने वहां पर चुनाव यथासंभव शीघ्र कराने का निर्णय पहले ही ले लिया है। इस सिलसिले में, मैंने लगभग सभी विपक्षी नेताओं से चर्चा की है और उन्होंने भी जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि थोड़े और समय के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है।

विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों में से एक मुद्दा मतदाता सूची में कतिपय दोषों के बारे में था। हमने प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए हैं कि उनका संक्षिप्त संशोधन एक महीने की छोटी अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाए। कुछेक राजनैतिक दलों द्वारा व्यक्त की गई एक दूसरी आशंका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में थी। महोदय, मैं सेना और प्रशासन की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने संसदीय चुनाव के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का भरसक प्रयत्न किया। यदि मैं सेना तथा स्थानीय लोगों और चुनाव आयोग की प्रशांसा नहीं करता हूं, उन्हें धन्यवाद नहीं देता हूं तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहूंगा।

वहां की मतदाता सूची में जो भी थोड़ी बहुत खामियां हैं, उन्हें संक्षिप्त संशोधन में ठीक कर दिया जाएगा। लगभग दो लाख फार्मों का वितरण किया गया और 12,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण के लिए अपने-अपने पतों को देते हुए फार्म भर कर वापस कर दिए हैं।

हाल ही में मैंने कश्मीर का दौरा किया है। वहां के सभी स्थानीय राजनैतिक दलों ने इस बात पर सहमति जताई है कि जितनी जल्दी हो सके वहां चुनाव कराए जाने चाहिए। संक्षेप में मैं कह सकता हूं कि घाटी में लोग शांति चाहते हैं। वहां शांति केवल चुनाव कराकर ही लाई जा सकती है।

कुछ लोगों ने स्वायत्तता का मुद्दा उठाया है। हमने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी स्वायत्तता मुद्दे का जिक्र किया है। मैं पुन: इस सदन तथा उन अन्य राजनैतिक दलों को भी आश्वासन देना चाहूंगा जो मुझसे मेरे कश्मीर दौरे के दौरान मेरे ऊपर द्वारा कही गई बातों के सिलसिले में मिले थे। उस दिन मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जहां तक स्वायत्तता संबंधी मुद्दे का संबंध है, नई सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करना बेहतर होगा। महोदय, मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वे सभी इस बात पर राजी हो गए थे।

उस बारे में मैं लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हालांकि हमने राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढ़ाने की मांग की है फिर भी ज्यादा संभावनाएं इस बात की हैं कि चुनाव किसी समय सितम्बर में अथवा अक्तूबर के प्रथम सप्ताहांत के पूर्व ही करा लिए जाएंगे। तिथियों के बारे में अंतिम फैसला चुनाव आयोग द्वारा किया जाना है। मैंने इस महीने की 8 तारीख को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा में स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ाने का उद्देश्य यही है। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि चुनाव यथा संभव शीघ्र करवाए जाएंगे। तिथियों के बारे में निर्णय चुनाव आयोग द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा। मैं तिथियों की घोषणा नहीं कर सकता। मैं केवल यही आश्वासन दूंगा कि चुनाव जितना जल्दी हो सके, करवाए जाएंगे और यदि संभव हुआ तो सितम्बर में ही करवा लिए जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि वह संकल्प को अपना अनुमोदन प्रदान करे।

(ii) जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के बारे में संकल्प पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए

12 जुलाई, 1996

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। यद्यपि इस प्रस्ताव में छ: महीने का उल्लेख किया गया है, मैंने सभा को आश्वासन दिया है कि चुनाव सितम्बर अथवा अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में करवाए जाएंगे।

मैंने जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल तथा इस सभा के माननीय सदस्य के विचारों को सुना है जिन्होंने बीते समय की अनेक घटनाओं के बारे में उल्लेख किया है। हम उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं जब हमें उस राज्य को उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप देना चाहिए। बीते समय के बारे में चर्चा करने से कि वर्ष 1958 से 1996 तक क्या-क्या घटित हुआ, विश्व में अथवा जम्मू और कश्मीर राज्य में शान्ति नहीं लाई जा सकती है। यह मात्र एक निरर्थक प्रयास है, इससे आप केवल यह दिखा रहे हैं कि पिछली घटनाओं के बारे में कौन अधिक जानता है। इससे कोई हल नहीं निकलेगा। मैं अतीत की घटनाओं के बारे में ज्यादा विचार-विमर्श नहीं करना चाहता।

पहली बार मैंने कश्मीर का दौरा किया है। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इससे पहले मैं कश्मीर कभी नहीं गया था। जब पिछली बार मैंने कश्मीर जाने का निर्णय लिया था, तो

उसी रात आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। तब मैंने अपनी हवाई यात्रा टिकट रद्द कर दी और वापस बैंगलोर चला गया।

अपने दौरे के दौरान, मैंने विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। मेरी यात्रा का उद्देश्य था, प्राकृतिक आपदा के बारे में उस जगह जाकर अध्ययन करना और बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में वहां के अधिकारियों से बातचीत करना। उसके साथ ही, मैंने वहां के अधिकारियों तथा राज्यपाल को यह भी संकेत दिया था कि मैं वहां के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने के लिए भी उतना ही इच्छुक हूं, यदि वे वास्तव में मुझसे मिलना चाहते हैं। उनको कोई विशेष आमंत्रण नहीं दिया गया था। महोदय, मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि नेशनल कांफ्रेंस सहित सभी राजनीतिक दल सामूहिक रूप से मुझसे मिले और उनकी सर्वसम्मत मांग यह थी कि जम्मू और कश्मीर में शीघ्र चुनाव करवाए जाए। निश्चय ही, उनमें से एक राजनीतिक दल ने इस स्वायत्तता के प्रश्न पर मुझे प्रभावित करने का प्रयास किया। उसी बैठक में, जिसमें भा.ज.पा. सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, सभी इस बात से सहमत थे कि स्वायत्तता के प्रश्न, जिसका उल्लेख संयुक्त मोर्चा सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में भी किया गया है, की चर्चा इस समय नहीं की जानी चाहिए।

पहले हम चुनाव करवाते हैं। हम शीघ्र शान्ति चाहते हैं। हम पड़ोसी देश को इस बात की अनुमति नहीं देना चाहते कि वह कश्मीर के लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करें। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि "हम इस देश का हिस्सा हैं। हम इस देश का अविभाज्य अंग हैं। हम पुन: बाहरी ताकतों को इस बात का अवसर नहीं देना चाहते कि वे यहां के वातावरण को दूषित करें।"

यहां कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने अन्य देशों में दुष्प्रचार करने तथा गलत छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि जम्मू और कश्मीर में हुए संसदीय चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने विश्वभर में ऐसी धारणा उत्पन्न करने की कोशिश की है। मैं इस बात के लिए पिछली सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा कि अनेक राजनीतिक दलों द्वारा उनका बहिष्कार किए जाने के बावजूद उन्होंने चुनाव कराने का निर्णय लिया। उनके द्वारा यह सबसे उत्तम निर्णय लिया गया था। मैं कश्मीर के लोगों तथा इसके साथ ही वहां के प्रशासनिक तंत्र और वहां की सेना के लोगों की भी प्रशंसा करूंगा जिन्होंने मतदान केन्द्रों पर इतनी भारी संख्या में मतदान करवाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखा। मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार व्यक्ति इन चुनावों को ढोंग का नाम दे सकता है या फिर ऐसा कह सकता है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं थे।

मैं इस सभा के माध्यम से पूरे विश्व को यह बताना चाहता हूं कि विघटनकारी शक्तियों द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि इन चुनावों मे हेरा-फेरी की गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है।

बारामूला निर्वाचन क्षेत्र में 46.43 प्रतिशत मतदान हुआ था। श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 41 प्रतिशत मतदान हुआ था। जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 48 प्रतिशत मतदान हुआ था। लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 83.6 प्रतिशत मतदान हुआ था अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

में 51.14 प्रतिशत मतदान हुआ था। उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 53 प्रतिशत मतदाताओं ने मत डाले। समूचे विश्व के लिए यह एक संकेत है कि लोग अपनी सरकार चाहते हैं। हमें इन सारी बातों का विश्लेषण खुले मन से करना चाहिए।

मैं एक बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल जिनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूं– से पूछना चाहूंगा कि गुजरात में क्या हुआ। गुजरात में, विगत संसदीय चुनावों में मुश्किल से 39 प्रतिशत मत पड़े थे। लेकिन यहां एक ऐसा मामला है जहां किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, मतदान 42 अथवा 45 प्रतिशत से कम नहीं हुआ। यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि लोग अपनी स्वयं की सरकार चाहते हैं। अत: हम चाहते हैं कि राज्य विधान सभा के चुनाव यथासंभव शीघ्र हो जाने चाहिए। मेरी रुचि इस बात से नहीं है कि कौन जीतने जा रहा है, कौन पार्टी चुनाव में भाग लेने जा रही है और किस प्रकार की गठजोड़ वहां पर होंगे। इस मुद्दे पर मैं अपनी बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा। चाहे आप जीत रहे हों अथवा कांग्रेस जीतने जा रही हो या फिर जनता दल जीतने जा रहा हो, इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा संबंध तो सिर्फ इस बात से है कि वहां चुनाव अवश्य होने चाहिए और सत्ता लोगों के हाथ में जानी चाहिए। उसके बाद स्वायत्तता के प्रश्न पर चर्चा निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ की जा सकती है। वही ठीक और सही तरीका है। इस समय केन्द्र सरकार को किसके साथ बातचीत करनी चाहिए? मैं अलग-अलग राजनैतिक दलों के हितों को देखते हुए काम नहीं कर सकता। केन्द्र सरकार द्वारा स्वायत्तता किस सीमा तक दी जाए तथा कुछ अन्य सम्बद्ध मुद्दों के बारे में उन लोगों के साथ बातचीत करेगी जिन्हें लोगों का जनादेश मिलेगा। आपको पता है कि मेरे साथ की गई चर्चा के दौरान उन्होंने कैसा महसूस किया। आपकी पार्टी के नेता स्वयं वहां थे। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने अनेक बातें मुझे बतानी शुरू की अर्थात् विकास तथा इसी तरह की अन्य चीजों के स्तर पर उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। मैं आपको बताता हूं कि आज उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उन आम लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो अपनी रोजी-रोटी पर्यटन के जरिए कमाते थे। आज आम आदमी बेरोजगार है। उनके पास कोई रोजगार नहीं है। उनका जीवनयापन बहुत ही कठिनाई से हो पा रहा है। उन्होंने ईमानदारी से इस बात का एहसास किया है कि उन्हें सामान्य जनजीवन चाहिए। वे पुराने कश्मीर को वापस जाना चाहते हैं। उनके लिए उसका अपना गर्व है। लोगों को इस प्रकार का वातावरण चाहिए। उधमपुर से जम्मू तक का रेल मार्ग, विद्युत परियोजाएं और अन्य कई परियोजनाएं विभिन्न कारणों से ठप पड़ गई हैं।

सरकार इस बात को भरपूर महत्व देने तथा यह सुनिश्चित करने को तैयार है कि लोग यह महसूस करें कि यह केन्द्र सरकार जहां तक कश्मीर का मामला है, उसके बारे में कोई भी भेदभाव नहीं करने जा रही। चाहे जो भी वित्तीय बाधाएं हों, मैं इस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैंने यह आश्वासन दे दिया है।

*** *** ***[1]

जम्मू और कश्मीर घाटी अथवा हिन्दू पण्डितों और मुस्लिमों के बीच भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वे एक परिवार की तरह रहे हैं। वे एक साथ कैसे रहते आए हैं यह देखकर और सुनकर मैं अचम्भित रह गया, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि मैं कश्मीरी

लोगों की संस्कृति के बारे में सब कुछ जानता हूं। आज मुसलमानों ने गोमांस का सेवन करना बंद कर दिया है। वे गाय को एक पवित्र पशु मानने लगे हैं। वही वहां की परम्परा है। हिन्दू लोग सुअर का मांस नहीं खाएंगे। उन्होंने यह बात मेरी उपस्थिति में कही है। मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हूं। मैं आपको बताता हूं कि यह संस्कृति कैसे विकसित हुई है। आप जानते हैं, इस संस्कृति, इस पुरानी संस्कृति और दोनों संप्रदायों के बीच इस बन्धन को हमने यानी कि हम राजनीतिज्ञों ने तोड़ा है। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने इस सम्माननीय सभा से केवल यह वायदा किया है कि मैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की हर कोशिश करूंगा और यही चीज वे लोग चाहते हैं।

जहां तक चुनावी प्रक्रिया अर्थात् मतदाता सूची, इत्यादि में भूलचूक का संबंध है, मैंने राज्यपाल और मुख्यसचिव तथा अन्य अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों तथा साथ ही साथ समाचार पत्रों, इत्यादि के जरिए लोगों से अनुरोध करते हुए इस बात का समुचित प्रचार किया जाए कि वे लोग, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं, इस अवसर का लाभ उठाएं तथा अपने-अपने नामों को दर्ज करवा लें। मैंने राज्यपाल से दो अथवा तीन लाख और फार्मों को छपवाने तथा उन्हें विभिन्न राजनैतिक दलों को देने के लिए कहा है।

कुछेक उग्रवादी युवकों ने मुझसे संपर्क किया है। वे भी चुनाव में भाग लेने को तैयार हैं और उन्होंने अपनी कतिपय समस्याओं के बारे में बताया है। जब वे मुझसे मिले तो वहां पर राज्यपाल भी मौजूद थे अत: गुप्त बैठक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने राज्यपाल से अपने बगल में बैठने को कहा। मैंने उन युवकों से कहा कि आप पहले लोगों के पास जाइए, उनको अपनी निष्ठा का परिचय दीजिए और यदि जनता उन्हें वोट देती है तो उन्हें भी, जहां तक स्वायत्तता और अन्य मुद्दों का संबंध है, बातचीत के लिए बुलाया जाएगा।

हृदय परिवर्तन हुए हैं। पहले पड़ोसी देश द्वारा गुमराह किए गए कुछेक युवकों ने इसका एहसास किया है और वे समूचे जम्मू और कश्मीर राज्य में शांति स्थापित करने के लिए सहयोग करना चाहते हैं।

कतिपय क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों इत्यादि को लेकर कुछ त्रुटियां एवं भूल-चूक हुई हैं। ये सभी बातें वहां पर हैं। मैं सितम्बर के पहले इन सारी चीजों को ठीक नहीं कर सकता। इसमें समय लगेगा और इसीलिए अभी हमें चुनाव को इसी रूप में होने देना चाहिए।

अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो बाद में इन सभी चीजों की जांच आगामी निर्वाचित सरकार द्वारा की जा सकती है। महोदय, जैसा कि मैं पहले वायदा कर चुका हूं, मैं चुनाव आयोग को पत्र लिखूंगा। तिथि का निर्धारण करना उनका काम है। भारत सरकार सभी आवश्यक इंतजाम करेगी। हम डोडा जिले अथवा अन्य किसी भी अशांत क्षेत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। हम अधिकतम सुरक्षा प्रदान करेंगे और चाहेंगे कि आगामी चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाता अपने मतों का प्रयोग करें।

*** *** ***2

पश्च टिप्पण

III. **जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में सांविधिक संकल्प**

(i) **जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करते हुए, 10 जुलाई, 1996**

कोई टिप्पण नहीं।

(ii) **जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के बारे में संकल्प पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए, 12 जुलाई, 1996**

1. **श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर):** इसके साथ साथ लद्दाख और लेह के बीच भी कोई भी भेदभावना नहीं होना चाहिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: बिल्कुल ठीक बात है।

2. **श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़):** आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वहां से अपना घर द्वारा छोड़कर अन्यत्र गए लोग अपना मत डालें?

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: यह मुद्दा दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में उठाया गया था जिसमें श्री वाजपेयी भी शामिल थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां मतदाताओं की संख्या लगभग 96,000 है। इस बार हुए, संसदीय चुनावों में करीब 30,000 लोगों ने वोट डले थे। उस समय कुछ भ्रम की स्थिति थी जब यह बात सामने आई कि यह कौन सत्यापित करेगा कि वे कश्मीर छोड़कर आए हैं। हमने डाक द्वारा मत देने की व्यवस्था को भी सरल बना दिया है। किसी प्रकार की बाधा का कोई सवाल ही नहीं होगा। हमने व्यवस्था को सरल बना दिया है और जो कोई भी डाक द्वारा अपना मतदान करना चाहता है, उसे यह व्यवस्था दी जाएगी। उन लोगों को भी किसी किस्म की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : जब तक आप उन्हें कोई मौका नहीं देंगे वे अपना वोट किस प्रकार डालेंगे? उदाहरणार्थ वे दिल्ली में बैठे हैं। वे अपना नाम शामिल करवाने के लिए फार्म भरने हेतु कश्मीर घाटी नहीं जा सकते हैं। आप को दो चीजें करनी होगी। आप उन्हें दिल्ली में वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। वे फार्म भर सकते हैं और आप उनका सत्यापन कर सकते हैं। वह पहली चीज है। मतदान की डाक व्यवस्था से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आप उनके दिल्ली अथवा कलकत्ता अथवा चंडीगढ़ में या जहां कहीं भी वे हैं, वहां पर मतदान केन्द्र क्यों नहीं बनवाते हैं? उन्हें वहां जाकर मतदान करने दीजिए। 93,000 में से केवल 23,000 मतदाताओं ने अपने मत डाले।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : मतदान केन्द्र कहां बनाए जाने हैं, कितने बनाए जाने हैं, इन्हें देश के बाहर या कश्मीर के बाहर बनाया जाना है, ये सब बातें चुनाव आयोग की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती हैं। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। आपकी बात पर भी पूरा गौर किया जाएगा। मैं बहस नहीं करने जा रहा। जहां तक कश्मीर के बाहरअथवा कश्मीर के भीतर मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करने का संबंध है, यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर छोड़ी गई है। मैं चुनाव आयोग के अधिकारों का अति॰ मण नहीं कर सकता हूं। मैं केवल एक सुझाव भर दूंगा।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : हम चुनाव में उनकी भागीदारी चाहते हैं और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री ने आपकी बात पर पूरा गौर किया है।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा-पूर्व) : आप चुनाव का पहला दौर दिल्ली में, दूसरा दौर जम्मू में और डाक द्वारा मतदान का तीसरा दौर श्रीनगर में करवा सकते हैं। यदि इस तरह से चुनाव सम्पन्न हों तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : आप इसे भली भांति जानते हैं। आपने उस प्रणाली का प्रयोग किया है। आपने उग्रवादियों के साथ जो बातचीत की है, उसके बारे में भी कृपया सदन को विश्वास में लीजिए। आपने सदन के भीतर यह बात कही है कि आपने उग्रवादियों से बातचीत की है। उग्रवादियों के किस समूह ने आपसे बातचीत की है? वे बातचीत क्या थीं? आपने उग्रवादियों से बातचीत की है लेकिन आपने उग्रवादियों से प्रभावित परिवारों से बातचीत नहीं की है। प्रधानमंत्री द्वारा यह कथन कि उन्होंने उग्रवादियों से बातचीत की है, एक बहुत ही गंभीर मामला है। कृपया सदन को विश्वास में लीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं प्रत्येक परिवार से अलग-अलग तो बात नहीं कर सकता।

श्री सत्य पाल जैन : लेकिन आपने उग्रवादियों से बातचीत की है। वे बातें क्या थीं? मुद्दे क्या थे?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : आपको कम से कम यह बात समझनी चाहिए कि नौ वर्ष के बाद एक प्रधानमंत्री ने वहां जाने का साहस किया है।

श्री सत्य पाल जैन : हम उसकी सराहना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि शाम के 7.30 बज चुके हैं। इतना काफी है।

श्री सत्य पाल जैन : आप स्वायत्तता के बारे में बात कर रहे हैं स्वायत्तता से आपका क्या तात्पर्य है?

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : जो भी स्वायत्तता दी जाएगी, वह संविधान के ढांचे के भीतर होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि हमें इन ब्यौरों में जाने की कोई जरूरत है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं उस तरफ बैठे अपने मित्रों सहित इस महान सदन को केवल आश्वासन दे सकता हूं कि मैं वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और यदि संभव हुआ तो सितम्बर माह में अथवा अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव करवाने के लिए कदम उठाऊंगाए। इस आश्वासन के साथ, मैं उन सबसे इस संकल्प को सर्वसम्मति से अपना समर्थन देने का अनुरोध करता हूं।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में

15 जुलाई, 1996

महोदय, मैं आपकी अनुमति से भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता सहित सदन के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि एक क्षण के लिए भूल जाएं कि यह मिली-जुली सरकार है और यह सरकार 13 दलों की मिली-जुली सरकार है और इस सरकार का समर्थन एक बड़ी पार्टी कर रही है। मैं सदन के सत्र आरंभ होने से पांच दिन पहले पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाये जाने के सरकार के निर्णय के पक्ष में तर्क पेश करूंगा। हमें इस मामले को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। सरकार के इस निर्णय के बारे में हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए।

औचित्य के बारे में आपने विनिर्णय दे दिया है। मैं आपके निर्णय पर आपत्ति नहीं उठाना चाहता। मैं उसे सिर झुका कर स्वीकार करूंगा। जब माननीय अध्यक्ष ने उस पुणीत पीठ से अपना निर्णय दिया है तो हमें अध्यक्षपीठ के निर्णय का आदर करना चाहिए। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपने निर्णय का अपनी सरकार के निर्णय का औचित्य सिद्ध नहीं करना चाहता। महोदय, यदि आप पिछले इतिहास को देखें और पता लगाएं कि माननीय अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षपीठ से कितनी बार पिछली सरकारों के निर्णयों के बारे मे विनिर्णय दिए गए हैं जिन सरकारों के पास दो-तिहाई बहुमत था और उस समय किस प्रकार बजट सत्र से पहले प्रभावित भावों में वृद्धि की गई थी।

इस सरकार ने इतनी जल्दबाजी के साथ यह निर्णय क्यों किया या बजट सत्र के 6 दिन या एक सप्ताह पूर्व यह निर्णय क्यों किया? किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें सारी स्थिति को ध्यान में रख लेना चाहिए।

हमारे सामने समस्या वही थी जो पिछली सरकार के सामने थी। वही उसका हमारे वरिष्ठतम नेता, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के सामने थी।

मैं जसवन्त सिंह जी का सबसे अधिक आदर करता हूं। जब भी वह बोलते थे मैं वहां बैठकर बड़े ध्यान से उनके भाषण को सुनता था। कई बार मैं कुछ शब्दों व अभिव्यक्तियों को समझ नहीं पाता था। जहां तक अंग्रेजी का संबंध है मुझे उसका अच्छा ज्ञान नहीं है परन्तु मैं उनका भाव समझ जाता था जो वे इस सदन से राष्ट्र को बताना चाहते थे।

उनके लाभ के लिए मैं उनके ही शब्द उद्धृत कर रहा हूं जो उन्होंने पिछली सरकार के सामने जब यह मामला आया था तो उस समय कहे थे। जब वित्त मंत्रालय को यह फाइल भेजी गई थी तो वित्त मंत्री ने उस पर सबसे अंत में यह विचार व्यक्त किया था कि:

> "प्रथम दृष्टया यह अनिवार्य लगता है कि पूल के घाटे को समाप्त करने के लिए पीओएल में तत्काल वृद्धि जरूरी है।"

वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने यह विचार व्यक्त किए थे। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्होंने यह विचार वित्त मंत्रालय से लिया था।

मैं अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता का बहुत आदर करता हूं। महोदय मैं उनका सम्मान करता हूं। वित्त मंत्री ने भी टिप्पणी की है कि तेल पूल का संचयी घाटा पिछले साल के 5,700 करोड़ रु. से बढ़ कर इस साल के अंत तक 11,700 करोड़ रु. हो जाने की संभावना है और इस कारण उस पूल घाटे को दूर करने के लिए तत्काल पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करना जरूरी था। मैं कुछ शब्दों को पुन: पढ़ रहा हूं "पूल घाटे को दूर करने के लिए तत्काल"। पूल घाटा कितना था? पिछले साल के लिए यह घाटा 5,700 करोड़ रु॰ था और 1996-97 में घाटा बढ़ कर 11,700 करोड़ रु॰, हो जाने का अनुमान था। "अगर इन मुद्दों पर कार्यवाही अलग से की जाएंगी, कोई ओ.ई.बी. वित्त मंत्रालय द्वारा यथास्वीकृत, मंजूरी हेतु प्रस्तुत है"। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी और यह भी निर्देश दिया कि वित्त मंत्रालय, जिसके प्रमुख श्री जसवंत सिंह है, द्वारा की गई टिप्पणी पर कार्यवाही की जाए। मैं यहां पर राजनीति को नहीं जोड़ना चाहता। इस बात को भूल जाएं कि यह 13 पार्टियों की सरकार और आपका भी इसे समर्थन है। मैं दिल्ली में नौकरी की खोज में नहीं आया हूं। मेरा स्वभाव पूरी तरह से अलग प्रकार का है। मेरे ऊपर तो यह थोपा गया है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं आप कहीं भी हों। भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। यदि भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। यदि भाग्य आपके साथ है तो आप इस पद पर बैठ सकते हैं अन्यथा कोई और बैठ सकता है। परंतु मुद्दा यह नहीं है। जब आप एक वरिष्ठ सांसद के रूप में आक्रमण करते हैं तो मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूं। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आप की तुलना में मैं बहुत अदना व्यक्ति हूं। तेल पूल लेखों के घाटे को दूर किया जाना था। यह आपका निर्णय था और मैंने उसका पालन किया है।

*** *** ***[1]

कृपया मेरी बात सुने। कुछ दिन पहले जब आप बोल रहे थे तो अन्य माननीय सदस्यों ने मेरे ऊपर इतने प्रहार किए। मैं धीरज के साथ उनकी बातें सुनता रहा। मैंने तो किसी भी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। मैं तो सारे अपमान को चुपचाप सहन कर गया था।

श्री जसवन्त सिंह जी, आपकी समिति ने संसद द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिश की थी कि रसोई गैस पर सब्सिडी को धीरे-धीरे कम कर दिया जाए। आप इस समिति के अध्यक्ष थे। मुद्रास्फीति के बारे में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से बातचीत करते हुए आपने कहा था कि मुद्रास्फीति की दर को प्रशासित भावों को न बढ़ा कर अप्राकृतिक ढंग से कम रखा गया है। इसके आगे आपने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में विशेषरूप से ऐसा है क्योंकि तेल पूल लेखे में 6,000 करोड़ रु. का घाटा है। यह आपने संवाददाता को बताया था।

मैं सदन को और इस सदन के माध्यम से राष्ट्र को उन परिस्थितियों के बारे में बताना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप मुझे समर्थन करें। मैं पूरा दोष अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। परन्तु कम से कम इस सदन के जरिए मुझे राष्ट्र को तो बताना होगा कि यह निर्णय मैंने किन परिस्थितियों के अन्तर्गत किया है। इतनी तो मुझे आजादी है।

17 जून को एक रिफाइनरी ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को कच्चे तेल की सप्लाई के लिए एफ.ओ.बी. अदायगी के रूप में 49 करोड़ रु. की अदायगी स्थगित कर दी गई है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि अन्य सप्लायर्स को अदायगियों में विलम्ब के कारण प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचता है। यदि ओसीसी के द्वारा इस तरह की आगे छंटनी की जाए तो उससे सीआईएल को गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनके कारण रिफाइनरी का संचालन रुक भी सकता है एक रिफाइनरी के चैयरमैन तथा प्रबंध निदेशक ने पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव को ऐसी चेतावनी देने वाला एक पत्र भी लिखा। तेल शोधक अनेक कारखानों और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। मैं केवल एक मामले का उदाहरण देता हूं क्योंकि मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इसमें कहा गया है:

"हमें डर है कि यदि यह स्थिति जारी रही तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को आयात के लिए विदेशी मुद्रा अदायगियों और अपने ऋणों की अदायगी करने में भी दिक्कतें आएंगी जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी साख पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।"

उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय से शीघ्र निर्णय के लिए लगातार जोर डाला। कुछ लोगों का कहना है कि मैंने सब से बड़ी गलती की है। अभी भी मार्च 1997 तक घाटा 4,700 करोड़ रु. से 5,000 करोड़ रु. के बीच होगा। यह अनुमानित आंकड़े हैं।

मैं सदन का ध्यान पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई पिछली मूल्य वृद्धियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इस संबंध में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई अब तक की वृद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। वर्ष 1979 में इसी सदन में 28 फरवरी को बजट पेश कर दिए जाने के बाद 1 मार्च, 1979 को श्री मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, एच.एस.डी के मूल्य में 8.5 प्रतिशत, मिट्टी के तेल के मूल्य में 8.3 प्रतिशत तथा रसोई गैस के मूल्य में 9.2 प्रतिशत वृद्धि की गई थी।

जब स्वर्गीय श्री चरण सिंह प्रधानमंत्री पद पर असीन हुए तो 17 अगस्त, 1979 को इस सदन में बजट पारित किए जाने के 6 महीने बाद रसोई गैस के मूल्य में 20.4 प्रतिशत वृद्धि की गई।

जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थीं। 13 जनवरी, 1981 को, बजट 28 फरवरी, 1981 को पेश किया गया था। रसोई गैस के मूल्य बजट से डेढ़ महीना पहले 17 प्रतिशत बढ़ाए गए और एच.एस.डी के मूल्य 18.9 प्रतिशत बढ़ाए गए। छह महीने के भीतर अर्थात् 11 जुलाई, 1981 दो साल के मध्य में, एच.एस.डी. के मूल्य फिर से 13.7 प्रतिशत बढ़ा दिए गए। यदि आप दोनों वृद्धियों अर्थात् 18.9 प्रतिशत और 13.7 प्रतिशत को जोड़ें तो एच.एस.डी. में ही कुल वृद्धि 32 प्रतिशत बैठ जाती है। रसोई गैस का मूल्य 13 जनवरी, 1981 को 17 प्रतिशत बढ़ाया गया और 1 जुलाई, 1981 को फिर से 14.5 प्रतिशत बढ़ाया गया था। यह कुल मूल्य वृद्धि रसोई गैस के मामले में 31.5 प्रतिशत बैठती है। मिट्टी के तेल के मूल्य 6 महीनों में दो किश्तों में 18.5 प्रतिशत बढ़ा दिए गए थे।

श्री राजीव गांधी के शासन काल के दौरान 1 फरवरी, 1986 को बजट 28 फरवरी 1986 को पेश किया गया था। रसोई गैस के मूल्य में 23.1 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई जिसमें बाद में कुछ कटौती कर दी गई थी।

*** *** ***2

मैंने आपको बताया है कि हमें यह निर्णय किन परिस्थितियों में करना पड़ा। हमारी मांगआपको भी वह बताई गई और मुझे भी बताई गई। 1994-95 में 655 लाख टन थी और यह बढ़कर 725 लाख टन हो गई है। चालू वर्ष के दौरान इसके बढ़कर 785 लाख टन हो जाने की संभावना है।

जैसा कि मैंने कुछ समय पहले आपको बताया इस मूल्य वृद्धि के बाद भी 31 मार्च, 1997 को 4,700 करोड़ रु. से 6,000 करोड़ रु. का घाटा शेष रह जाएगा।

हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। हम मिट्टी के तेल में 4,870 रु. की सब्सिडी दे रहे हैं। हम प्रति लीटर 4.17 रु. की सब्सिडी दे रहे हैं।

ऐसा कहा गया कि यह मध्य रात्रि को किया गया निर्णय है। यह मध्य रात्रि निर्णय नहीं है। हर बार जब प्रशासित मूल्य बढ़ाया जाना होता है, तो वह निर्णय 10.30 या 11.00 बजे के लगभग जब तेल पम्पों और पेट्रोल पम्पों के हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं, समय से लागू किया जाता है।

*** *** ***3

ऐसा नहीं है कि मैंने मध्य रात्रि निर्णय किया है। यह विभाग का निर्णय है। जी हां। इसे अगले दिन से लागू किया जाना चाहिए। इसी कारण वे अपने लेख बंद करने के बाद सम्बद्ध डीलरों को सूचित करेंगे। आज भी हम रसोई गैस के लिए सिलेंडर पर 62 रू. सब्सिडी दे रहें है।

*** *** ***4

यदि हम 250 रु. से कम मासिक आय वाले रसोई गैस प्रयोक्ताओं को देखें तो वह गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यह 3.8 प्रतिशत है। 750 रु. से 1,500 रु. की मासिक आय वाले लोगों की प्रतिशतता 25.9 है और 1,500 रु. से 2,500 रु. की आय वाले लोगों की प्रतिशतता 29.1 है तथा 4,000 रु. से ऊपर वाले 17.7 प्रतिशत हैं।

मैं यह आंकड़े सदन को बता रहा हूं।

*** *** ***5

भारत में रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि किए जाने के बाद भी इसके भाव 8.46 रु. प्रति किलो हैं जबकि पड़ोसी देश मलेशिया में भाव 16.12 रु. हैं, बंगलादेश में वह हम से अमीर हैं, भाव 13.50 रु. है, म्यांमार में 22.37 रु. है और श्रीलंका के भाव 13.4 रु. एवं थाईलैंड में रसोई गैस का भाव 15.4 रु. प्रति किलो है।

एच.एस.डी. के बारे में सड़क परिवहन में जिन्सों की ढुलाई पर कुछ असर जरूर पड़ेगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। सारे देश में सड़क परिवहन विभागों की कुल खपत 61.8 प्रतिशत है, रेलवे के लिए यह 4.3 प्रतिशत है, नौवहन के मामले में यह 0.4 प्रतिशत होता था, कृषि क्षेत्र में इसकी खपत 16.3 प्रतिशत है। औद्योगिक क्षेत्र में खपत की प्रतिशतता 17.2 प्रतिशत है। एच.एस.डी. की क्षेत्रवार खपत इस तरह है।

जहां तक वाहनों की संख्या की बात है डीजल कारों की संख्या 3,10,412 है, जीपों की संख्या 5,98,191 है और वाणिज्यिक वाहनों की संख्या 21,27,504 है।

मैं अब मोटर स्पिरिट की खपत के आंकड़े बताता हूं। देश में कुल 13676000 कारें हैं। कुल खपत 1,98,10,973 मीट्रिक टन है। मैंने क्षेत्रवार खपत तथा साथ में डीज़ल से चलने वाले वाहनों, कारों की संख्या तथा इस तरह की बातें बताई हैं। कुल खपत लगभग 1,98,10,973 मीट्रिक टन है।

*** *** ***[6]

यदि आपने उल्लेख किया है तो आपका धन्यवाद मेरे विचार से भारत को आर्थिक दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग ग्रामीण भारत है और दूसरा भाग शहरी भारत है। यह न समझें कि मैं शहरी लोगों के प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया रखता हूं अथवा ग्रामीण लोगों के प्रति नरम हूं। इस बात को भूल जाएं। मैं आपको केवल आंकड़े बता रहा हूं। मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास में ही रेलवे को 220 करोड़ रु. का घाटा सहन करना पड़ता है जिसके लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। यह उप-नगरीय गाड़ियों के लिए है।

श्री नीतीश कुमार जी, पोस्ट-कार्डों, रजिस्ट्रेशन फीस तथा अन्तर्देशीय पत्रों की बिक्री पर अकेले संचार विभाग में हम 600 करोड़ रु. की सब्सिडी दे रहे हैं।

इस सब का लाभ किसे मिल रहा है? यह लाभ जनता को मिल रहा है। बिहार में नरसंहार हुआ। मुझे वह खबर शनिवार को सुबह 7.30 बजे मिली। मैंने गृह मंत्री को कहा, "मैं आज दोपहर बाद उस स्थान पर जाना चाहता हूं जहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव से सम्पर्क स्थापित किया और उन्होंने दो घंटों में जानकारी प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि यद्यपि आप भारतीय वायुसेना के विमान से पटना तक जा सकते हैं। परंतु आप उस गांव तक हेलिकॉप्टर के जरिए भी नहीं पहुंच सकते। हम उस गांव से 2 मील की दूरी पर हैलीपैड की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको 2 मील पैदल चलना पड़ेगा।" यह भारत की असली तस्वीर है। आप उसी राज्य से हैं। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। 27 तारीख को क्या हुआ? मैं उस स्थान पर उसी दिन चाहता था क्योंकि वह छुट्टी का दिन था और सदन की बैठक नहीं थी। गृह सचिव ने मुझे बताया "आपको दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और हम आपको आज वहां आने की सलाह नहीं देते"। जैसा कि मैंने आपको बताया है आर्थिक दृष्टि से हम भारत को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग ग्रामीण भारत है और दूसरा भाग शहरी भारत है। हम समाज के विभिन्न वर्गों को कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। परंतु आपको उन लोगों के बारे में भी विचार

करना चाहिए जिनकी कोई आवाज नहीं है। यह सदन उन लोगों के लिए है जिनकी कोई आवाज नहीं है। मैंने जो निर्णय किया है उसे समाज के बहुत से सम्पन्न वर्गों द्वारा पसन्द नहीं किया जाएगा। मैं जानता हूं कि वे जनमत बनाने वाले हैं। वह इस सरकार के विरुद्ध अपना मत बना सकते हैं। परंतु मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि जब तक मैं यहां पर हूं मैं ग्रामीण जनता के हित के निर्णय करूंगा। मैं यह कहने को तैयार हूं। मैं इस पद से नहीं डरता। जब तक मैं यहां पर हूं मैं अपने निर्णायकों के हित के फैसले करूंगा। उन लोगों के हित में सोचूंगा जिनकी इन 48 सालों में उपेक्षा की गई है। निश्चित रूप से उन्हें अपना हक मिलना ही चाहिए। बहुत हो चुका।

मैं यह कहता हूं कि विपक्ष को सरकार पर आक्रमण करने का अधिकार है। विपक्ष ने जितनी भी कठोर भाषा का उपयोग किया मैंने अपने होंठ नहीं खोले। कुछ समय के लिए मेरी बात सुनें। हम सभी मानव हैं। हम यहां पर उन लोगों की चिंता के लिए भी भेजे गए हैं। यह देवेगौड़ा का एकाधिकार नहीं है। कृपया मुझे बोल लेने दें।

यदि मैं बंगलौर का उदाहरण दूं तो आप कहेंगे कि मैं हमेशा बंगलौर की बात करता हूं। हम दिल्ली में इस पर कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? 50 करोड़ रु. की सब्सिडी दी जा रही है। दिल्ली दुग्ध योजना के लिए लगभग 50 करोड़ रु. की सब्सिडी दी जा रही है। दिल्ली में बिजली की सप्लाई के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। दिल्ली में परिवहन पर 120 करोड़ रु. की सब्सिडी दी जा रही है।

इसको देखते हुए हमें मिल-जुल कर उन लोगों के बारे में विचार करना चाहिए जिनकी मूल जरूरतें हैं।

मैंने इस मूल्य वृद्धि से पहले मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। मैं उनके विचार सुनना चाहता था। मैंने अपनी पृष्ठभूमि के साथ स्वयं अपने हाथों से उस बैठक की कार्य-सूची तैयार की थी। मैंने सम्मेलन से 12 दिन पहले मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे कहा कि वे अपने विचार बनाकर आएं। मैं उनको सुनना चाहता था। हमने दो दिन तक बैठक की। आमतौर पर कोई भी प्रधानमंत्री 2 दिन तक सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। वह सम्मेलन का उद्घाटन करेगा और चला जाएगा। मैं यह इस कारण कह रहा हूं क्योंकि मैं लगभग पांच वर्ष के लिए कर्नाटक का कृषि मंत्री था और मैंने कृषि मंत्रियों के तीन सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और बाद में श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वे प्राय: उद्घाटन करते थे और चले जाते थे। मैं दो दिनों के लिए 16 घंटे के लिए वहां बैठा रहा क्योंकि मैं हर मुख्यमंत्री के विचार सुनना चाहता था। हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से सात क्षेत्रों को अर्थात् संचार, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक वितरण तथा मध्यान्तर भोजन को प्राथमिकता देने का फैसला किया।

आजादी के 48 वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश में लगभग 63,000 गांवों में से उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने यह आंकड़े दिए हैं और उसी के आधार पर मैं यह आंकड़े बता

रहा हूं, यह मेरे स्वयं के आंकड़े नहीं हैं - 35,000 गांवों में स्कूलों की इमारतें नहीं हैं। इस राज्य ने देश को 6 प्रधानमंत्री दिए हैं।

*** *** ***[7]

कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं है मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे केवल इस बात की चिंता है कि हम उन लोगों की कितनी सहायता कर सकते हैं। मुझे केवल यही चिंता है। इसी कारण मैंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। मुझे इस सदन को यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने, भाजपा के मुख्यमंत्रियों सहित राजनैतिक विचारों को भुला कर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करने में सहयोग किया कि उन बातों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए जो मैंने अभी बताया है। यह एक सम्बद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। सन् 2000 तक जो भी कमी है हमें चार साल में पूरी करनी है। यह हमारा निर्णय है। हम सर्वसम्मति से सहमत हुए हैं और मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हम इन क्षेत्रों हेतु आवंटन में हर साल 15 प्रतिशत वृद्धि करना चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार के आवंटन में हर साल 15 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। यह राशि राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे राज्य सरकारों का शासन भाजपा के हाथों में हो या कांग्रेस के या द्रमुक पार्टी के हाथों में हो। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होगी। मैं यह देखना चाहता हूं कि कम से कम अगले चार सालों में 21वीं शताब्दी के आरंभ होने से पहले इन क्षेत्रों में आम आदमी की मौलिक जरूरतों को पूरा किया जाए। यह हमारी चिंता है।

यदि हम इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए संसाधन कहां से लाएंगे। यह प्रश्न हमारे विपक्ष के नेता तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने पूछा था। उन्होंने पूछा "आपके मन में 101 योजनाएं हो सकती हैं किन्तु आप संसाधन कहां से लाएंगे?" मैं आम न्यूनतम कार्यक्रम का उल्लेख करके बता रहा हूं कि हम संसाधन कैसे जुटाएंगे। जब तक हम उन लोगों को नहीं छुएंगे जिनके पास फालतू पैसा है, यह संभव नहीं होगा। क्या वे रसोई गैस के सिलेन्डर के लिए 26 रु. और अदा नहीं कर सकते हैं?

*** *** ***[8]

आप जो करना चाहते हैं करें। वह आपका अधिकार है। मैं उसे कैसे रोक सकता हूं। आपको सदन के भीतर व बाहर मेरा विरोध करने का पूरा अधिकार है। कोई भी उसे नहीं रोक सकता। आपको जनता को यह बताने का पूरा अधिकार है कि यह ऐसा व्यक्ति है जो रसोई गैस प्रयोक्ताओं के प्रति विद्वेष रखता है। आप जाएं और जनता को यह बताएं। मैं आपको सदन के बाहर और सदन के भीतर अपना विरोध करने से नहीं रोकना चाहता। परंतु इस सदन के जरिए मैं सभी उपभोक्ताओं से अपने भाइयों और बहनों से यह अपील करता हूं कि इस वर्तमान संकट से निपटने के लिए इस सरकार के साथ सहयोग करें। मैं केवल इतनी अपील ही कर सकता हूं। मेरा मुख्य उत्तरदायित्व देश के सामने इस समस्या से निपटना है।

*** *** ***[9]

पश्च टिप्पण

IV. **पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में, 15 जुलाई, 1996**

1. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को टोकना नहीं चाहता था।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं आपको बोलने का मौका देता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम पदार्थों में जो महंगाई बढ़ रही है, जो अभाव हो रहा है, उसमें मामला पीछे पड़ा है। उसके खिलाफ वर्षों से हम प्रतिपक्ष के नाते चेतावनी देते रहे हैं लेकिन मैंने अपने आदेश में नहीं कहा कि पार्लियामेंट का सैशन बुला लीजिए। पांच दिन पहले वृद्धि का ऐलान कर दिया जाए, यह फैसला आपका फैसला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, विपक्ष के नेता तथा श्री जसवन्त सिंह को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन्होंने भारी वृद्धि किए जाने की सिफारिश की थी।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मेरे से एक प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा गया है तुरन्त मैं इसका उत्तर तभी दूंगा जब आप मुझे अनुमति देंगे।

महोदय, इसमें दो बाते हैं। पहली तो फाइलों पर लिखी टिप्पणियों के बारे में है। क्या फाइलों में लिखी टिप्पणियों पर यहां चर्चा की जा सकती है। यह एक अलग मामला है।

दूसरी बात यह है कि मेरे वरिष्ठ मित्रों ने मेरे से पूछा है कि क्या मैंने अचानक इतनी अधिक मूल्य वृद्धि की कोई सिफारिश की थी। महोदय नहीं। मैंने निश्चित रूप से इस बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी कि घाटा बढ़कर 11,000 करोड़ रु. या अधिक हो जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब तो सारा भेद खुल गया है।

श्री जसवन्त सिंह : यह अनुमान है। निश्चित रूप से यह रिकॉर्ड पर है कि यदि सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति परेशानी वाली हो जाएगी। परंतु वह सुधारात्मक कदम 30 प्रतिशत वृद्धि करने का है यह निश्चित रूप से हमारी टिप्पणी में नहीं है। हमने ऐसा करने के स्थान और संसद के बजट सत्र के समय पर ऐसा करने के स्थान पर कोई न कोई विकल्प निकाला होता। मैं यह इस कारण कह रहा हूं क्योंकि यह मामला यहां पर उठाया गया है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यह विचार 25.5.1996 को अर्थात् लगभग 20 दिन पहले व्यक्त किया गया था। मैंने पदभार 1 जून, 1996 को ग्रहण किया था और संसद में यह सिद्ध किया जाना था कि सरकार को बहुमत हासिल है अथवा नहीं। अत: मैं अगले 12 दिन तक इस फाइल को नहीं देख सका। मैं इस निर्णय का बचाव करने के लिए ही वरिष्ठ नेताओं का नाम इससे नहीं जोड़ रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो वाद-विवाद में जीतने के लिए इस तरह कह रहे हैं।

2. **श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर)** : कटौती कितनी थी?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यह 9 प्रतिशत थी।

श्री संतोष मोहन देव : उन्होंने मूल्य बढ़ाया और बाद में घटा दिया।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं इस ओर भी आ रहा हूं। इसी कारण मैंने कहा है कि हम पार्टी की बातों को भूल जाएं। हमें देखना है कि हम वर्तमान संकट को किस हद तक दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं। बहुत सी अन्य समस्याएं हैं और हमें उनके बारे में मिल-जुल कर सोचना है। वर्ष 1991 में एच.एस.डी. के भाव नहीं बढ़ाए गए। 25 जुलाई, 1991 को रसोई गैस के भाव 20 प्रतिशत बढ़ाए गए थे; 16 सितम्बर, 1992 को इसमें 24.1 प्रतिशत वृद्धि की गई और 12 जनवरी, 1994 को इसमें 20.6 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई। तीन सालों में रसोई गैस के भावों में कुल मिलाकर 64.6 प्रतिशत वृद्धि की गई है। बाद में भावों में 6.9 प्रतिशत कटौती कर दी गई। इसका अर्थ है कि तीन साल में अकेले रसोई गैस में 58 प्रतिशत वृद्धि की गई है। आप सब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को आम आदमी की समस्याओं की कोई जानकारी नहीं है। मैं इस सारी आलोचना को सुनने को तैयार हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सदन में इस ओर बैठे लोग वास्तविक भूमि पुत्र है।

3. **श्री हरिन पाठक** : उनमें वृद्धि करनी होती है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं इसे मानता हूं। मेरा इस पर कोई विवाद नहीं है। मैं मानता हूं कि यह सब कुछ होता है।

4. **श्री नीतिश कुमार (बाढ़)** : अगर 62 रू. सब्सिडी है तो एल.पी.जी. पर सब्सिडी को बंद कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : बंद कीजिए का अर्थ है पूरी तरह से खत्म करना। यदि आप इसे पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं तो जब इस सरकार के गिरने के बाद आप सत्तारूढ़ हों तब आप ऐसा कर सकते हैं।

5. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी**: यह सर्वेक्षण किस ने किया है?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यह विभाग के द्वारा किया गया है। किसी समाचार एजेंसी ने नहीं किया है।

6. **श्री नीतीश कुमार** : ट्रैक्टरों की क्या स्थिति है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैंने आपको बताया कि कितने किसान इनका उपयोग कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब भी किसी वस्तु के भावों में वृद्धि की जानी होती है तो उसका भार कुछ वर्गों पर पड़ना स्वाभाविक है। मैं इस पर विवाद नहीं पैदा कर रहा। परंतु इसके साथ ही हम अन्य लोगों के बारे में भी सोचें। नीतीश जी। मैं सोचता था कि आप कृषक वर्ग से हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने इसे छोड़ दिया है। वह अब मन्दिर बनाने के काम में लग गए हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं उनका बहुत आदर करता हूं। श्री नीतीश कुमार जी मैंने आपका भाषण सुना है हालांकि मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था। मैं आपके भाषण को पूरी तरह से समझ नहीं सका क्योंकि आप हिन्दी में बोले थे। परंतु मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आपने इस सरकार के द्वारा दी गई उर्वरक सब्सिडी के बारे में कम से कम एक शब्द भी नहीं कहा है।

श्री नीतिश कुमार : मैं इसकी सराहना करता हूं। परंतु श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने इसकी पूरी जानकारी नहीं दी है।

7. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** (झांसी) : सब इन्होंने चौपट कर दिया।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : आप जवाब दें, आपने क्या किया है?

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : इसके लिए आप जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाएं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : महोदय, 1.18 लाख गांवों में कोई सड़क नहीं है। यह आंकड़े राज्य सरकार ने दिए हैं।

श्री हरिन पाठक : हर कोई जानता है कि 48 साल व्यतीत हो चुके हैं। परंतु इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

श्री श्याम बिहारी मिश्र : उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के सदस्य मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या किया?

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाज़रा (पटियाला) : क्या आपने डीजल के भाव बढ़ाने का निर्णय करके ग्रामीण लोगों की सहायता की है?

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। कृपया।

8. **श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पूछें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं हरेक से पूछूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमें राजनीति को इसमें नहीं लाना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे विचार तो सिद्धांतों पर आधारित हैं। आपके नहीं हैं।

श्री हरिन पाठक : क्या सिद्धांत? इस तरफ से उस तरफ जाना।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं इन उत्पादों के प्रयोक्ताओं से अपील करता हूं कि वे भी तेल पूल लेखे में वर्तमान घाटे को पूरा करने में सरकार से सहयोग करें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

9. **श्री हरिन पाठक** : यह कटौती की स्लिप है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : हम डीजल में 15 प्रतिशत कटौती कर चुके हैं। किसी और कटौती का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आजकल लकड़ी के भाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : आपके पास सरकार का विरोध करने के लिए बहुत समय है।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं जनता के सभी वर्गों से अपील करता हूँ कि हमने जो अभी निर्णय किया है उसके लिए सरकार से सहयोग करें।

गन्ना किसानों के बकायों का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में

18 जुलाई, 1996

मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों का स्वागत करता हूं। जब यह मामला उठाया गया था मैं एक बैठक में था और मुझे थोड़ी देर हो गई।

महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो गन्ना उत्पादकों की जो भी बकाया राशि है उसके बारे में मैं स्पष्ट बात कहता हूं। जहां तक गन्ना उत्पादकों का सम्बन्ध है, जिस बात में आप रुचिकर हैं उसी में हम भी रुचिकर हैं। अत: यहां पर लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं है।

मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि कार्यभार संभालने के पश्चात् सब से पहले मैंने अपनी बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, गन्ना आयुक्त और उद्योग सचिव से की थी। मैंने उन्हें बुलाया था और दो दिन तक उनसे बैठक की थी। गन्ना उत्पादकों की 900 करोड़ रुपये की राशि बकाया है और उन्हें बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन चीजों के बारे में कहने वाला कोई नहीं है, न ही उन्हें कोई इनके बारे में बताता है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताता हूं। पिछले डेढ़ वर्ष से राज्य में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। पिछले लगभग दो वर्षों से राज्य में राष्ट्रपति का शासन है।

मैंने एक निर्णय लिया है। इतना ही नहीं मैं लखनऊ गया था और वहां बैठक की थी। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 900 करोड़ रुपये में से पहली किस्त के रूप में एक महीने के भीतर 450 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। मैंने निर्णय लिया है कृपया मुझे सुनें। यदि मुझे पता होता कि यह मामला यहां उठने वाला है। तो मैं सारे ब्यौरे ले आता।

मुझे यहां लगा है कि कुछ फैक्टरियां बैंकों से धन लेने के बारे में सहयोग नहीं कर रही हैं। मैंने बैंक के लोगों को भी बुलाया था और उन्हें कहा था कि वे विभिन्न चीनी मिलों में जमा भण्डार पर अग्रिम धन दें। परन्तु दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में जो तरीका अपनाया जाता है वह अन्य राज्यों में अपनाए जाने वाले तरीके से अलग है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कर्नाटक में, मुझे गलत मत समझें–800 करोड़ रुपये मूल्य की चीनी फैक्टरियों में पड़ी है वहां पर भण्डार जमा हो गए हैं। वहां पर 28 अथवा 29 चीनी फैक्टरियां हैं। परन्तु वहां पर बकाया राशि का कोई प्रश्न नहीं है। हमने गन्ना उत्पादकों को देय लगभग सभी राशि का भुगतान करने का प्रयास किया है। जहां-जहां, 15 लाख, 20 लाख अथवा एक करोड़ रुपए की राशि बकाया हो सकती है। मुख्यमंत्री के नाते मैंने सभी बकाया राशि का भुगतान करने का प्रयास किया था।

इस बार उन्होंने अतिरिक्त गन्ने का उत्पादन किया है। अत: मैं चाहता हूं कि पेराई की समस्या है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश सभी जगह यह समस्या है। यही कारण है कि हमने उन सभी लोगों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है जो निजी क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र में चीनी की फैक्टरियां लगाना चाहते हैं। हम एक पैसा भी बकाया नहीं रखना चाहते। मैंने अपने साथी खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री को इस बारे में अनुदेश दिये हैं। हम किसी भी फैक्टरी की स्थापना को रोकने अथवा उसमें विलम्ब करना नहीं चाहते। हम सभी परियोजनाओं को मंजूरी देना चाहते हैं।

*** *** ***[1]

कुछ समस्याएं हैं निर्णय लेने से पूर्व मुझे सहकारी क्षेत्र में स्थापित चीनी फैक्टरियों के हितों को भी ध्यान में रखना है। चाहे यह महाराष्ट्र हो अथवा उत्तर प्रदेश, गन्ने की स्थिति जाने बिना चीनी फैक्टरियों की अन्धाधुन्ध स्थापना से सहकारी क्षेत्र को नुकसान होगा। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है। इससे पूर्व कि हम लाइसेंस खत्म करें हमें लाइसैंसिंग खत्म करने की जटिलताओं के बारे में पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए। यही कारण है कि मैंने इस बारे में निर्णय नहीं लिया है। मामला सरकार के विचाराधीन है। परन्तु एक बात है जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। राज्य सरकारों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस धारणा में न रहिए कि सारा बोझ केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

कर्नाटक में मैंने गन्ना उत्पादकों को 42 करोड़ रुपए की राहत देने का निर्णय लिया है। वित्तीय बाधाओं के बावजूद मैं किसानों की सहायता करने से कभी नहीं हिचकिचाया हूं। यद्यपि मैं यह नहीं बताना चाहता तथापि अन्य राज्यों को भी यही तरीका अपनाना चाहिए जो हमने अपनाया है। हमने ऐसा किया है और उत्तर प्रदेश में मैंने वित्त सचिव तथा बैंकिंग सचिव को स्टाक गिरवी रखकर चीनी फैक्टरियों को कुछ धन देकर उनके साथ सहयोग करने के लिए राजी कर लिया था परन्तु राशि सहकारी समितियों को चली गई। वे वहां पर बिचौलिए हैं। राशि गन्ना उत्पादकों को नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में तरीका अलग है। यह क्या तरीका है जो कि मुझे केवल अभी पता चला है। यह बिल्कुल भिन्न है। राशि सीधे चीनी मिलों से गन्ना उत्पादकों को नहीं मिल रही है। वहां सहकारी समितियां बिचौलियों का कार्य कर रही हैं। वे धन वितरित करते हैं। यह प्रबन्ध किए जाने के बाद फैक्टरियों से क्या दिया जाना है? मैं यही कहना चाहता हूं। उन्हें उसका भुगतान करना होता है। गन्ना उत्पादकों और फैक्टरी के बीच बिचौलिये होते हैं। एक अन्य संगठन और वह है सहकारी समिति।

*** *** ***[2]

मैं जानना चाहता हूं। मैं पद्धति पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। मैं उस पद्धति की जांच करूंगा कि क्या यह गन्ना उत्पादकों के लिए लाभदायक है अथवा इस से किसानों को सहायता नहीं मिलेगी। सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से जांच करेगी और यदि यह किसानों

के लिए लाभदायक नहीं है तो हम बिचौलियों से बचना चाहेंगे। प्रत्यक्ष रूप से गन्ना उत्पादक जो माल फैक्टरी को दे रहा है उसका मूल्य उसे भी निश्चित करना चाहिए। मैंने मुख्य सचिव को इसकी जांच करने के लिए कहा है क्योंकि मैं सीधे कोई निर्णय नहीं ले सकता। जब तक चुनाव नहीं हो जाते मुझे मुख्य सचिव और राज्यपाल के माध्यम से ही इस मामले से निपटना है। चुनाव के पश्चात् यदि आप सत्ता में आ जाते हैं तो हम देखेंगे कि आप क्या करते हैं और यदि हम सत्ता में आते हैं तो आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं।

इसी बीच यह सरकार अन्धी नहीं है। यह सरकार सो नहीं रही है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जहां तक किसानों का सम्बन्ध है मैं वही करने जा रहा हूं जो मैं सबसे उत्तम कर सकता हूं। मैं एक महीने में 450 करोड़ रुपए का भुगतान कर दूंगा। मैंने यह अनुदेश दे दिए हैं। उन्होंने 240 अथवा 250 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है और बकाया लगभग 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाने वाला है।

पश्च टिप्पण

V. **गन्ना किसानों के बकायों का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में, 18 जुलाई, 1996**

1. **श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर)** : लाइसेंसिंग खत्म कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : कृपया मुझे सुनें आपने जो सलाह दी उसके लिए मैं आभारी हूं।

2. **श्री मुखतार अनीस (सीतापुर)** : महोदय, ये समितियां भी गन्ना उत्पादकों की हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यह ठीक है। मैं यह जानता हूं। यह पद्धति वहां क्यों है और उसका क्या लाभ है?

जम्मू और कश्मीर में विकास कार्यों के बारे में वक्तव्य

23 जुलाई, 1996

कश्मीर में विकास कार्यों के बारे में मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा देने में युवकों में व्याप्त भारी बेरोजगारी का हाथ रहा है। इसी प्रकार राज्य में विद्युत की कमी है जोकि उद्योग तथा पर्यटन के विकास हेतु एक आवश्यक आधार है। इसलिए सरकार का कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करने तथा चालू परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का विचार है।

सरकार ऊधमपुर से बारामूला तक की 290 कि.मी. रेललाइन का रेल योजना के बाहर भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण करेगी। परियोजना पर 2500 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है तथा यह कश्मीर को शेष भारत के साथ जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी। इसके पूरा होने, यह राज्य में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के अलावा रेल संपर्क, राज्य के लोगों को रोजगार, शिक्षा, व्यापार, आदि हेतु देश के अन्य भागों में आवागमन में यह परियोजना में सहायक होगी। ऊधमपुर से बनिहाल का सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा बारामूला तक सर्वेक्षण कार्य मार्च, 1997 तक पूरा हो जाएगा। यह लाइन कटरा-रियासी-बनिहाल-काजीगंद-श्रीनगर से होकर जाएगी।

चार वर्षों में पूरा होने वाले ऊधमपुर-कटरा खंड के निर्माण कार्य को रेलवे तुरंत प्रारंभ करेगी। सरकार इस कार्य हेतु 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। पर्याप्त धनराशि से बारामूला तक की सम्पूर्ण रेललाइन 8-10 वर्षों में पूरी हो सकेगी।

मुगल रोड

जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच एकमात्र कड़ी के रूप में जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय भूस्खलन तथा हिमपात के परिणामस्वरूप अवरुद्ध रहने की समस्या से ग्रस्त रहता है। राज्य के दोनों क्षेत्रों के बीच वैकल्पिक कड़ी के रूप में "आर्थिक महत्व की सड़कें" केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सरकार मुगल रोड परियोजना को प्रारंभ करेगी। 85 कि.मी. लंबी इस परियोजना पर 77.40 करोड़ रुपए (1994-95 की लागत) खर्च होने का अनुमान है। परियोजना लागत केन्द्र और राज्य द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन की जाएगी। जम्मू से श्रीनगर-बरास्ता राजौरी-शोपीयां तथा पुलवामा को जोड़ने वाला और छह वर्ष में पूरा होने वाला तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से गुजरने वाला मार्ग पर्याप्त रूप से रोजगार अवसरों का सृजन करेगा। पूरा होने पर यह मार्ग आर्थिक क्रियाकलापों के सृजन के अलावा कश्मीर के लोगों से अलगाववाद की भावना को दूर करने में मदद करेगा। तीव्र क्रियान्वयन हेतु इसे सीमा सड़क संगठन को सौंपा जाएगा।

माननीय सदस्यों को विदित है कि फ्रेंच सिविल कांट्रेक्टरों के हटने से दुल्हास्ती पनबिजली परियोजना (3x130 मेगावाट) का कार्य 1992 में रुक गया था। जुलाई, 1995 में फ्रेंच कंपनी के साथ समझौते में संशोधन किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप जबकि मशीनें फ्रेंच कंपनी द्वारा भेजी जा रही हैं। शेष कार्य अन्य ठेकेदारों द्वारा किया जा सकता है। शेष कार्य हेतु निविदाएं मंगवा ली गई हैं और जांच की गई है तथा ठेका देने हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि सिविल कार्य शीघ्र शुरू किए जाएं और शेष कार्य हेतु सरकारी सहायता और बाजार ऋणों समेत विभिन्न स्रोतों से धन जुटाया जाए।

माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्य में उरी पनबिजली परियोजना (4x120 मे.वा.) नामक एक अन्य प्रमुख पनबिजली परियोजना निर्माणाधीन है। निर्धारित समयानुसार, इस पर कार्य चल रहा है तथा पहले चरण का कार्य दिसम्बर, 1996 में शुरू होने की संभावना है। इससे विद्युत की कमी वाले इस राज्य को राहत मिलेगी।

मैंने पहले ही इस सभा में आश्वासन दिया है कि राज्य में शीघ्र ही चुनाव होने जा रहे हैं। मेरे विचार से एक या दो दिन के भीतर चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। इसीलिए मैं... यह वक्तव्य... दे रहा हूं। जब मैं वहां गया था लगभग सभी राजनीतिक दलों ने वहां इन कार्यों को करने पर बल दिया था। अत: सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि इनमें से कुछ कार्य चालू वर्ष में ही प्रारंभ किए जाएं।

पश्च टिप्पण

VI. जम्मू और कश्मीर में विकास कार्यों के बारे में वक्तव्य, 23 जुलाई, 1996

कोई टिप्पण नहीं।

जम्मू और कश्मीर राज्य को ऋण राहत, केन्द्रीय योजना सहायता, विस्थापितों के शिविरों में सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के विकास के बारे में वक्तव्य

2 अगस्त, 1996

हमने जम्मू और कश्मीर के बारे में कुछ राहत के कदम उठाए हैं मैं उसके बारे में निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं।

1. आतंक से प्रभावित छोटे व्यापारियों को ऋण राहत

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 23 जुलाई, 1996 को मैंने सभा में जम्मू और कश्मीर राज्य में संचार और बिजली क्षेत्रों में किन्हीं दीर्घावधि आधार ढांचा परियोजनाओं के संबंध में एक वक्तव्य दिया था। माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि पर्यटन, बागवानी और हस्तशिल्प जम्मू और कश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था का मूल हैं। लघु व्यापार और उद्योग, परिवहन और होटल जैसी अन्य गतिविधियां पर्यटन क्षेत्र का साधन बनती हैं। पिछली 6-7 साल में आतंकवाद के कारण इस क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। 1986-87 में घाटी में आने वाले पर्यटकों की सात लाख की अधिकतम संख्या पिछले कुछ सालों में नगण्य मात्र रह गई है। इसका असर पर्यटन और सम्बद्ध गतिविधियों पर, आश्रित हजारों परिवारों की जीविका पर पड़ा है। इससे प्रभावित होने वाले यूनिट और व्यक्ति जिन्होंने बैंकों से वाणिज्यिक ऋण लिए थे, ऋणों को अदा नहीं कर सके हैं, क्योंकि पैसे की आवक रुक गई थी और ऋण के फंदे में फंस गए हैं। राज्य सरकार की पहचान के अनुसार लघु क्षेत्र के उद्योग और व्यापार, परिवहन, होटल तथा हाउसबोट व्यापार से जुड़े 31,000 लोगों ने 181.87 करोड़ रुपए के ऋण ले रखे हैं। पिछले 6 वर्षों में ऋणों की शायद ही कोई वापसी हुई है और इन ऋणों पर ब्याज की राशि ही बढ़ कर 212.76 करोड़ रुपए हो गई है। माननीय सदस्य मेरे से सहमत होंगे कि आतंकवाद से पर्यटन में बाधा आई और पर्यटकों के न आने के कारण बेरोजगारी में भारी वद्धि हुई और बढ़ती बेरोजगारी ने आतंकवाद को बढ़ने में सहायता दी। इस तरह एक कुचक्र शुरू हुआ।

अब जब हम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को फिर से आरंभ कर रहे हैं और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं तो यह जरूरी है कि उन बेसहारा लोगों को, विशेषकर छोटे ऋण लेने वालों को कुछ राहत देना जरूरी है। अत: सरकार का विचार 50,000 रुपए या उससे कम मूल ऋण लेने वाले सभी लोगों के बकाया ऋण तथा उस पर ब्याज को माफ करने का है। इससे ये छोटे ऋण लेने वाले अपने व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए बैंकों से फिर से नए ऋण ले सकेंगे। जहां तक 50,000 रुपए से अधिक ऋण लेने वालों का संबंध है उनके ऋणों की वापसी की मोहलत बढ़ाने, ऋणों की वापसी को स्थगित करने, ब्याज की दरें कम करने और इस तरह की अन्य की जा सकने वाली राहतों पर विचार करने के लिए एक अन्त:मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है।

2. जम्मू और कश्मीर राज्य को 1995-96 के लिए विशेष केन्द्रीय योजना सहायता

आतंकवाद के परिणामस्वरूप पैदा हुई जम्मू और कश्मीर राज्य की खतरनाक वित्तीय स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार समुचित वार्षिक आयोजना खर्चे को पूरा करने के लिए भी जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता के जरिए सहायता करती रही है। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के डगमगाते बजट में पिछले तीन सालों में कुछ स्थिरता आई है। पिछले साल अर्थात् 1995-96 में संसद ने राज्य के लिए एक संतुलित बजट पारित किया जिसमें गैर-आयोजना व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रावधान था ताकि 1050 करोड़ रुपए का स्वीकृत योजना परिव्यय बनाए रखा जा सके। इस तथ्य को देखते हुए कि राज्य ने पिछले साल पहली बार 1050 करोड़ रुपए का परियोजना व्यय पूरा खर्च किया। इस चालू साल का परियोजना व्यय फिर से 1050 करोड़ रुपए तय किया गया है। तथापि, पिछले साल की केन्द्रीय सहायता के साथ भी चालू साल के राज्य के बजट में 352 करोड़ रुपए का चालू खाते में घाटा है। इसका कारण विभिन्न मदों पर राज्य सरकार की अतिरिक्त वचनबद्धताएं हैं।

जब तक संसाधनों के इस अन्तर को इतनी ही राशि की विशेष केन्द्रीय सहायता के जरिए पूरा नहीं किया तो राज्य के सामने अपने आयोजना व्यय को घटाकर 668 करोड़ रुपए करने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मौके पर जब राज्य सम्पूर्ण सामान्य स्थिति के रास्ते पर अग्रसर हैं, इस विकल्प से बचने की जरूरत है। अत: केन्द्र ने चालू साल में राज्य के बजट में 352 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय आयोजना सहायता देने का निर्णय किया है। ताकि 1050 करोड़ रुपए का सम्पूर्ण योजना परिव्यय का कुछ भी हिस्सा गैर-योजना खर्चे को पूरा करने के लिए अपवर्तित किए बिना विकास योजनाओं के लिए ही उपयोग में लाया जा सके।

3. **जम्मू में विस्थापित शिविरों में सुविधाओं में सुधार**: माननीय सदस्य जानते हैं कि घाटी से विस्थापित हुए लोगों के 27000 परिवार जम्मू में स्वयं अपने द्वारा किए गए प्रबन्धों के अन्तर्गत अथवा शिविरों में रह रहे हैं। जम्मू में 13 शिविरों में दी जा रही सुविधाओं में सुधार करने की जरूरत है। यह सुविधाएं शौचालयों एवं स्नानगृहों जैसी सफाई सुविधाओं की व्यवस्था करना, एक-दूसरे वाले और अधिक टेनमेंट बनाना, शिविरों में चलाए जा रहे स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण, शिविरों में जल निकासी सुविधाओं का सुधार आदि से संबंधित हैं।

   सरकार द्वारा चालू वर्ष में शिविरों में उपरोक्त अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 6.16 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

4. **लेह जिले में पर्यटन के लिए आधार ढांचे का विकास**: जबकि कश्मीर घाटी पर्यटकों का परम्परागत रूप से आखरी गन्तव्य रही है अब जम्मू, ऊधमपुर, लेह और करगिल जिलों में नए पर्यटन केन्द्र बन रहे हैं। लेह विशेषरूप से एक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र के रूप

में उभरा है और राज्य सरकार की जिले के स्मारकों को नया रूप देने की पहले से ही एक योजना है। क्षेत्र में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मेरा विचार लेह में सम्मेलन केन्द्र की स्थापना के लिए 2.40 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन करने का है।

5. **कारगिल में हवाई अड्डे का विकास**: माननीय सदस्यों को पता है कि जोगीला में भारी हिमपात के कारण शरत ऋतु में श्रीनगर-कारगिल राजमार्ग के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप कारगिल का संबंध साल में सात महीनों में शेष राज्य से कट जाता है। अत: सरकार ने 22 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कारगिल में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने को उच्च प्राथमिकता दी है। इसका काम सीमा सड़क संगठन को सौंपा जा चुका है। उसके द्वारा हवाई पट्टी का निर्माण दो सालों में पूरा कर लिया जाएगा ताकि कारगिल नियमित वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उपयुक्त हो सके। इस बीच सरकार का विचार वर्तमान पाक्षिक सेवा के स्थान पर गर्मियों के महीनों में कारगिल के लिए साप्ताहिक हैलिकाप्टर सेवा आरंभ करने का है। आवश्यक सब्सिडी का भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

6. **जम्मू शहर का दर्जा बढ़ाना**: काफी समय से यह मांग है कि जम्मू शहर को बी-2 का दर्जा दिया जाए। किसी शहर को यह दर्जा दिए जाने का मानदण्ड चार लाख जनसंख्या है। तथापि, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि राज्य में 1991 जनगणना आयोजित नहीं की जा सकी थी। भारत के यहां पंजीयक का तथापि, विचार है कि जम्मू शहर की अनुमानित जनसंख्या 4.30 लाख है। अत: हमने जम्मू शहर को बी-2 नगर का दर्जा देने का फैसला किया है।

7. मुझे विश्वास है कि इन कदमों के परिणामस्वरूप राज्य में आर्थिक गतिविधि के फिर से शुरू होने में काफी मदद मिलेगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ट्रैवल और टूरिज़्म व्यापार का राज्य के लिए बहुत महत्व है। भारत सरकार राज्य सरकार की सलाह के साथ अपेक्षित आधारढांचा सुविधाएं मुहैया कराने और इस व्यापार से जुड़े लोगों तथा यूनिटों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी ताकि कश्मीर जल्द से जल्द पर्यटकों के स्वर्ग के अपने पहले के दर्जे को फिर से हासिल कर सके।

8. मैं इस अवसर का लाभ उठा कर राज्य को अधिकतम स्वायत्तता देने की सरकार की वचनबद्धता को फिर से दोहराता हूं। एक बार निर्वाचित सरकार के पदासीन हो जाने पर हम मतैक्य पर पहुंचने के लिए उसके साथ बातचीत करेंगे। ऐसा करते समय हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के जम्मू, लद्दाख तथा कश्मीर घाटी के सभी लोगों की आकांक्षाओं की ओर ध्यान दिया जाए।

9. मैं सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि राज्य में लोकतंत्र की बहाली, सामान्य स्थिति की बहाली में तथा राज्य के आर्थिक पुनर्निर्माण में सहायता दें।

माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा।

श्री राजेश पायलट, जो भूतपूर्व आंतरिक सुरक्षा मंत्री हैं और जो कुछ समय के लिए कश्मीर मामलों के प्रभारी भी थे, ने भी कुछ सुझाव दिए हैं और सरकार उन सभी सुझावों पर विचार करने को तैयार है।

आतंकवादियों द्वारा हाल में की गई हत्याओं के बारे में एक और बात है। यह कुछ बड़ी बात है। जम्मू और कश्मीर में संसदीय चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद हमारे पड़ोसियों ने आतंकवादियों को फिर से प्रोत्साहन दिए हैं। वह पड़ोसी कौन हैं इसके बारे में मुझे इस पवित्र सभा में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है सारा विश्व जानता है।

मैं इस पवित्र सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इन आतंकवादियों को काबू करने के लिए सभी आवश्यक कठोर कदम उठाएगी और देखेगी कि विधान सभा चुनाव भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से आयोजित किए जाएं।

*** *** ***[1]

यह बात आज सुबह हुई जिस समय मैं यहां पर नहीं था। यह एक वक्तव्य का ही प्रश्न नहीं है। पिछली सरकार ने कश्मीर के मामले में अधिक पारदर्शिता करने का निर्णय किया था। मैंने इस सभा में इस मामले पर चर्चा उठने के बाद जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल से जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। केवल 112 विदेशी राजनयिकों को कश्मीर जाने की अनुमति दी गई है इनमें से 67 पहले विदेशी सांसद रह चुके हैं। यह अनुमति जिन लोगों को दी गई उनमें राजदूत, संसदीय शिष्टमंडल तथा विभिन्न देशों की सीनेटों के सदस्य सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य यह रहा है कि भारत सरकार किसी बात को गुप्त नहीं रखना चाहती। यह अधिक पारदर्शिता चाहती है और इसी कारण पिछली सरकार ने यह निर्णय लिया था। मैं पिछली सरकार के इस निर्णय को गलत नहीं ठहरा रहा।

आज इस सभा में यह भी मामला उठाया गया कि एक राजदूत श्रीनगर के दौरे पर गया है और वहां पर बहुत से लोगों से मिला है। वह वहां पर गृह मंत्री एवं विदेश मंत्रालय की पूर्व अनुमति के साथ गए हैं। गवर्नर को यह सूचित कर दिया गया था और उसी के आधार पर वह लोगों से मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस सभा से छुपाने की इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने वहां जाने के लिए गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय की अनुमति हासिल की है। गवर्नर को इसकी सूचना दे दी गई थी। वह कल अपने अन्य अधिकारियों के साथ गवर्नर एवं मुख्य सचिव से मिलने वाले हैं। मुख्य सचिव की उपस्थिति में उनका एक-दो सेना अधिकारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है।

एक अन्य बात यह भी है कि वह राजनैतिक दलों के कुछ नेताओं से भी मिलेंगे जिनमें डॉ. फारुख अब्दुल्ला भी शामिल हैं। आज वह कुछ अन्य राजनैतिक पार्टी के दलों से भी मिले हैं और वे कल भी उनसे मिलने वाले हैं। यह पहले सूचित कर दिया गया था। अत: इसमें नई बात कुछ नहीं है।

*** *** ***[2]

पश्च टिप्पण

VII. **जम्मू और कश्मीर राज्य को ऋण राहत, केन्द्रीय योजना सहायता, विस्थापितों के शिविरों में सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के विकास के बारे में वक्तव्य, 2 अगस्त, 1996**

1. **उपाध्यक्ष महोदय**: प्रधानमंत्री जी, अमरीका के राजदूत के बारे में उल्लेख किया गया है।

श्री एच.डी. देवेगौडा: मैं इसका अभी उल्लेख करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरी सभा में भी जाना है।

2. **श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा)**: मैं पूरी तरह से इससे असहमत हूं। गृह मंत्री अमरीका के राजदूत को सेना अधिकारियों को मिलने की किस तरह अनुमति प्रदान कर सकते हैं? गृह मंत्री इसका निर्णय कैसे कर सकते हैं?

श्री मधुकर सर्पोतदार: गृह मंत्री सुबह सदन में उपस्थित थे, परंतु उन्होंने सदन को इसकी सूचना नहीं दी।

श्री एच.डी.देवगौड़ा: मैं आपको बताता हूं कि मुझे दूसरे सदन में जाना है। अन्यथा अपने वक्तव्य में राजदूतों सहित उन सभी 112 विदेशी हस्तियों के मैंने नाम बता दिये होते जो पिछले चार साल में, तारीखवार उनसे मिले तथा किस-किस की अनुमति से मिले थे। गृह मंत्रालय ने यह सब जानकारी उपलब्ध कराई हैं। यह मेरे पास है। यह सभी जानकारी मेरे पास है।

उपाध्यक्ष महोदय: इसे चर्चा न बनायें।

श्री राजेश पायलट: प्रश्न यह नहीं है। हम प्रधानमंत्री से पूरी तरह सहमत हैं ।

श्री श्रीकांत जेना: इस प्रश्न पर हमने पहले ही सूचना दी है कि हम विस्तृत वक्तव्य देंगे। माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि प्रधानमंत्री को दूसरे सदन में जाना है। विस्तृत विवरण तैयार है और हम वह वक्तव्य पढ़ सकते हैं और उसके आधार पर आप अपने निवेदन कर सकते हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: इसमें नई बात कुछ नहीं है।

अमरनाथ यात्रा के बारे में वक्तव्य

26 अगस्त, 1996

महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं क्योंकि माननीय गृह मंत्री अभी तक जम्मू से दिल्ली नहीं आए हैं। आपके निदेशानुसार, मैं वक्तव्य दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूं कि कल जब माननीय गृह मंत्री वापस आ जाएंगे, तब इस सभा को और आगे जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आज यह संभव नहीं हो पाएगा।

1. इस वर्ष अमरनाथ यात्रा को अभूतपूर्व खराब मौसम, भारी वर्षा, हिमपात, भूस्खलन और बाढ़ से उत्पन्न महाविपदा के कारण बीच में ही रोकना पड़ा। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 121 व्यक्तियों की जानें गयीं, जिनमें से अधिकतर व्यक्तियों की मृत्यु हृदय और सांस की तकलीफ और ठंड लगने से हुई। अत्यन्त खराब मौसम जारी रहने के कारण राहत अभियान बुरी तरह से प्रभावित हुए, जिससे सभी प्रकार की संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी और हवाई जहाज से बचाव और राहत अभियान भी रुका पड़ा रहा।

2. इस वर्ष यात्रा 16 अगस्त को शुरू हुई थी और 28 अगस्त को मुख्य दर्शन के बाद, इसे 3 सितम्बर को पूरी होना था। विस्तृत योजना बनायी गयी थी और 1995 में 70,000 और 1994 में 40,000 यात्रियों की तुलना में इस यात्रा में लगभग 1 लाख यात्रियों के भाग लेने के अनुमान के अनुसार प्रबंध किए गए थे।

3. इस वर्ष यात्रा के लिए निम्नलिखित प्रमुख व्यवस्थाएं की गई थीं:—

   (i) चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी स्थित पड़ावों पर 1200-1200 टेंट अर्थात्, कुल मिलाकर 3,600 टेंट लगाए गए थे जबकि 1995 और 1994 के दौरान इन स्थानों पर क्रमश: कुल 900 और 750 टेंट लगाए गए थे। शुरुआत में लगभग 1,900 टेंट लगाने की योजना थी किन्तु यात्रियों को अधिक सुविधा देने और यात्रा के लिए अनुमानित से अधिक संख्या में तीर्थयात्री आ जाने की स्थिति में आपात प्रबंध के रूप में टेंटों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा शेषनाग और पंचतरणी में तीन-तीन कंक्रीट शैड बनाए गए थे। इन प्रबंधों के माध्यम से शेषनाग एवं पंचतरणी, प्रत्येक में लगभग 18,000-20,000 तक तीर्थयात्रियों को ठहराने की व्यवस्था की गई थी।

   (ii) 25 मीट्रिक टन चावल और आटा, 7 टन चीनी और 8 टन चोकर भी, शेषनाग और पंचतरणी में जमा की गयी थी। ये प्रबन्ध, जम्मू और कश्मीर पर्यटन विकास निगम द्वारा चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी में तथा पहलगाम एवं पवित्र गुफा के बीच पड़ाव स्थलों पर तीर्थयात्रियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगाए गए 39 नि:शुल्क लंगरों के अलावा थे। साथ ही, पूरे यात्रा मार्ग पर खाने की चीजें, चाय, बिस्कुट आदि बेचने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय निजी दुकानदारों ने दुकानें लगाई थीं।

(iii) पहलगाम स्थित सरकारी अस्पताल को बेस अस्पताल के रूप में उसकी पूरी क्षमता सहित प्रयोग में लाया गया और वहां पर्याप्त मात्रा में दवाएं रखी गयी थीं। राज्य सरकार द्वारा चंदनवाड़ी, जोजीबल, महागुमास टाप, पंचतरणी और पवित्र गुफा पर चिकित्सा राहत उपलब्ध करवाने के प्रबन्ध किए गए थे। इन स्थानों पर बड़ी मात्रा में दवाओं और ऑक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध कराए गए तथा डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ को वहां तैनात किया गया। इसके अलावा सेना और सीमा सुरक्षा बल ने भी चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी में चिकित्सा राहत शिविर लगाए हैं।

(iv) तीर्थयात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे बिस्तरों की कमी को पूरा करने के लिए उनके लिए 14,500 कम्बलों की व्यवस्था की गई।

(v) यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में जलाने की लकड़ी रखी गई थी। इसके अतिरिक्त, वहां पर लगाए "लंगरों" की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक हजार से अधिक एल.पी.जी. सिलिन्डर रखे गए थे।

(vi) तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में खच्चरों और कुलियों की व्यवस्था की गई थी।

4. पहलगाम से पवित्र गुफा तक का यात्रा मार्ग 45 कि.मी. से अधिक लम्बा है जिसमें अधिकांशत: 12,000 कि.मी. की ऊंचाई वाला मार्ग दुर्गम पहाड़ों पर सीधी चढ़ाई वाला है। इस ऊंचाई पर सामान्यत: ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं पैदा होती हैं, जो कि अधिक आयु और कमजोर लोगों के लिए विशेषरूप से गंभीर हो सकती हैं।

5. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के मार्गदर्शन हेतु "क्या करें" और "क्या न करें" तथा बुनियादी सूचना और अपेक्षाओं संबंधी सूचना बहुत पहले ही छपवा ली गयी थी तथा उसको प्रकाशित भी करवा दिया गया था (जानकारी के पर्चों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं)। इन्हें अखबारों इत्यादि के द्वारा व्यापक तौर पर प्रचारित भी किया गया था। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जिन बातों पर जोर दिया गया, उनमें शामिल हैं:—

(i) यात्रियों को अपने साथ कम्बल/स्लीपिंग बैग, भारी ऊनी कपड़े, विंड चीटर्स/बरसाती, वाटर-प्रूफ जूते, इत्यादि ले जाने चाहिए। वास्तव में, यह कहा गया था कि उपर्युक्त सामान साथ न ले जाने वाले यात्रियों का यात्रा के लिए पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की गई थी कि जम्मू में जिस स्थान पर यात्रा के लिए पंजीकरण किया जा रहा था वहां पर ये सामान बेचने वाली दुकानें यात्रियों की सुविधा हेतु देर रात तक खुली रहें।

(ii) यह सुनिश्चित कराने के लिए कि वह यात्रा पर जाने के लिए शरीरिक तौर पर स्वस्थ है, प्रत्येक तीर्थयात्री को अपनी चिकित्सा जांच करवाने के लिए कहा गया था।

(iii) यात्रियों को अपने साथ बिस्कुट, मिठाई, दुग्ध पाउडर, डिब्बा बंद भोजन, इत्यादि तथा निजी चिकित्सा किट ले जाने की सलाह दी गई थी तथा यह भी सलाह दी गई थी कि वे अपना टीका अवश्य लगवा लें।

6. यात्रा निर्धारित कार्यक्रमानुसार 16 अगस्त को प्रारम्भ हुई और इसी दिन लगभग 25,000 तीर्थयात्रियों ने जम्मू से पहलगाम की यात्रा शुरू की। 21 अगस्त तक लगभग 1.2 लाख तीर्थयात्री जम्मू से अमरनाथ के लिए चल पड़े थे और तब तक यात्रा सुचारू ढंग से चल रही थी, यद्यपि हृदयगति रुक जाने/श्वास प्रक्रिया बंद हो जाने के कारण 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी।

7. 21-22 अगस्त की रात को मौसम में अचानक परिवर्तन आया और यात्रा के मार्ग, अर्थात् पवित्र गुफा, पंचतरणी, महागुमास और शेषनाग पर अधिक ऊंचाई वाले मार्ग पर हिमपात और बर्फीले तूफान सहित भारी वर्षा होनी शुरू हो गई। अप्रत्याशित वर्षा और हिमपात तथा बर्फीली हवाएं बिना रुके 24 अगस्त तक चलती रही तथा अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान बहुत अधिक गिर गया। अत्यधिक भारी वर्षा के कारण राज्य में अनेक स्थानों पर भू-स्खलन हुआ और बाढ़ आ गई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग तथा जम्मू-श्रीनगर और श्रीनगर-पहलगाम के बीच का मार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया। इसी कारण पहलगाम और पवित्र गुफा के बीच कई स्थानों और जम्मू और पहलगाम के बीच के यात्रा मार्ग पर कई स्थानों में तीर्थ यात्री फंस गए। उसी समय, वहां लगातार भारी वर्षा के कारण पहलगाम और पवित्र गुफा के बीच के मार्ग पर संकट में फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए हवाई उड़ाने भरना असम्भव हो गया। हालांकि राहत और बचाव अभियान शुरू करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हेलीकाप्टरों को प्रयोग करने के लिए तैयार रखा गया था।

8. 23 अगस्त को लगभग 52,000 तीर्थयात्री पंचतरणी (27,000) शेषनाग (11,000) तथा चंदनवाड़ी (14,500) की ऊंचाई वाली जगहों पर फंसे हुए थे। बरसात एवं बर्फबारी के बावजूद 24 अगस्त को सेना एवं सुरक्षा बल यूनिटों तथा यात्रा मार्ग पर तैनात पुलिस ने ऊंचाई वाली जगहों में फंसे तीर्थयात्रियों को निचले इलाकों तक लाने के लिए भरसक प्रयास किए। 24 अगस्त की शाम के बाद बरसात जैसे ही रुकी, हेलीकाप्टरों को भी काम में जुटा दिया गया और अधिकांश तीर्थयात्रियों को पहलगाम ले आया गया। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार ऊंचाई वाली जगहों पर फंसे तीर्थयात्रियों की संख्या इस प्रकार है: पंचतरणी (150), शेषनाग (100) तथा चंदनवाड़ी (8,000)। लगभग 2,000 तीर्थयात्रियों को, अमरनाथ से श्रीनगर को आने वाले एक वैकल्पिक मार्ग पर स्थित बालताल नामक जगह पर भी ले आया गया है और उन्हें श्रीनगर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां कि उन्हें ठहराने के लिए शिविर लगाए गए हैं।

9. भोजन एवं दवाइयों की अतिरिक्त आपूर्ति पहलगाम भेजी गई है तथा शेषनाग और चंदनवाड़ी के लिए भी आपूर्ति, हवाई मार्ग से भेजे जाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे 50 व्यक्तियों को जिन्हें तुरन्त ही चिकित्सा सहायता की जरूरत थी, 25 अगस्त को

हेलीकॉप्टर से श्रीनगर लाया गया। मारे गए व्यक्तियों में से 40 तीर्थयात्रियों के शव बालताल लाए गए हैं और शेष शवों को वहां से लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

10. ले. जनरल सकलानी, सलाहकार (गृह और पर्यटन) जम्मू और कश्मीर सरकार, अमरनाथ यात्रा के ओवरऑल इन्चार्ज हैं और वे यात्रा के शुरुआती प्रबन्धों और राहत उपायों की गहनता से देख-रेख कर रहे हैं। उन्होंने पूरे रास्ते पर सभी स्थानों का अनेक बार दौरा किया और जैसे ही मौसम ठीक हुआ, वे चिकित्सा सामग्री, कम्बल इत्यादि के साथ तुरंत पहलगाम और पंचतरणी गए। गृह मंत्रालय ने 23 अगस्त को रक्षा मंत्रालय के साथ सम्पर्क किया और अनुरोध किया कि राहत प्रदान करने के लिए सभी सम्भव सहायता दी जाए। परिणामस्वरूप, रक्षा मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई की। केन्द्रीय गृह सचिव शनिवार, 24 अगस्त और रविवार 25 अगस्त को पूरे समय कार्यालय में उपस्थित रहे और राज्य सरकार को प्रत्येक तीन घंटे के बाद रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। पुलिस नियंत्रण कक्ष, श्रीनगर में एक विशेष सूचना केन्द्र भी खोला गया ताकि यात्रियों के परिवारों और रिश्तेदारों को उनके बारे में सूचना मिल सके।

11. मृतकों में से लगभग 73 की शिनाख्त कर ली गई है और सूची प्रेस को जारी कर दी गई है। चूंकि अनन्तनाग और जम्मू के बीच राजमार्ग अवरुद्ध है और इसे खोलने में 2-3 दिन लग जाएंगे इसलिए श्रीनगर से शवों का हवाई मार्ग से लाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं?

12. सीमा सड़क संगठन, अवरुद्ध सड़कों को साफ करने और भूस्खलनों को हटाने के प्रयासों में दिन-रात लगा हुआ है ताकि फंसे हुए तीर्थयात्री जम्मू की ओर उतरना शुरू कर सकें। तथापि, पहलगाम एवं खानाबल के बीच तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर खानाबल और श्रीनगर के बीच सड़क के पानी में डूब जाने और बाढ़ के कारण भी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जिससे सड़क से आवागमन में भी गतिरोध पैदा हुआ है।

13. रेल मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों को बिना किसी विलम्ब के जम्मू से ले जाने के लिए 7 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं।

14. अत्यधिक कठिन मौसमी स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने गुफा की तरफ किसी भी यात्री को आगे बढ़ने से रोक दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क अवरुद्ध हो जाने से ऊधमपुर में फंस गई छड़ी मुबारक को भी वायुमार्ग से 25 अगस्त को श्रीनगर ले जाया गया और 28 अगस्त को पवित्र गुफा की ओर इसकी अंतिम पारंपरिक यात्रा हेतु इसे साधुओं के एक समूह के साथ 27 अगस्त को पंचतरणी लौट आएगी तथा इसे वापस, हवाई मार्ग से ही श्रीनगर ले जाया जाएगा।

15. पिछले दो या तीन वर्षों की भांति, शुरुआत से ही इस बात की आशंका थी कि यात्रियों को उग्रवादियों से सम्भावित खतरा हो सकता है और पारंपरिक पड़ाव स्थलों पर विस्फोटक पदार्थ आदि रखे जाने के संभावित प्रयासों की खबरें थी। इन आशंकाओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले ही चंदनवाड़ी और

शेषनाग में शिविरों के स्थल भी, अन्यत्र अवस्थित किए गए ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा संबंधी सावधानियों और कड़े प्रबंधों के परिणामस्वरूप यात्रा अभी तक शांतिपूर्वक तथा इस परिप्रेक्ष्य में बिना किसी बाधा के गुजरी।

16. पूर्व उल्लिखित बातों से यह पता चलता है कि इस वर्ष यात्रा में रिकार्ड संख्या में लोगों ने भाग लिया। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए राज्य प्रशासन और सुरक्षा बल पूरी तरह सक्रिय थे और पिछले वर्षों की तुलना में, आवास, बाढ़ चिकित्सा, सहायता इत्यादि की व्यवस्था में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गयी थी। इस बार भी, स्थानीय कर्मचारियों के भरपूर सहयोग से तथा खासतौर से यह बड़ी सुखद बात रही कि स्थानीय जनता के सभी वर्गों, जो यात्रा के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, इस यात्रा में भाग लेकर इन सभी प्रबन्धों को और सुदृढ़ किया। यात्रा 21 अगस्त तक सुचारू रूप से चलती रही जब अचानक और अभूतपूर्व वर्षा और हिमपात के रूप में यह दु:खद घटना घटी। इस आपदा की विशालता और अभूतपूर्व प्रकृति का पता इस तथ्य से चलता है कि कम से कम चार सुरक्षा बल कार्मिक और 8 कुली और खच्चर वाले भी हताहत हो गए, जोकि आमतौर पर पहाड़ों की ऊंचाइयों और स्थानीय परिस्थितियों के प्रति अभ्यस्त होते हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं।

17. जो यात्री विभिन्न स्थानों पर रुके पड़े हैं उन्हें राहत और मदद उपलब्ध कराने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अवरुद्ध मार्गों को जल्दी से जल्दी साफ किया जाए, ताकि यात्री अपने घरों को जा सकें, राज्य प्रशासन, सेना और सुरक्षा बलों द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए हैं और जारी हैं। इस प्राकृतिक आपदा में जिनकी जानें गई हैं उनके परिवारों को प्रधानमंत्री के राहत कोष से 50,000 रु. की अनुग्रहपूर्वक राहत स्वीकृत की गई है और राज्य सरकार द्वारा भी इसके बराबर राशि की अनुग्रहपूर्वक राहत घोषणा की गई है।

श्री अमरनाथ यात्रा

यात्रियों के लिए हिदायत

यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पहले अपने सभी प्रबन्ध भली प्रकार पूरे कर लीजिए इनमें नीचे लिखित बातों पर विशेष ध्यान दें:—

1. इस दुर्गम यात्रा पर जाने से पूर्व अपने स्वास्थ्य की जांच किसी अच्छे डॉक्टर से अवश्य करवा लें क्योंकि इसके लिए शारीरिक तन्दुरुस्ती अत्यन्त आवश्यक है। इस यात्रा में आपको कठिन पर्वतों को लांघ कर जाना होगा, जिसमें 'महागुणस' की 14000 फुट ऊंची चोटी भी है।

2. यात्रा में आपके साथ निम्नलिखित वस्तुएं अवश्य होनी चाहिएं :

   (क) तम्बू, (ख) ऊनी वस्त्र, (ग) ओवर कोट, (घ) बरसाती, (ङ) वाटर प्रूफ बूट, (च) टार्च, (छ) छड़ी, (ज) कम्बल-स्लीपिंग बैग।

3. खाने-पीने का आवश्यक सामान बिस्कुट, मिठाइयां दूध पाउडर तथा कुछ खुराक के बन्द डिब्बे यात्रा में अपने साथ रखें।

4. आपकी सुविधा के लिए राशन, मिट्टी का तेल तथा जलाने की लकड़ी का प्रबन्ध राज्य सरकार की ओर से निर्धारित मूल्य पर यात्रा के विभिन्न शिविरों पर किया गया है।

5. अपने साथ ले जाने वाले तम्बू का भली प्रकार से निरीक्षण कर लें।

6. क्या आपके साथ जाने वाले मजदूर, घोड़े वाले अथवा ढ़ण्डी वाले रजिस्टर्ड (Registered) हैं तथा उनके पास टोकन (Token) हैं।

7. अपने साथ ले जाने वाले घोड़े तथा मजदूरों को अपने साथ रखें। उनसे बिछुड़ जाने पर आपको परेशान होने की संभावना है।

8. यात्रा करते समय अनुशासन रखें और धीर-धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें।

9. यात्रा अधिकारी की ओर से समय-समय पर दी जाने वाली हिदायतों पर अमल करें।

10. राज्य की पुलिस, स्वास्थ्य, खुराक इत्यादि विभिन्न विभागों के अधिकारी यात्रा में आपकी सुविधा के लिए आपके साथ रहेंगे।

11. कठिन चढ़ाई पर अपने आप को थकावट से बचाएं। ऐसे स्थान पर आराम के लिए न रुकें जहां ठहरने की मनाही हो।

12. यातायात सम्बन्धी नियमों का पालन कीजिए तथा अपने सहयात्रियों को धकेल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करें।

13. सरकार की ओर से कुलियों, घोड़ों और ढण्डी वालों के किराए तथा दूसरी खाने-पीने की चीजों के मूल्य निर्धारित किए गए हैं इसलिए आप किसी भी स्थान पर अधिक मूल्य न दें।

14. स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा सम्बन्धी प्रबन्ध बिना किसी मूल्य के किए गए हैं।

नोट: बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों, बूढ़ों, अस्वस्थ तथा उपयुक्त कपड़ों के बिना जाने वाले यात्रियों को पहलगाम से आगे जाने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

*** *** ***[1]

मैंने अनुरोध किया था कि गृह मंत्री जब वापस आजायेंगे तभी वह वक्तव्य देंगे।

आज प्रातः आपके कक्ष में सभी दलों के नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। यह मुझे पता नहीं है। यह सूचना मुझे संसदीय कार्यमंत्री ने दी थी कि गृहमंत्री के वापस आने पर और उनके वक्तव्य देने के बाद इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री ने मुझे यह सूचना दी थी। मैं यहां स्वतः वक्तव्य देने नहीं आया हूं। मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा है कि विपक्ष में नेता इस गम्भीर आपदा में राजनीति मिला रहे हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा है। मैंने सदन के पटल पर वहीं प्रस्तुत किया है जो सूचना मेरे पास है।

मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं चर्चा कि लिए सहमत हूं। आप जो चाहे कह सकते हैं।

मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है। यदि गृह मंत्री ने आने के बाद कोई और सूचना मिलती है तो वह भी सदन में प्रस्तुत की जायेगी।

पश्च टिप्पण

VIII. **अमरनाथ यात्रा के बारे में वक्तव्य, 26 अगस्त, 1996**

1. **श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली)**: अध्यक्ष महोदय, यदि प्रधानमंत्रीजी के इस वक्तव्य को सत्य मान लिया जाए तो सुबह एक घंटे भर तक जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा वह सब असत्य था?वे सारे आरोप निराधार थे? सारी वेदना बेमानी थी। यहां एक-एक सदस्य खड़ा होकर कह रहा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग मुझसे सम्पर्क कर रहे हैं। हम आगे अधिकारियों से सम्पर्क कर रहे हैं वे मिल नहीं रहे है। हम एक भी बात उनको कहने की स्थिति में नहीं है। यहां प्रधानमंत्री जी वक्तव्य देते हुए कहते हैं कि पहले के यात्रा के प्रबन्ध भी पर्याप्त ही नहीं बल्कि बढ़िया थे और बाद में भी सारी संभाल सुचारू रूप से की गई है। फिर किस बात की डिसकशन और किस बात की चर्चा, जब इस सारी चर्चा का यह जवाब है। इसका मतलब है जो कुछ हम लोगों ने यहां बोला और दलों की सीमाएं तोड़ करके बोला, अलग-अलग लोगों ने अपने-अपने अनुभव, अपनी-अपनी कांस्टीट्यूएंसी के अनुभव रखें, अगर उन सब का जवाब प्रधानमंत्री जी का यही है कि यह सत्य है तो फिर किसी चर्चा की जरूरत ही क्या है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आखिरकार इन्होंने इस तमाम चीजों का कोई नोटिस लिया? यहां जो सुबह माननीय सदस्यों ने कहा उसका इन्होंने कोई नोटिस लिया? इन्हें अधिकारियों ने जो वक्तव्य लिख कर दे दिया उसको जस का तस इन्होंने पढ़ दिया।उस सारी चर्चा के क्या मायने हैं? क्या वे सारी बाते असत्य थी? लीपा-पोती भी नहीं है।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : महोदय, मुम्बई के लिए मंत्री जी नहीं बोले हैं। मुम्बई के दो सौ लोग अमरनाथ की यात्रा में फंसे पड़े है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यहां जसवंत सिंह जी कह रहे है, सब लोग कह रहे है। अगर प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य सत्य है तो चर्चा कीकोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक-ठाक है, अच्छा है, पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है किसी संभाल की जरूरत नहीं है। लोग रो रहे है। वहां लोग फंसे पड़े हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): यह सहमति हुई थी कि चर्चा की जायेगी। यह वक्तव्य सत्यनिष्ठा को प्रत्यक्ष चुनौती है। चर्चा के दौरान यह किया जा सकता है। यह बहुत गम्भीर आरोप है। हमें सदन को वाक्मुद्ध का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : वहां खाना भी पर्याप्त था, चीनी भी पर्याप्त थी। वहां गेहूं भी पर्याप्त था दवाइयां भी पर्याप्त थी। सारी संभाल पर्याप्त थी। यह सरकारी वक्तव्य नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (लखनऊ) : जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर उन्होंने वक्तव्य दिया है। गृह मंत्री महोदय अभी वापस नहीं आए हैं, वे अपनी आंखों से सारी बातें देखकर लौट रहे है, हम उनके निष्कर्षों को भी सुनना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद जो प्रश्न बार-बार मन को कुरेदता है वह यह है कि अगर प्रबंध इतना अच्छा था तो क्या केवल प्रकृति के प्रकोप के कारण इतनी मौतें हुई? क्या उस समय प्रशासन को जो कदम उठाने थे वे प्रशासन ने उठाए? सेना

को बुलाने में देर क्यों हुई? गवर्नर महोदय यहां दिल्ली में तीन दिन बैठे हुए थे, आपने इसका कोई उल्लेख नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी भी यहां थे। लेकिन दिल्ली में किसी से सम्पर्क नहीं किया जा सकता था। जम्मू में और श्रीनगर में भी कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया। ये सब विफलताएं है। अगर अचानक कोई ट्रेजडी हो जाए तो हम उसका सामना कर सकते हैं या नहीं, या पहले का जो बना-बनाया इंतजाम है, हम समझते है कि वही पर्याप्त है। प्रकृति ने तो उसको चुनौती दी और प्रकृति की चुनौती के बाद अगर प्रशासन उस चुनौती का सामना करने के लिए खड़ा नहीं हो सका तो यह प्रधानमंत्री के लिए भी चिन्ता का विषय होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के वक्तव्य से इस तरह की चिंता प्रकट नहीं होती। इसलिए मैं चाहूंगा कि गृहमंत्री के वक्तव्य के लिए हम रुके। चर्चा के लिए तो सदन तैयार है, चर्चा तो हमें करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर मन में यह भाव है कि सब पर लोपा-पोती करनी है और इतनी बड़ी ट्रेजड़ी के बाद यह सिद्ध करना है कि सरकार ने सब कुछ किया, केवल आसमान धोखा दे गया, तो मैं समझता हूं कि यह स्थिति के साथ न्याय नहीं होगा। अगर फिर कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी तो लोगों को मरना नहीं चाहिए, हम लोगों को बचा सकें, इसमें किस तरह की कमी हो रही है, इसकी खोजबीन करने की जरूरत है।

सवेरे जो वातावरण बनाया गया था कि यह पार्टी का मसला नहीं है। इसकी गहराई में जाकर देखना होगा, सच्चाई का पता लगाना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के वक्तव्य से तो इस तरह की कोई ध्वनि नहीं निकलती। उन्होंने कई मुद्दों का जवाब नहीं दिया, जो सरकार को कटघरों में खड़े करते हैं। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भी थोड़ा गहराई में जाकर देखें और जब कल गृहमंत्री महोदय आयेगें, हम उनका बयान सुनने के बाद तय करेंगे कि चर्चा किस रूप में होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें गृह मंत्री की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : महोदय, मैं आज वक्तव्य देने के लिए तैयार होकर नहीं आया था। मैनें इस बारे में आप से अनुरोध किया था।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है।

श्री नाथू राम मिर्धा और श्री अशोक कुमार सेन के बारे में निधन संबंधी उल्लेख

2 सितम्बर, 1996

श्री नाथू राम मिर्धा के निधन से इस देश के सार्वजनिक जीवन मे रिक्तता आई है। श्री मिर्धा एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सुविज्ञ सांसद थे, जो लगभग आधी शताब्दी तक लोक सभा अथवा राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। इस लम्बी अवधि के दौरान वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जैसे, चेयरमैन, राष्ट्रीय कृषि आयोग, सिंचाई, वित्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री तथा कई संसदीय समितियों के सभापति।

उन्होंने किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों के लिए अथक कार्य किया। कृषक समुदाय के लिए उनकी सेवाओं को लम्बे समय तक याद किया जाएगा। श्री मिर्धा ने हाल ही के लोक सभा चुनाव खराब स्वास्थ्य के कारण बिना अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किए अच्छे अन्तर से जीता, जो कि आम लोगों में उनकी प्रसिद्धि को दर्शाता है।

पेशे से वकील श्री मिर्धा ने कई शैक्षणिक संस्थान तथा होस्टल स्थापित कर शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान प्रदान किया। मैं अपनी तथा अपनी सरकार की ओर से स्वर्गीय मिर्धा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को हमारी हार्दिक संवेदनाएं सम्प्रेषित करें।

हम श्री अशोक कुमार सेन के निधन पर भी गहन शोक व्यक्त करते हैं, जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। वह एक लब्ध प्रतिष्ठ न्यायविद थे, जो उत्तरोत्तर प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में केन्द्र में कई वर्षों तक विधि मंत्री रहे। वह सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे तथा सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के लगभग एक दशक तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के विधि सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार सम्मेलन तथा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अभी तक वे राज्य सभा के सदस्य थे। श्री सेन ने कई पुस्तकें लिखीं। वे 'कलकत्ता लॉ जनरल' के सम्पादक थे। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्री सेन के शोक संतप्त परिवार को हमारी हार्दिक संवेदनाएं संप्रेषित करें।

पश्च टिप्पण

IX. श्री नाथू राम मिर्धा और श्री अशोक कुमार सेन के बारे में निधन संबंधी उल्लेख, 2 सितम्बर, 1996

कोई टिप्पण नहीं।

अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम के निरसन के प्रश्न के संबंध में चर्चा

26 नवम्बर, 1996

महोदय, आपकी अनुमति से मैं जहां तक असम के अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम का संबंध है, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। आप और सम्पूर्ण सभा जानती है कि मैंने साढ़े छह दिन सभी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया था। मेरे दौरे के दौरान, मैंने समाज के सभी वर्गों से मिलने का प्रयास किया जिनमें राजनीतिक दलों के नेता, गैर-सरकारी संगठनों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और छात्र संघ शामिल हैं। इसी तरह, पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के दौरान मैंने लोगों के सभी वर्गों के साथ मिलने का प्रयास किया।

असम में यह मांग थी कि इस अधिनियम को निरस्त किया जाए। लगभग सभी राजनीतिक दल जिसमें सत्तारूढ़ दल भी हैं, इसे निरस्त करना चाहते हैं। लेकिन जमायते-इस्लामी ने अन्त में मुझसे अनुरोध किया कि खासतौर पर इस अधिनियम के बारे में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। मैंने उन्हें बताया कि वर्तमान संदर्भ में जब तक सभी दल सहयोग नहीं करते तो मेरे लिए किसी भी अधिनियम को निरस्त करना वास्तव में मुश्किल होगा और उन्हें भी सभा के संघटन के बारे में मालूम है और सरकार सभी दलों के सहयोग के साथ इस पर विचार करेगी।

यह मुद्दा पत्रकारों ने प्रेस संवाददाता सम्मेलन में उठाया था। अधिकांश लोग इस अधिनियम को निरस्त करना चाहते हैं क्योंकि इस अधिनियम से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। यह मुख्य विवादग्रस्त विषयों में से एक है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विदेशियों का पता लगाने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित किया गया है।

मैं इस अधिनियम के प्रभावों जैसे ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। हालांकि उन्होंने 3.78 लाख लोगों की विदेशियों के रूप में पहचान की है। आखिरकार, न्यायाधिकरण ने लगभग 1000 लोगों को बंगलादेश वापस भेजने का आदेश पारित किया, इस तरह बातचीत का यही कुल परिणाम है।

मैं अब इसके गुणावगुणों में नहीं पड़ना चाहता लेकिन इस मुद्दे पर कुछ विवाद है। जब तक मैं पूरी सभा को विश्वास में नहीं ले लेता, तब तक अभी इस अधिनियम को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

पश्च टिप्पण

XI. अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम के निरसन के प्रश्न के संबंध में चर्चा, 26 नवम्बर, 1996

कोई टिप्पण नहीं।

आंध्र प्रदेश में चक्रवात के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में चर्चा

26 और 27 नवम्बर, 1996

(एक) चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश में हुए नुकसान के बारे में चर्चा

26 नवम्बर, 1996

मैं आपकी अनुमति से केवल एक बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। जहां तक इस विशेष मुद्दे के जवाब का संबंध है, मैं स्वयं इसका जवाब दूंगा। माननीय कृषि मंत्री पहले ही एक वक्तव्य दे चुके हैं और यदि वह इसमें और कुछ जोड़ना चाहेंगे, तो उनको इसकी छूट है। लेकिन हमने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है, इन सब बातों का जवाब वाद-विवाद समाप्त होने के बाद में स्वयं दूंगा।

मैं केवल इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम हाल ही में आए तूफान से हुई क्षति के परिणाम का अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ विवाद है परन्तु मैं इस विवाद का अंग नहीं बनना चाहता। इस सन्दर्भ में कई शिष्टमण्डलों ने मुझसे भेंट की है। मैंने स्वयं हवाई सर्वेक्षण किया है और मैं इसी समय सभी बातों का विवरण नहीं देना चाहता। उत्तर के दौरान सम्पूर्ण स्थिति के बारे में अपने मूल्यांकन को रखूंगा।

एक शिष्टमण्डल ने मुझे बताया है कि लगभग 15,000 करोड़ रुपयों की क्षति हुई है, सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें 6,000 करोड़ रुपए के लगभग की क्षति दर्शायी गई है। एक अन्य शिष्टमण्डल ने मुझे बताया है कि क्षति लगभग 8,500 करोड़ रुपयों की है। अत: अपनी राय के अनुसार उन्होंने क्षति को 15,000 करोड़ रुपए अथवा 8,000 करोड़ रुपए आंका होगा। सरकार ने अपनी राय के अनुसार क्षति को लगभग 6,000 करोड़ रुपए बताया है। मैंने एक शिष्टमण्डल से केवल इतना ही कहा कि सरकारी दल भी वहां जा रहा है। वहां से लौटकर यह दल अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद, क्षति के परिमाण के बारे में मैं अपने ठीक-ठीक विचार रख सकूंगा।

कृपया ये बात ध्यान में रखिए कि इस संबंध में हर एक के अपने विचार हैं। मैं इस समय कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वहां पचास लाख नारियल के पेड़ गिर गए हैं। एक अनुमान के अनुसार दोनों जिलों के साठ लाख नारियल के पेड़ हैं और इनमें से सभी पेड़ गिर गए हैं।

श्री जगन्नाथ जी, कृपया एक मिनट ठहरिए। उसके बाद आप बोल सकते हैं। मैंने केवल इतना ही कहा है कि हर एक दल ने क्षति के बारे में अपना-अपना मूल्यांकन लगाया है। एक दल ने इसका 15,000 करोड़ रु. का मूल्यांकन किया है। वह दल वहां गया और एक बयान जारी किया कि प्रधानमंत्री को आंध्र प्रदेश में हुई क्षति की कोई फिक्र नहीं है। एक दूसरा

दल मेरे पास आया था। सभी यही कहते हैं कि इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन कहना एक अलग बात है और करना दूसरी बात। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस सरकार को उतनी ही चिन्ता होनी चाहिए। जहां तक वास्तविक क्षति का सम्बन्ध है, जब तक सरकारी रिपोर्ट नहीं आ जाती, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं शाम को चर्चा का उत्तर देने जा रहा हूं और तब मैं सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के बारे में बताऊंगा।

*** *** ***[1]

(दो) आंध्र प्रदेश के लिए राहत उपायों पर चर्चा

27 नवम्बर, 1996

महोदय, आपकी अनुमति से मैं आन्ध्र-प्रदेश में आए समुद्री तूफान में किये गये राहत उपायों का विवरण देना चाहूंगा।

कल मेरे सहयोगी, कृषि मंत्री ने इस विषय पर एक वक्तव्य दिया था और तत्पश्चात् सदस्यों ने स्थिति को गंभीरता और हुए नुकसान पर गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए समुचित प्रबन्ध नहीं किए। सरकार पर किए गए आक्षेपों में यह भी एक आरोप था।

सर्वप्रथम मैं घटना का विवरण और ब्यौरा देना चाहूंगा। सारा नुकसान पिछले महीने की 6 तारीख को 4 घण्टों के बीच हुआ। 220 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका मुख्य कारण थीं। चाहे राज्य सरकारों ने इस संबंध में पर्याप्त चेतावनी पहले से दी थी, परन्तु समुद्री समुद्र तटों पर रहने वाले लोगों ने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया। हमारे कुछ मित्रों ने बताया ही है कि कुछ लोग झींगा और अन्य मछलियां लेने गए हुए थे। यही कारण है कि चेतावनी दिए जाने के बावजूद इस तूफान में मारे गए दुर्भाग्यपुर्ण लोगों ने इसे गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया।

मैं दस तारीख को वहां गया था। असल में मैं सात को सुबह को वहां जाना चाहता था। मैंने मुख्यमंत्री से सम्पर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी वहां वर्षा हो रही थी और वहां उतरना अथवा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करना भी संभव नहीं था। मैंन आठ को उनसे पुनः सम्पर्क किया। आठ को भी उन्होंने मुझे वहीं कुछ बताया। अतः मैं दस की सुबह को वहां गया। मैंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से भी सम्पर्क किया।

पांडिचेरी के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत कटु बातें कहीं हैं। राज्य चाहे पांडिचेरी हो, या आन्ध्र प्रदेश या तमिलनाडु किसी की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह इस क्षेत्र या उस क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। मैंने सम्बद्ध मुख्यमंत्रियों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि नुकसान इतना अधिक नहीं हुआ जहां मेरे जाने की आवश्यकता हो, जब मैं आन्ध्र प्रदेश गया तब वहां मुख्यमंत्री और सभी नेता मौजूद थे। हवाई सर्वेक्षण

करने के बाद, मैंने अधिकारियों और राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई। इसके दौरान उनके द्वारा नुकसान का कुल आकलन 6,000 करोड़ के करीब आंका गया। उन्होंने इस बारे में विवरण भी दिए।

बाद में राज्य सरकार ने राहत हेतु केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। उसके अनुसार उन्हें लगभग 125 करोड़ रुपयों की राहत निधि की तत्काल आवश्यकता थी। फलों की फसलों के नुकसान का आकलन 4,136 करोड़ रुपये का था और इसके लिए 350 करोड़ की राहत का मांग की गई थी। आवासीय कालोनियों में 963 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया गया और केन्द्र सरकार से 1,042 करोड़ की राहत राशि की मांग की गई थी। कृषि के सम्बन्ध में नुकसान का आकलन 396.53 करोड़ रुपए का किया गया और 50 करोड़ की मुआवजा राशि मांगी गई।

आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 102 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और वह चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस सम्पूर्ण राशि की भरपाई करे। नगरपालिका क्षेत्र में 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और वह 100 करोड़ की केन्द्रीय सहायता की मांग कर रहे हैं। पंचायती क्षेत्र में 150 करोड़ का नुकसान हुआ और केन्द्र से 130 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। पशुपालन के क्षेत्र में 45 करोड़ का नुकसान हुआ और वह केन्द्र से 30 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। सड़कों और इमारतों के क्षेत्र में 35 करोड़ रुपये के नुकसान का अंदाजा था और इतना ही धन वह केन्द्र से मांग रहे हैं।

सिंचाई क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है और 80 करोड़ रुपए केन्द्र से मांग रहे हैं। मछली-पालन क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और पूर्ण राशि की मांग केन्द्र से कर रहे हैं। हथकरघा क्षेत्र में 27 करोड़ रुपए की क्षति का आकलन किया गया है और इस सम्पूर्ण राशि की मांग केन्द्र से कर रहे हैं। उद्योगों तथा रेशम उत्पादन क्षेत्र में क्षति 10 करोड़ रुपये की है और उन्होंनें 6 करोड़ रुपये की मांग की है। जन स्वास्थ्य तथा सफाई क्षेत्र में उन्होंने 25 करोड़ रुपये की मांग की है। कुल मांगी गई धनराशि 2142 करोड़ रुपये है।

इसी धनराशि की आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने ज्ञापन में केन्द्र सरकार से मांग की है। कुछ इस बारे में यह कहते हैं कि हमने क्या कार्यवाही की है, अथवा यह कि सरकार निर्दयी है अथवा यह कि सरकार समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। यह कई माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया थी। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यह ब्यौरा देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने इस सदन के माध्यम से केवल माननीय सदस्यों के लाभ के लिए और आम लोगों के लाभ के लिए क्या कार्यवाही की है। मैं सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा देना चाहता हूं।

जिस दिन मैं वहां गया, मैंने 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। उसी शाम को मैंने वह धनराशि प्रदान की थी। मैंलगभग चार बजे वापस आया और मैंने अधिकारियों को कहा था कि उक्त धनराशि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा खर्च की जायेगी।

9.3 करोड़ रुपये की समस्त धनराशि, जो आन्ध्र प्रदेश आपदा राहत निधि से केन्द्र सरकार का अंशदान था, पूरी तरह से प्रदान की गई है। नौवें वित्त आयोग के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश सरकार

इसकी हकदार थी और इसे जारी किया गया था। 93 करोड़ रुपये की पूरी धनराशि जारी की गई थी। आन्ध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री के समुद्री तूफान राहत कोष में अंशदान के लिए शत प्रतिशत आयकर छूट प्रदान की गई थी। हमने एक अध्यादेश लाकर उक्त छूट प्रदान की।

प्रधानमंत्री राहत कोष से 4.85 करोड़ रुपये मृतकों के परिवारों के लिए दिए गये थे। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा प्रदान किए गये आंकड़ों के अनुसार लगभग 970 व्यक्ति मारे गये हैं। हमने प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये की दर से 4.85 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

सड़कों को हुई क्षति को ठीक करने के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 4 करोड़ रुपये जारी किए गये हैं। विद्युत मंत्रालय ने इस क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुए विद्युत आपूर्ति के स्रोतों को पुनर्बहाली, मरम्मत तथा उनमें पुनः कनैक्शन करने के लिए विद्युत वित्त निगम के माध्यम से 30 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी है। हमने भारत सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

आन्ध्र प्रदेश के 8 जिलों में गुणवत्ता के मानदण्डों में छूट देते हुए धान की खरीद के लिए आदेश जारी किए गये हैं। बाढ़ के कारण गुणवत्ता प्रभावित हुई है। फिर भी, हम उसे खरीदना चाहते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुणवत्ता के संबंध में निर्धारित शर्तों में भी छूट प्रदान की गई है। केवल उन दो मिलों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 50 हजार टन चावल तदर्थ आबंटन के रूप में जारी किया गया है।

10,000 लीटर मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आबंटन भी जारी किया गया है।

केन्द्रीय करों का त्वरित विकेन्द्रीकरण तथा 331 करोड़ रुपये की साधन अग्रिम धनराशि का आन्ध्र प्रदेश सरकार को प्रस्ताव किया गया था ताकि राहत कार्यों को करने के लिए राज्य सरकार की मुद्रा प्रसार स्थिति प्रभावित न हो। यह समस्या है और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसे भविष्य में समायोजित किया जायेगा। इसी कारण, वे 331 करोड़ रुपये की पूरी धनराशि को अनुदान के रूप में लेना चाहते थे। इस एक क्षेत्र में राज्य सरकार उस धनराशि का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है जो हम जारी करने के लिए तैयार हैं।

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय ने पश्चिमी गोदावरी तथा पूर्वी गोदावरी, दो जिलों को जवाहर रोजगार योजना तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 11 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त जारी की है। इसके अतिरिक्त, इन दो जिलों के लिए सामान्य आबंटन के अतिरिक्त जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन भी जारी किया गया है। हमने यह भी किया है।

फिर, हुडको ने उक्त जिलों में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण अथवा अंशतः क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 190 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है जिसमें से 50 करोड़ रुपये अनुदान है और 140 करोड़ रुपये रियायती ब्याज दर पर ऋण है। इसके अतिरिक्त, हुडको ने 1.50 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ प्रभावित जिलों के लिए 10 भवन केन्द्रों का प्रस्ताव किया है।

स्थायी राहत तथा पुनर्वास कार्यों के लिए आन्ध्र प्रदेश में निधियों के प्रवाह में सुधार के लिए प्रदान की जा रहीं अन्य सहायता निम्नलिखित है।

ग्रामीण विकास उपकर के रूप में हमने 113 करोड़ रुपये को धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह मुद्दा विगत कई वर्षो से लम्बित था और अभी भी विभिन्न अन्य राज्यों की मांगों पर विचार नहीं किया गया है। जहां तक उपकर का संबंध है, अन्य राज्य भी इसी तरह की वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं और संसाधनों की कमी के कारण हमने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन विशेषकर इस संबंध में, आन्ध्र प्रदेश राज्य की सहायता करने के लिए हमने खाद्यान्नों की खरीद के लिए 113 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास उपकर के रूप में जारी करने का निर्णय लिया है। अन्य राज्यों से इसकी मांग है, लेकिन मैं अब उन ब्यौरों में नहीं जा रहा हूँ।

इसके अतिरिक्त, हमने सभी राजनैतिक दलों से अपील की है। वास्तव में, अगले दिन इलैक्ट्रानिक संचार माध्यम के द्वारा मैंने स्वयं अनुरोध किया। यह कोई दलीय मामला नहीं है और सभी राजनैतिक दलों को सहयोग करने के लिए आगे आना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री से भी लोगों में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए कि जो धनराशि जारी की जा रही है, वह कथित रूप से खर्च की जाये, सभी राजनैतिक दलों का सहयोग लेने के लिए अनुरोध किया और उन्हें यह बताया कि सरकार की विश्वसनीयता पर अनावश्यक रूप से शक करने की कोई गुंजाइस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझे यह बताया कि उन्होंने पहले ही जिला स्तर पर एक सर्वदलीय समिति का गठन किया है।

अतः, इसके अतिरिक्त, स्वयं 11 नवम्बर को हमने विश्व बैंक से सम्पर्क किया और विश्व बैंक के अध्यक्ष आवास निर्माण के लिए 100 मिलियन यू.एस. डॉलर जारी करने के लिए सहमत हो गये हैं जो लगभग 350 करोड़ रुपये बनता है तथा जो लगभग 40 वर्षो में वापस करने के लिए आसान शर्तों वाला ऋण है। अब, उन्होंने एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उसे विचार हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने आवास निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और समस्त परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

महोदय, हमने ये कुछ उपाय किए हैं। मेरे विचार से सरकार ने निर्णय लेते समय कोई गलती नहीं की है, जहां तक राहत कार्यों कासंबंध है। मैं पूरी ईमानदारीपूर्वक आपको बता सकता हूं कि यह अनुदान अथवा ऋण अथवा विशेष सहायता, जो भारत सरकार ने अभी तक प्रदान की हैं, के रूप में सर्वाधिक सहायता है। समुद्री तूफान पहले भी तमिलनाडु अथवा आन्ध्र प्रदेश अथवा उड़ीसा अथवा पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं। इस तरह की क्षति पहले भी हुई थी। मैं इसका वर्णन नहीं करना चाहता कि उन दिनों कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। लेकिन जहां तक इन जिलों का संबंध है, जिनमें दो विशेष समुद्री तूफानों से क्षति हुई है, में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक जो कुछ किया गया है, वहीं तक सीमित रहूंगा। मैंने माननीय सदन के समक्ष तथ्य रखे हैं। महोदय, यहां कोई राजनीति मिलाने का कोई प्रश्न नहीं है; और कोई विशेष व्यवहार करने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हमने समस्या की गम्भीरता को पूर्णतया समझते हुए राज्य सरकार के साथ सहयोग करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है। मुझे आशा है कि सदन हमारे द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में दिए गये

इस स्पष्टीकरण के पश्चात सन्तुष्ट होगा। मेरे विचार से सदन,कम से कम, मेरे साथ इस बात पर सहमत होगा कि सरकार विशेषकर इस संबंध में, ईमानदार है।

*** *** ***[1]

श्रीमान, मैं केन्द्रीय सहायता जो कि ऐसी परिस्थितियों में दी जाती है, के बारे में फिर से स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सूखे या बाढ़ या तूफान में से किसी से भी होने वाले नुकसान की मात्रा कुछ भी होने पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला धन एक अल्प धनराशि हुआ करती थी। केवल योजना सहायता दी जाती थी। केन्द्रीय सहायता मात्र एक अल्प धनराशि होती थी। मेरे विचार से, नौवें वित्त आयोग ने आपदा राहत कोष बनाने की सिफारिश की है। तब तक यह गैर-योजना सहायता के अन्तर्गत केन्द्र से तदर्थ सहायता के रूप में दी जाती थी। भारत सरकार के पास जो भी धन उपलब्ध होता था उसमें से वह 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रु. और 30 करोड़ रु. जैसी राशियां दिया करते थे। मैं कुछ देर बाद इसका ब्यौरा दूंगा।

दसवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार आपदा राहत कोष में 1,197 करोड़ रुपए होंगे जिसमें से 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण भाग होगा। दसवें वित्त आयोग द्वारा अपनी सिफारिश में दर्शायी गई अधिकतम धनराशि राजस्थान को 179 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश को 124 करोड़ रुपए और गुजरात को 139 करोड़ रुपए है। मैं इस मामले में राजनीति नहीं लाना चाहता। प्रतिवर्ष तीव्र बाढ़ों से बिहार को होने वाले नुकसान की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वहां पर छह या सात नदियां है। यही स्थिति असम की है। बिहार के लिए यह केवल 51 करोड़ रुपए है। यह कैसे हो गया इन सब बातों को मैं उठाना नहीं चाहता हूं। सीमित रूप में, मैं केवल कुछ तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया धैर्य रखिए। सभा में आंध्र की राजनीति को न लाइए। मैं इसके बारे में सुन चुका हूं। सदस्य कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है। मैं सभा का ध्यान एक पहलू पर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय आपने मुझसे पूछा है कि 1964 में क्या हुआ, 1987 में क्या हुआ और मई 1990 में क्या हुआ। मैं आपको ब्यौरा दूंगा। 1990 में नष्ट हुए मकानों की संख्या 13,96,000 थी। इस समय उनके आंकड़ों के अनुसार यह 6,41,000 है। मैं यह बताना चाहूंगा कि उस समय दी गई सहायता की धनराशि क्या थी। हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि यह सरकार इस मुद्दे के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि इस सरकार ने कतिपय मानवीय आधारों पर कुछ निर्णय लिए हैं।

राज्य सरकार के अनुसार उस समय होने वाले नुकसान का आकलन 2,247 करोड़ रु. था। भारत सरकार की ओर से जो दल गया था उसने 168 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी जबकि क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 13,96,000 थी। जिसमें से, भारत सरकार के अन्तर-मंत्रालयीय ग्रुप ने 1990 की आपदा के सम्बन्ध में केन्द्रीय राहत कोष के अन्तर्गत राज्य सरकार के पास उपलब्ध 96 करोड़ रुपए की कटौती करके राज्य सरकार को 167.54 करोड़ रुपए की सहायता की सिफारिश की थी। कृषि मंत्रालय ने 81.15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राहत का प्रस्ताव किया था। इसे अगस्त, 1991 में मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था। इस पर निर्णय आस्थगित किया गया था। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1992 में इस परिवर्तन के साथ सिफारिश

की गई 31.5 करोड़ रुपए की सहायता में से 75 प्रतिशत को अनुदान समझा जाए और 25 प्रतिशत को ऋण समझा जाए। फिर भी, प्रस्तुत यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया क्योंकि आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंशदान से ज्यादा किसी भी अतिरिक्त सहायता के अनुदान पर वित्त मंत्रालय ने आपत्ति प्रकट की थी। मेरे माननीय साथी कहते हैं कि यह सरकार सहृदय नहीं है।

हमें इस मामले में राजनीति को नहीं लाना चाहिए। मैं इसके बारे में जानता हूं। मैंने 650 करोड़ रुपए का एक कुल पैकेज दिया है और इसके अलावा हम 331 करोड़ रुपए जारी करना चाहते हैं और वह कहते हैं कि हमें यह नहीं चाहिए। राज शेखर रेड्डी जी आपने 1,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। हम विश्व बैंक से मकानों के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए के लिए सिफारिश कर चुके हैं। परन्तु राज्य सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की थी? राज्य सरकार ने आवास निर्माण के लिए 963 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस 1,000 करोड़ रुपए, जिसके लिए हमने विश्व बैंक से सिफारिश की है, के अलावा हम हुडको के साथ भी पहले ही कुछ कदम उठा चुके हैं। मैं यह ब्यौरा भी दे चुका हूं कि यह कितना है। हुडको ने 180 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज की घोषणा की है जिसमें से 50 करोड़ रुपए अनुदान है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 21 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 60 करोड़ रुपए आने की सम्भावना है। 93 करोड़ रुपए आपदा राहत कोष है जिसे राज्य सरकार विधि सम्मत रूप से प्राप्त करेगी।

इसके अतिरिक्त, 113 करोड़ रुपए उपकर के रूप में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह कहना है कि खाद्यान्न खरीद के सम्बन्ध में ही हमने यह निर्णय लिया है। यह सब मिलकर 650 करोड़ रुपए होते हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए।

*** *** ***2

पश्च टिप्पण

X. **आंध्र प्रदेश में चक्रवात के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में चर्चा, 26 और 27 नवम्बर, 1996**

(एक) चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश में हुए नुकसान के बारे में चर्चा, 26 नवम्बर, 1996

1. **श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्या (अनन्तपुर):** केन्द्र और राज्य सरकार के बीच तकरार चल रही है। राज्य-सरकार केन्द्र सरकार पर दोष लगा रही है और केन्द्र सरकार जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रही है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: जी, नहीं। मैं वह कहने नहीं जा रहा। मैंने 'दल' कहा है। तीन दल मेरे पास आए हैं। एक टीम ने 15,000 करोड़ रुपए की बात की है, दूसरी टीम ने 8,500 करोड़ रुपए की बात की है और सरकार को रिपोर्ट 6,000 करोड़ रुपए की है। अतः मुझे सरकारी दल पर निर्भर होना पड़ा। सरकारी दल पूरे प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने जा रहा है और वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।आपको प्रतोक्षा करनी होगी।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा): राजनीतिक दलों ने आप पर आरोप लगाया है कि आपको तूफान से प्रभावित लोगों की कोई चिन्ता नहीं है। यह आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री थे जिन्होंने केन्द्र पर अड़ियल और असहयोगी रवैये का आरोप लगाया है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: श्री उपेन्द्र जी, मैं सब समझता हूँ कि राजनीति कौन कर रहे हैं। कृपया मामले को और आगे मत बढाइए।

मैंने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जिसने 15,000 करोड़ रु. की बात कही है। मैंने उसका नाम नहीं लिया जिसने 8,500 करोड़ रु. की बात कही है। मैंने केवल 'शिष्टमण्डल' की बात कही है। मैंन "कांग्रेस, तेलुगू देशम अथवा दूसरी तेलुगू देशम" का नाम नहीं लिया है। मैं किसी पार्टी अथवा पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता। मैंने केवल यह कहा है कि टीमें अथवा शिष्टमण्डल मुझसे मिले और वही बात कही जो उन्होंने अपने-अपने ज्ञापनों में कही है। मैं तो केवल बातों को उन सदन की जानकारी में लाया हूँ।

(दो) आंध्र प्रदेश के लिए राहत उपायों पर चर्चा, 27 नवम्बर, 1996

1. **श्री पी. वी. नरसिंह राव (बरहामपुर):** महोदय, मैं प्रधानमंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन दो या तीन जिलों में हजारों बुनकर पूर्णतया बर्बाद हो गये हैं। सभी ने देखा है कि उनके हजारों करघे पूर्णतया नष्ट हो गये हैं और मैं सरकार से चाहता हूं कि वह उनको राहत देने तथा स्थायी आधार पर उनका यथोचित पुनर्वास करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे। यदि कुछ किया गया है, तो मुझे प्रधानमंत्री से उसके बारे में जानकर प्रसन्नता होगी।

श्री एच.डी. देवे गौड़ा: मैंने हथकरघों के संबंध में ब्यौरा दिया है। उन्होंने 27 करोड़ रुपये की मांग की है। मैंने सरकार द्वारा अब तक जारी की गई धनराशि की पहले ही सूची प्रदान कर दी है। कुल पैकेज लगभग 650 करोड़ रुपये बनता है।

यह विश्व बैंक से सुलभ ऋण के रूप में मिलने वाले धन के अतिरिक्त है। इसके अतिरिक्त, अब तक हमने 650 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा): कृषि मंत्री ने कहा था कि 37 करोड़ रुपए नारियल के पेड़ों के लिए आबंटित किये गये थे और राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 4 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी।

श्री एच.डी. देवे गौड़ा: मैंने सब कुछ बता दिया है। मैं जल-भूतल परिवहन, विद्युत, विद्युत करघों की मरम्मत, आदि सहित सभी बातों का उल्लेख कर चुका हूं।

डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा): महोदय, हम लोग कल से सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें पहले चरण में आये तूफान से हुए नुकसान को भी शामिल किया जाए। दुर्भाग्यवश, प्रधानमंत्री के उत्तर में पहले चरण में आए तूफान के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री एच.डी. देवे गौड़ा: महोदय, मैं स्पष्ट करता हूं। पहले चरण में आए तूफान के समय भी मैंने वहां का दौरा किया था। हमने पहले चरण में 50 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किये थे। इसमें उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसमें से 27 करोड़ अग्रिम के तौर पर दिया गया था और 23 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में।

2. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी:** राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत गंभीर है। यह उस सियार की कहावत की तरह है जो ताड़ के वृक्ष के नीचे बैठा है और ताजमहल उसी के सिर पर गिर जाता है।

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक वैसी है। इसलिए वह वस्तुत: हाथ में भीख मांगने का कटोरा लेकर हर राज्य और हर संभव स्थान जा रही है। अतः राज्य सरकार को गंभीर वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत।

सभापति महोदय : मैं नहीं मानता कि यह भीख मांगने जैसी स्थिति है। जब भी इस तरह की विपदायें आती हैं हर किसी को भटकना पड़ता है।

डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : कम से कम आवास के पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का भी हिस्सा है।

सभापति महोदय : श्री राजशेखर रेड्डी कृपया।

सभापति महोदय : अब माननीय विदेश मंत्री अफगानिस्तान के बारे में वक्तव्य देंगे।

सभापति महोदय : विदेश मंत्री बोल रहे हैं।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : महोदय, एक मिनट जो भी विचार माननीय सदस्य राजशेखर रेड्डी ने व्यक्त किए मैं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं चाहता हूं। सभी राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति एक जैसी है। यह मत सोचिए कि आंध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है और अन्य राज्य वित्तीय रूप से सुदृढ़ हैं। हम जानते हैं वह यह है। केन्द्रीय सरकार सहित पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इसे क्यों अस्वीकार किया गया? ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में अनावश्यक रूप से राजनीति करने की कोशिश मत कीजिए।

आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपील नहीं की। मैंने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण देश-राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और वित्तीय संस्थाओं से अपील की जो सभी अखबारों में छपा। महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि तीन दिन के अन्दर मैं अपना एक महीने का वेतन भेज दूंगा और मैं यह कहना नहीं चाहता हूं और मैं इसके लिए कोई श्रेय नहीं लेना चाहता हूं। मैंने अपने वेतन का चेक तीन दिनों के भीतर भेजा और मैंने जनता से भी इसके लिये निवेदन किया। भगवान के लिए इस मामले में राजनीति मत कीजिये। अन्य राज्य भी हैं। जब हम संपूर्ण देश के बारे में सोचना चाहते हैं तो हमें इसमें राजनीति को लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

ओडिशा में सूखे की स्थिति के संबंध में चर्चा

29 नवम्बर, 1996

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से कुछ वरिष्ठ सदस्यों, पूर्व प्रधानमंत्री और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने ओडिशा में व्याप्त सूखे की स्थिति पर चर्चा में भाग लिया। सभी यही चाहते हैं कि सूखे की स्थिति का सामना पूरे जोर-शोर से किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति नौकरी की खोज में ओडिशा से अन्य राज्य को न जाए। यह पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि सांसद के रूप में ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा दिए गए सुझावों में से एक सुझाव है।

मैंने 14.11.1996 को तीन जिलों का दौरा किया। मैं मुख्यमंत्री को भी अपने साथ ले गया था। वास्तव में, मैं सूखाग्रस्त क्षेत्र का और थोड़ा पहले ही दौरा करना चाहता था। मेरे सहयोगी, श्री श्रीकान्त जेना ने मुझे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का सुझाव दिया था, परंतु उस समय मुख्यमंत्री राज्य में नहीं थे। वह कुछ कार्यवश विदेश गए हुए थे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह व्यर्थ ही विदेश गए थे। विभिन्न विश्वव्यापी निवेशकर्ताओं से संपर्क करने का उनका पहले से ही कार्यक्रम था, और देश छोड़ने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके वापस आने के पश्चात् मैं राज्य का दौरा करूं। इसीलिए, मैंने अपना कार्यक्रम स्थगित किया था। अन्यथा, मैंने पहले ही राज्य का दौरा किया होता। मेरे द्वारा क्षेत्र का दौरा करने के पश्चात् केन्द्रीय दल वहां गया था। कृषि मंत्री ने भी मेरे जाने से पहले वहां का दौरा किया था।

मुझे माफ करें, उन्होंने बाद में दौरा किया था। मैंने तीन जिलों का दौरा किया। महोदय, मैं किसी पर आक्षेप लगाना नहीं चाहता। पैसा मुद्दा नहीं है। निधियों का अपर्याप्त रूप से जारी किए जाने के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और लोग रोजगार की खोज में ओडिशा छोड़कर अन्य राज्यों को जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों में से यह एक मुद्दा है। अत: मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि ओडिशा के पास उपलब्ध कुल संसाधन लगभग 461 करोड़ रुपए के हैं, इसे 225.54 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और अब तक किए गए कुल व्यय की राशि 187.67 करोड़ रुपए की है। दौरे के पश्चात् मैंने केवल ग्रामीण विकास के अंतर्गत लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र जारी किए जाने की घोषणा की। मैं राज्य सरकार पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता, कि धनराशि का किस प्रकार उपयोग हुआ है अथवा किस प्रकार इसे दूसरे विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च किया गया है।

मैंने मुख्यमंत्री से स्पष्ट चर्चा की है। मैंने उनसे पूछा कि वे केन्द्र से कितनी राशि की सहायता चाहते हैं। बाद में उन्होंने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन की प्रति भी

मेरे पास है। उनकी मांग लगभग 585 करोड़ रुपए की है। मैं ब्यौरा दे रहा हूं :—

कृषि विभाग	- 26.39 करोड़ रु.
सहकारिता विभाग	- 15.95 करोड़ रु.
मात्स्यिकी विभाग	- 2.97 करोड़ रु.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	- 4.97 करोड़ रु.
आवास विभाग	- 8.77 करोड़ रु.
पंचायती राज	- 371 करोड़ रु.
ग्रामीण विकास विभाग जिसमें पेयजल और ग्रामीण निर्माण कार्य शामिल हैं लगभग	- 51.32 करोड़ रु.
जल संसाधन विभाग जिसमें बड़ी, मझोली लघु सिंचाई और लिफ्ट सिंचाई शामिल है	- 87.23 करोड़ रु.
ऊर्जा विभाग	- 10 करोड़ रु.
आपात-स्थिति के दौरान पूर्ति करने सम्बन्धी कार्यक्रम	- 7.20 करोड़ रु.

कुल मिलाकर लगभग 585 करोड़ रु. हुए

जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं केवल ग्रामीण विकास के अंतर्गत ही ओडिशा राज्य लगभग 461 करोड़ रु. पाने का हकदार है। आठ प्रभावित जिलों में पहले तीन जिले थे और बाद में पांच नए जिले बने जिसे के.बी.के. विशेष कार्यक्रम कहा जाता है अपने हवाई सर्वेक्षण के दौरान मैं उस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लगभग सभी तीन जिलों में मैदानी भाग में लघु सिंचाई तालाब हैं। मैं इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों को अपना यह अनुभव बताना चाहता हूं कि लगभग सभी निचले क्षेत्रों में लघु सिंचाई तालाब हैं। हम वहां सर्वत्र हरियाली देख सकते हैं। जब हम कार में जा रहे थे तो, मैं वस्तुत: कार से उतरकर मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ धान के खेत पर गया। उसी क्षेत्र में जहां कुछ नमी है, वहां कम नमी वाले क्षेत्र से अनाज की उपज अपेक्षाकृत अच्छी है। अधिकांश निचले क्षेत्रों में लघु सिंचाई तालाबों का निर्माण हो रहा था। पानी की कमी के कारण, फसलों की एक बार अथवा दो बार ही सिंचाई करने से अनाज का उत्पादन पूर्णत: संतोषजनक नहीं रहा है। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि यदि जमीन एक बार या दो बार आर्द्र हो जाए, तो धान के सभी क्षेत्रों को बचाया जा सकता है। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या हम भूमि जल प्राप्त नहीं कर सकते। वहां भूमि जल है? क्या वहां इसकी संभावना है? राज्य सरकार की क्या राय है? क्या आपने कोई सर्वेक्षण कराया है? महोदय, मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि यदि नलकूप लगा दिए जाएं तो एक या दो जिलों को छोड़कर वहां पर्याप्त भूमि जल है और हम वर्षा की कमी अथवा सूखे के समय अथवा

जो भी स्थिति उत्पन्न होती है उस भूमि जल का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम बड़े पैमाने पर नलकूप लगाएं, तो मैं समझता हूं कि हम इसे विभिन्न अनुत्पादक कार्यों में खर्च न कर काफी पैसे की बचत कर सकते हैं। आज भी यदि कोई वहां हवाई सर्वेक्षण पर जाए, तो वह पाएगा कि वहां फसल अच्छी है। परन्तु जब वह यहां खेतों में जाएगा तो वह पाएगा कि वहां वह बात नहीं है।

एक या दो बार की सिंचाई के बिना फसलें नहीं उगायी जा सकीं। यह वास्तविक स्थिति है जो मैंने वहां देखी है। मैंने मुख्यमंत्री को बताया, "आप एक ऐसा विशेषज्ञ नियुक्त करें जो एक विख्यात भूविज्ञानी हो, और वह सर्वेक्षण करे। केन्द्र सरकार नलकूपों के लिए कोई भी धनराशि प्रदान करने के लिए तैयार है क्योंकि वहां आठ जिलों में जहां पहले तीन जिले थे, सूखे की स्थिति हर वर्ष उत्पन्न हो जाती है। मैं सोचता हूं कि जब श्री चन्द्रशेखर प्रधान मंत्री थे तो वे भी वहां गए थे। उस समय भी वहां अनेक मौतें होने की खबर थी। वहां अनेक प्रकार की रिपोर्टें थीं और स्थिति गंभीर थी।

कालाहांडी मामले पर भी संसद में चर्चा हुई थी।

मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राहत उपायों पर तो हम कोई भी धनराशि व्यय कर सकते हैं, परन्तु मेरा कहना यह है कि यह केवल अस्थायी उपाय है। उसके बदले, यदि हम कुछ स्थायी उपाय करें तो हम निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों की इस प्रकार की दुर्दशा दूर कर सकते हैं। मैं कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता क्योंकि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री यहां अभी आए हैं।

मुख्यमंत्री मेरे साथ उपस्थित थे। मैंने स्वयं एक दो वृद्ध महिलाओं से पूछा कि क्या उन्हें कोई वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। चूंकि मैं ओडिशा भाषा नहीं जानता, इसलिए मैंने अधिकारियों से कहा कि वृद्धा जो बात कह रही है, वह मुझे अनुवाद करके बताएं। वृद्धा ने कहा कि उसे कोई वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती। मैंने जिला कलेक्टर से पूछा कि आप इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। उन्होंने सरपंच को बुलाया परन्तु सरपंच नहीं मिला। मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि हमारे एक माननीय सदस्य, जो यहां बैठे हुए हैं, भी वहां मौजूद थे। वहां सरपंच उपलब्ध नहीं था और जिला कलेक्टर भी सही उत्तर देने में थोड़ा झिझक रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वहां जो हुआ वह तो हुआ ही, अब वृद्धावस्था पेंशन अथवा रियायती दर पर खाद्यान्न अथवा ऐसा जो भी लाभ पहुंचाया जाना है, उसके लिए उन्हें, निर्धनतम व्यक्ति का चयन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। मैंने उन्हें यह निर्देश दिया। उन्होंने मुझे बताया कि ओडिशा हेतु निर्धारित कोटे अधिकतम सीमा कुछ भी हो के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन देने हेतु सरकार, 48,000 लोगों को चुना गया है, और यदि इस संख्या में रियायत दी जाती है, तो वह शेष कुछ और लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। मेरे समक्ष उन्होंने यह तथ्य प्रस्तुत किया। मैंने इसमें रियायत देने और ओडिशा के सात-आठ जिलों के और पांच हजार लोगों तक यह लाभ पहुंचाए जाने का निर्णय लिया। अत: उन वृद्ध व्यक्तियों जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, की पहचान की जाए और उन्हें यह सुविधा दी जाए। उन लोगों को यही निर्देश दिया गया था। उस दिन,

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मैंने घोषणा की कि हम लगभग 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने जा रहे हैं।

मैं इस सम्माननीय सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध धन का ही उल्लेख करूंगा। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, 162.67 करोड़ रुपए, इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 58.20 करोड़ रुपए, एम.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत 16.02 करोड़ रुपए, रोजगार सहायता योजना के अंतर्गत 111.45 करोड़ रुपए, समेकित ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत 30.21 करोड़ रुपए, डी.डब्ल्यू.सी.आर. के अंतर्गत 1.28 करोड़ रुपए और टूल किट्स के अंतर्गत 1.17 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। जब पैसा उपलब्ध है और यदि लोग काम की खोज में बाहर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि यह पैसा अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है। राज्य सरकार की कोई समस्या हो सकती है, परन्तु उसने इसकी कोई साफ तस्वीर प्रस्तुत नहीं की है।

पैसा अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया होगा। खैर, मैं अब वह बहाना नहीं सुनना चाहता और यह नहीं चाहता कि लोग कष्ट झेलें। भारत सरकार किसी भी कार्य हेतु धनराशि जारी करने के लिए तैयार है। मैं ओडिशा से आए हुए माननीय सदस्यों को इतना आश्वासन अवश्य दूंगा। उन गांवों को रोजगार और आवश्यक पेयजल प्रदान करने के लिए मैं कोई भी धनराशि देने के लिए तैयार हूं। वे कह रहे हैं कि लगभग 26,000 गांव सूखा-पीड़ित हैं। यह राज्य सरकार की रिपोर्ट है। मैं पेयजल, पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए धन देने के लिए तैयार हूं और वह राशि चाहे अनुदान हो अथवा भविष्य में योजना आवंटन में से समर्जित की जाने वाली हो, इस समय यह बहस का मुद्दा नहीं है। आइए, जैसा कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है, हम इस कार्य को युद्ध स्तर पर करें। जी हां, हम तैयार हैं। इसमें केन्द्र का और राज्यों का कितना-कितना हिस्सा है? इन सब बातों पर बाद में चर्चा हो सकती है। मैं एक स्पष्ट आश्वासन देने जा रहा हूं कि हम आवश्यक धन प्रदान करने के लिए तैयार हैं। किसी भी व्यक्ति को रोजगार की तलाश में अपने राज्यों से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। राज्य को रोजगार के अवसरों की जितनी चाहे जितनी भी आवश्यकता हो, वे कार्य आरम्भ करें और हम आवश्यक धन प्रदान करने के लिए तैयार हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता था।

आपदा राहत कोष के रूप में मैंने लगभग 37 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पहले, ग्रामीण विकास के अंतर्गत कितना धन उपलब्ध कराया गया था, कितना धन जारी किया गया था और कितना धन खर्च नहीं किया गया था, वह भिन्न मामला है जिसका उल्लेख मैंने इस सम्माननीय सभा में कर दिया है।

सिंचाई के लिए इस साल 800 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। उसमें से हमने 46.05 करोड़ रुपए की राशि ओडिशा को जारी की है। मुख्यमंत्री ने अपने ज्ञापन में लगभग 87.23 करोड़ रुपए की मांग की है। ओडिशा के लिए यह राशि लगभग 46.5 करोड़ रुपए है। वह किन्हीं लघु सिंचाई कार्यों अथवा जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य के लिए इस धन का पूरी तरह उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। वह एक अलग राशि

है। यह राशि आपदा राहत कोष के अंतर्गत नहीं आती है। यह धन आम बजट से आवंटित हुआ है। हमने बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं के लिए 800 करोड़ रुपए और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उनमें से हमने 46.5 करोड़ रुपए ओडिशा राज्य के हिस्से के रूप में जारी किए हैं।

दूसरी बात बुनियादी न्यूनतम सेवा है और यह भी आपदा राहत कोष के अंतर्गत नहीं आती। हमने 2,480 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उसमें से ओडिशा को 79.26 करोड़ रुपए मिलेंगे। हम समूची धनराशि जारी करने के लिए तैयार हैं। वे खर्च करें। बुनियादी न्यूनतम सेवा के अंतर्गत पेयजल, ग्रामीण सड़कों और अन्य सभी सम्बन्धित कार्यों के लिए हम इसके कोटा और हिस्से के रूप में 2,480 करोड़ रुपए जारी करने के लिए तैयार हैं। ओडिशा को 79 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। और वह भी पूरी राशि जारी करने के लिए हम तैयार हैं। इस राशि का उपयोग काम और रोजगार ढूंढ़ने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक रोजगार सृजन करने के प्रयोजन से किया जाए। परन्तु किसी पड़ोसी राज्य में जाकर प्रवास करने की आवश्यकता नहीं है।

हमने निर्धारित खाद्यान्न कोटे को 45,000 एम.टी. से बढ़ाकर अब 75,000 एम.टी. कर दिया है। अत: इस समस्या से निबटने के लिए धन की कमी का प्रश्न नहीं उठेगा। मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं कि यह राशि 600 करोड़ रुपए अथवा 500 करोड़ रुपए है अथवा यह 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार की अनुदान राशि है। हमें इस मामले पर तथा इसके साथ-साथ सूखे और बाढ़ से होने वाले नुकसान से निबटने हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों और मानदंडों पर विचार-विमर्श करना चाहिए और इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि केन्द्र और राज्यों के बीच धन का किस प्रकार बंटवारा किया जाए।

यहां ये सभी दिशा-निर्देश हैं। परन्तु मैं सिर्फ ओडिशा के लिए यह आश्वासन नहीं दे सकता कि जो धन दिया जा रहा है वह पूरी तरह अनुदान के रूप में है। यह बात मैं अभी नहीं कह सकता। सिंचाई शीर्ष के अंतर्गत जारी 92.10 करोड़ रुपए की धनराशि अनुदान है। बुनियादी न्यूनतम सेवा के अंतर्गत, 79.26 करोड़ रुपए की राशि पूर्णत: अनुदान है। आपदा राहत कोष के अंतर्गत जारी की गई 37 करोड़ रुपए की राशि पूर्णत: अनुदान है। अत: मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ग्रामीण विकास के विभिन्न वर्गों के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त 100 अथवा 180 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंचाई, बुनियादी न्यूनतम सेवा और आपदा राहत कोष के अंतर्गत दी गई धनराशि अभी उपलब्ध है। राज्य सरकार को लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुसीबतों को झेल रही ग्रामीण जनता को पेयजल अथवा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

इसके अतिरिक्त, लगभग उन सभी ब्लॉकों को लिया गया है जिनमें रोजगार आश्वासन योजनाएं नहीं, प्रत्येक ब्लॉक के लिए हम रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए जारी करने जा रहे हैं। उन जिलों के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने 8 जिलों के अतिरिक्त 26 जिलों के बारे में यह बात कही है। 30 में से 26 जिलों में इस

बार कम वर्षा हुई है। मुख्यमंत्री ने मुझे यही बताया। रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए लगभग सभी ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया है और जी.ओ. जारी किया गया है। हमने रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत प्रति ब्लॉक 20 लाख रुपए की राशि जारी करने का निर्देश भी दिया है।

*** *** ***1

बोलंगीर और सोनपुर जिलों के उन सभी आठों प्रखण्डों में रोजगार आश्वासन योजना लागू की जानी चाहिए जिन्हें अभी तक इस योजना के अंतर्गत नहीं लिया गया है। काम आरम्भ करने के लिए प्रति प्रखण्ड 20 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी। वर्ष के दौरान 30 से पहले पूरे ओडिशा भर में 40 और अधिक प्रखण्ड शामिल किए जाएंगे और इस प्रकार यह योग 290 प्रखण्ड हो जाएगा। शेष प्रखण्ड को, यदि कोई हो, जिसे अकाल पीड़ित जिलों में शामिल नहीं किया गया है। हम इसके अंतर्गत शामिल करना चाहते हैं। हम वर्ष 1997-98 तक पूरे देश में लगभग सभी प्रखण्डों को शामिल करना चाहते हैं और जो प्रखण्ड उक्त प्रभावित जिलों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इसी वर्ष शामिल कर लिया जाएगा।

*** *** ***2

मैं दो तीन मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। लोअर इन्दिरा इरिगेशन प्रोजेक्ट और लोअर सुकटेल प्रोजेक्ट ऐसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, जहां कुछ समस्याएं हैं। कुछ लोग परियोजना आरम्भ करना चाहते हैं जबकि कुछ अन्य लोग भूमि आप्लावन के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री से इन दो परियोजनाओं को पेश करने को कहा और हम इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने जा रहे हैं।

हम राज्य सरकार से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। वस्तुत: परसों ही मैंने मंत्रिमंडल सचिव को कहा कि वे मुख्यमंत्री से सम्पर्क कर उनसे उन दो परियोजनाओं को पेश करने के लिए कहें। मैं आपको यह बता दूं कि किसी जानकारी को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। वे अब सभी आवश्यक आंकड़े तैयार कर रहे हैं। मैं आपको यह आश्वासन दे चुका हूं कि ये दोनों परियोजनाएं नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल होने जा रही हैं जिन्हें आगामी दो या तीन माह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि और यहां भी मैं सभा पटल पर एक वचन देने जा रहा हूं। इससे एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा और यह स्वाभाविक है कि कुछ क्षेत्र जल आप्लावित होंगे। हमें उन विस्थापित लोगों को बसाना है। इनके पुनर्वास के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा रहा है। वह बिल्कुल अलग मामला है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्थायी समाधान के बारे में सुझाव दिया है। मैंने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां हम राज्य सरकार द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार इन दो परियोजनाओं को आरम्भ कर स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय लोगों ने अन्य बातों का भी सुझाव दिया है। एक मझोली जॉक सिंचाई परियोजना है जिससे लगभग दस हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होने

की सम्भावना है, बनायी गई है। यह परियोजना पूरी की जाए। इस पर काम चल रहा है। यह अधूरी परियोजना है। हम इसके लिए लगातार पैसा दे रहे हैं।

*** *** ***3

वास्तव में, हरेक मुख्यमंत्री यही मांग करता रहा है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को और अधिक शक्तियां दी जाएं। हमारी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक बैठक में, इस संबंध में सिफारिशें देने हेतु एक उप-समिति गठित की जा चुकी है। कल, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने भी राज्यों को प्रशासन के संबंध में पूरी छूट लिए जाने के बारे में उल्लेख किया था, ताकि वे अपने-आप व्यवस्था कर सकें। आप भी यही कह रहे थे। मैं नहीं समझता कि इसमें धन संबंधी कोई मुद्दा है।

इस संबंध में, मैं एक बात का उल्लेख करूंगा। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने नि:शुल्क पोषण केन्द्र नामक योजना शुरू करने हेतु 8.10 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी। हम अपने क्षेत्र में इन्हें उन जिलों में पीड़ित जनता के लिए पोषण के लिए गंजी केन्द्र कहते हैं। उन्होंने दिसम्बर, 1994 में इस प्रयोजन हेतु 8.10 करोड़ रुपए जारी किए थे तथा इस योजना के अंतर्गत मुश्किल से 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जा रही है। उन्होंने यह धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष से जारी की थी। इस संबंध में बहुत-सी बातों का वर्णन कर सकता हूं। मैं इन सभी बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता।

यह केवल आठ जिलों का ही सवाल नहीं है। प्रश्न उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने का है जो इस सूखे से प्रभावित हैं। ऐसा ओडिशा की वजह से नहीं है। मैं इस विषय पर स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। किसी को भी मेरे बारे में यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मेरा ऐसा करने के पीछे कोई उद्देश्य है। इस वर्ष पहली बार सिंचाई के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि देने का उद्देश्य पिछले कई वर्षों से लम्बित कुछ परियोजनाओं की ओर ध्यान देना है। इन लंबित परियोजनाओं को किसी की चिन्ता नहीं है।

हमने केन्द्र सरकार के बजट में 800 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान करने का निर्णय पहली बार लिया है। मेरी मंशा सिंचाई के लिए अधिक धनराशि प्रदान करने की है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी और ऐसे क्षेत्र प्रत्येक राज्य में हैं।

मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी को यह आश्वासन देता हूं कि इस वर्ष दी गई 92.10 करोड़ रुपए की राशि में वृद्धि की जाएगी। यह अनुदान शत प्रतिशत भारत सरकार की ओर से है। इस संबंध में राज्य सरकार की वचनबद्धत्ता का कोई प्रश्न नहीं है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस समस्या का सामना करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाए।

इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री को यह कहा है कि भूमिगत जल का आकलन करने का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक विशेषज्ञता प्राप्त भूवैज्ञानिक को लगाया जाए और इन सभी क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराया जाए। यदि जहां कहीं भूमिगत जल उपलब्ध भी है वहां बड़े पैमाने पर नलकूप लगाए जाते हैं, तो इससे निश्चित रूप उन लोगों की समस्या हल हो जाएगी जो अपर्याप्त वर्षा के कारण परेशान हैं। यह क्षेत्र अधिक वर्षा वाला है अथवा कम वर्षा वाला है, मैं इस

विवाद में नहीं पड़ना चाहता, भारत सरकार इस क्षेत्र के लिए कोई स्थायी समाधान खोजने को तैयार है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा तैयार की जा रही के.बी.के. योजना के संबंध में मुझे यह चिन्ता नहीं है कि इसके लिए कितनी धनराशि जारी की जाती है। मैं इन सब बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा। हम चाहते हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कुछ स्थायी राहत दी जाए। हमने इस संबंध में निर्णय लिया है। आपने कल यह कहा है कि कावेरी नदी में पानी नहीं है और गंगा ब्रह्मपुत्र में काफी पानी है।

हम फालतू पानी वाले बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन को पानी दे सकते हैं अथवा नहीं, इस बात की जांच करने के लिए मैंने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। मैंने इस समिति को सभी ऐसे दिशानिर्देश दिए हैं कि उसे किन-किन क्षेत्रों में जांच करनी है।

*** *** ***4

मैंने भूतपूर्व जल संसाधन मंत्री श्री शुक्ल जी से एक प्रश्न पूछा था। इस संबंध में मैं संबंधित विभाग से पहले से ही सम्पर्क बनाए हुए हैं क्योंकि मैं भी सिंचाई के बारे में उतना ही चिन्तित हूं। मुझे किसानों और सिंचाई के लिए दिया गया अपना वचन याद है। मैं इस संबंध में विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैंने इसकी व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पहले ही एक समिति गठित कर दी है। यह परियोजना आर्थिक और तकनीकी रूप से व्यवहार्य होनी चाहिए। फालतू पानी वाले बेसिन का पानी की कमी वाले बेसिन में सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसकी जांच की जाएगी। जैसे ही इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होगा, इसे कार्यान्वित करने से पूर्व अंतिम आवंटन करने के लिए मैं सभा को इसकी जानकारी दूंगा।

श्री जी.वी.के. राव ने खराब स्वास्थ्य के कारण मना कर दिया है। श्री हनुमंनत राव इस समिति के सभापति बनाए गए हैं। इसके लिए हमें धनराशि भी जुटानी है। यदि हम सभी एकत्रित होकर सामूहिक रूप से कार्य करें तो धनराशि जुटाई जा सकती है। मैं तो यही कह सकता हूं। व्यापक नलकूप कार्यक्रम हेतु हम इस योजना को केन्द्र से ही धनराशि प्रदान करेंगे।

*** *** ***5

इस समस्या से निपटने के लिए जितनी धनराशि चाहिए, हम भारत सरकार से देने के लिए तैयार हैं। यह शत प्रतिशत अनुदान है अथवा इसे योजना में समायोजित किया जाएगा, ये सभी बातें अब संगत नहीं है। हमें इन आठ जिलों में इस समस्या से गंभीरता से निपटना चाहिए। उसके लिए आवश्यक धनराशि जारी की जाएगी। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं। यदि आप चाहें तो मैं अलग से एक बैठक बुलाने और इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

मुख्यमंत्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 में से 26 जिले प्रभावित हुए हैं। इन 26 जिलों में कुल 2600 गांव प्रभावित हुए हैं। उनकी रिपोर्ट में यह बताया गया है। इस रिपोर्ट में समस्त ब्यौरा दिया गया है। मैंने भी आवश्यक धनराशि का उल्लेख किया है। धनराशि कोई मुद्दा नहीं है। हम यह धन देने जा रहे हैं। राज्य सरकार को गंभीरतापूर्वक कार्य शुरू करना है।

पश्च टिप्पण

XII. ओडिशा में सूखे की स्थिति के संबंध में चर्चा, 29 नवंबर, 1996

1. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या माननीय प्रधानमंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि इसमें ''लगभग सभी ब्लॉक'' शामिल है अथवा ''सभी ब्लॉक'' शामिल हैं। कुल 314 ब्लॉक हैं।

श्री एच.डी. देवे गौड़ा: शेष सभी ब्लॉक हैं। इसका मैं आपको विवरण दूंगा। दरअसल मैं हर बात को पढ़ना नहीं चाहता।

2. **श्री पिनाकी मिश्र** : महोदय, मैं केवल एक मिनट और समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हम गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आवंटित समय को भी इसी मुद्दे के अंतर्गत लिए जा रहे हैं।

श्री पिनाकी मिश्र : यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय कृषि मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार का 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' मूल रूप से रोजगार आश्वासन योजना पर आधारित होने जा रहा है। केवल 24 प्रखण्ड शेष रहते हैं। कल मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया था कि वे प्रधान मंत्री से अनुरोध करें कि चूंकि केवल 24 प्रखण्ड शेष रहते हैं, इसलिए इन शेष सभी 24 प्रखण्डों को 26 सूखाग्रस्त जिलों में शामिल किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री आज सभा पटल पर यह वचन क्यों नहीं देते कि इन 24 प्रखण्डों को भी रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। यदि वे ऐसा आज ही कर दें तो हमारे लिए और बेहतर होगा।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : मैंने मुख्यमंत्री को यही सुझाव दिया था कि उन प्रभावित जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी प्रखण्डों को इसमें शामिल कर लिया जाए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सुझाव दिया है और यदि 24 प्रखण्ड शेष रहते हैं, तो मैं इस पर विचार करने के लिए तैयार हूं और मैं यह प्रयास करूंगा कि इन प्रखण्डों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : मैं माननीय प्रधानमंत्री से एक पंक्ति का प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमें पहले ही देर हो गई है। यदि आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय स्थगित नहीं करेंगे तो यह संभव नहीं होगा। यह उचित नहीं है।

3. **श्री जगमोहन** : कल मैंने पूर्व प्रधानमंत्री तथा आज अपराह्न स्वयं आपको सुना। यहां ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि यहां पर्याप्त धन है और इसके उपयोग के लिए अनेक योजनाएं हैं। वहां कोई कमजोर है तो वह प्रशासनिक तंत्र है जो वस्तुत: इन योजनाओं को कार्यान्वित कर सकता है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार की ऐसी आपात स्थिति में क्या मदद कर सकती है ताकि वहां पर एक ऐसा कारगर तंत्र कायम किया जा सके जो वास्तव में इन योजनाओं का कार्यान्वयन समय पर करे? क्या आप कृपया इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे कि ऐसे इस प्रकार के काम के लिए विशेषतौर पर उन लोगों—जिन्होंने महाराष्ट्र में पड़े अकाल के समय कार्य किया है और उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है, उन्हें इस प्रकार का अनुभव हो सकता है—कुछ विशेष आयुक्त हों, ताकि इन कार्यों के कार्यान्वयन की गति तेज हो सके।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : मैं राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।

श्री जगमोहन : यह एक प्रकार का सुझाव है।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : मैं खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम सेवक की नियुक्ति हेतु राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूं। इसमें रिक्तियां हैं। मैं इस बात के हर पहलू के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि डॉक्टरों के कितने पद नहीं भरे गए हैं। मैं इन सभी विषयों पर कोई मुद्दा नहीं बनाऊंगा। ये सभी ऐसे मामले हैं, जिन पर कि राज्य सरकार को ध्यान देना है।

4. **श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा (रोहतक)** : डॉ. के.एल. राव ने इस संबंध में काफी कार्य किया है।

श्री एच.डी. देवे गौड़ा : उन्होंने यह कार्य केवल प्रायद्वीपीय नदी घाटी योजना पर किया है।

5. **श्री अनिल बसु (आरामबाग)** : कृपया, आप इसे दस मिनट तक बढ़ा दें।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : दस मिनट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ओडिशा के सभी प्रतिनिधि सदस्यों से केवल यह कहता हूं कि वे इसे अपने मन में रखें। इसमें राजनीति को शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कांग्रेस शासित राज्य है। यहां ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सचेतक ने मजाकिया तौर पर इसका जिक्र किया है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैंने कहा था कि आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए जो हमें संतुष्ट कर सके।

डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी के बारे में निधन संबंधी उल्लेख

02 दिसम्बर, 1996

अध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी के निधन पर हम सभी को हुई क्षति पर दु:ख प्रकट करता हूं और अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। डॉ. रेड्डी ने अपने लम्बे राजनैतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद राज्य में राजनैतिक आन्दोलन से की। वह 1950 से हैदराबाद राज्य की राजनीति में सक्रिय थे और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे जैसे कृषि और खाद्य मंत्री, योजना और पुनर्वास मंत्री। तत्पश्चात् आंध्र प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री, शिक्षा और वाणिज्यिक कर मंत्री भी रहे। डॉ. रेड्डी 1967 में राज्य सभा के सदस्य बने और 1967-68 के दौरान केन्द्र में इस्पात और खान मंत्री के महत्त्वपूर्ण पद पर थे। वह 1974-77 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तथा 1977-80 तक तथा उसके बाद 1989-90 के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। डॉ. चेन्ना रेड्डी ने पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में राष्ट्र की सेवा की। डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी के निधन से राष्ट्र ने अपना एक योग्य प्रशासक और एक अनुभवी सांसद खो दिया है। नि:संदेह इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी मेरे साथ दिवंगत डॉ. चेन्ना रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके संबंधियों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करे।

पश्च टिप्पण

XIII. डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी के बारे में निधन संबंधी उल्लेख, 02 दिसंबर, 1996

कोई टिप्पण नहीं।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के संबंध में प्रस्ताव

5 दिसम्बर, 1996

महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव परिणामों की अन्तिम रूप से घोषणा चुनाव आयोग द्वारा 10 अक्तूबर को की गई थी। राज्यपाल ने सभी सम्भावनाओं का पता लगाकर 17 अक्तूबर तक उनके पास लाने के लिए तथाकथित एकमात्र सबसे बड़े दल सहित सभी राजनैतिक दलों को पर्याप्त अवसर दिया था कि क्या वे सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाकर स्थायी सरकार बना सकते हैं। उन्होंने भारत सरकार अथवा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने के लिए एक सप्ताह तक इन्तजार किया। महोदय, वे पूर्णत: विफल रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी स्वयं अथवा अन्य राजनीतिक पार्टियों के मेल से वांछित संख्या प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकती थी। वे राज्यपाल को सूची भेजने में असमर्थ रहे थे। तत्पश्चात् राज्यपाल के समक्ष भारत सरकार और भारत के राष्ट्रपति के पास अपनी सिफारिशें भेजने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा था। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था।

हाल ही में, राज्य सभा के लिए उप-चुनाव करवाए गए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का भरसक प्रयास किया कि उनके उम्मीदवार चुनाव जीत जाएं। भारतीय जनता पार्टी के सभी तीन उम्मीदवार राज्य सभा चुनाव हार गए। यह बात स्वयं इस बात की स्पष्ट सूचक है कि उत्तर प्रदेश में जनादेश धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए था और हमारे दल की वचनबद्धता भी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के प्रति है। यह इस बात का स्पष्ट सूचक है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम सभी में, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी हो अथवा समाजवादी पार्टी अथवा कांग्रेस अथवा कोई अन्य दल, मतभेद होने के बावजूद भी सरकार को चला रहे हैं। उनमें मतभेद हैं। हाल ही के राज्य सभा के उप-चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सभी तीनों उम्मीदवार हार गए थे। यह स्वयं इस बात का सूचक है और उससे भी अधिक यह कि यह एक प्रकार का गुप्त मतदान था, जिसमें सभी प्रकार के राजनीतिक दावपेंच चल सकते थे। महोदय, इन सभी बातों के होते हुए भी वे असफल हो गए। उप-चुनाव की अवधि के दौरान क्या कुछ हुआ, मैं वह सब जानता हूं। वे वांछित संख्या प्राप्त करने में असमर्थ थे। यह स्वयं इस बात का स्पष्ट सूचक है कि राज्यपाल ने जो सिफारिश की थी वह आधारपूर्ण थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अत: मैं इस महान सभा से इस संकल्प को स्वीकृति अनुमोदित करने का अनुरोध करता हूं।

पश्च टिप्पण

XIV. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के संबंध में प्रस्ताव, 5 दिसंबर, 1996

कोई टिप्पण नहीं।

बंगलादेश के साथ गंगा जल के बंटवारे पर हुई संधि पर हस्ताक्षर के संबंध में वक्तव्य

12 दिसम्बर, 1996

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बंगलादेश तथा हमारे देश के बीच गंगा जल के बंटवारे के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

बंगलादेश गणराज्य की प्रधानमंत्री महामहिम शेख हसीना हमारे निमंत्रण पर 10 से 12 दिसम्बर, 1996 के बीच भारत के राजकीय दौरे पर आईं। प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उप-सभापति तथा सदन में विपक्ष के नेता से मिलीं। मेरी उनके साथ विस्तार से बातचीत हुई। वे राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मिलीं। ये वार्ताएं बहुत गर्मजोशी तथा दोस्ताना माहौल में हुईं। बंगलादेश की प्रधानमंत्री ने अपने भारत प्रवास के दौरान अजमेर तथा जयपुर का भी दौरा किया।

इस वर्ष जून में सत्तासीन होने के बाद बंगलादेश की प्रधानमंत्री की यह प्रथम भारत यात्रा थी। हालांकि यह दौरा हमारी सरकार द्वारा सत्ता संभालने के साथ ही शुरू किए गए अनेक विचार विनिमय का परिणाम था। इसके पहले सितंबर माह में विदेश मंत्री ढाका के दौरे पर गए और नवंबर माह में बंगलादेश के विदेश मंत्री ने यहां का दौरा किया। सघन आदान-प्रदान की इस अवधि में हमारे संबंधों में एक बिल्कुल नया आयाम आया। हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों के संबंध में प्रगति हो रही है। इसमें अहम मुद्दा हमारी द्विपक्षीय संधि का है, गत दो दशकों के दौरान मुख्य मुद्दा फरक्का में गंगा जल बंटवारे का रहा है। मुझे यह बताते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमारे तथा बंगलादेश की प्रधानमंत्री के बीच गंगा जल बंटवारे के संबंध में एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमें विश्वास है कि यह संधि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इस संधि से भारत के हितों की सुरक्षा होगी और साथ ही बंगलादेश को गंगा जल के बंटवारे से मदद मिलेगी।

मैं संधि के मूल पाठ की एक प्रति अनुबंध के रूप में सभा पटल पर रखूंगा। संधि के अनुसार भारत तथा बंगलादेश के बीच फरक्का में गंगा जल का बंटवारा अनुबंध-I में दर्शाए गए फार्मूले के आधार पर दिया जाएगा। इस फार्मूले की मुख्य बात यह है कि उपलब्ध जल का बंटवारा बराबरी के आधार पर समुचित ढंग से किया जाएगा। इस फार्मूले में दोनों देशों की आधारभूत तथा न्यूनतम आवश्यकताओं को भी मद्देनजर रखने की बात कही गई है। अत: 1 मार्च से 10 मई के बीच जल की कम आवश्यकता वाली अवधि के दौरान भारत तथा बंगलादेश को एक-एक करके 10-10 दिनों की अवधि के लिए वैकल्पिक रूप से तीन बार 35,000 क्यूसेक जल मिलने की गारंटी दी गई है। इसका लक्ष्य दोनों देशों की मौलिक आवश्यकता को न्यायोचित ढंग से पूर्ति करना तथा जल की कमी के बोझ को बांटना है। इस संधि में एक दीर्घावधि व्यवस्था की गई है जिसमें थोड़ी-थोड़ी अवधि के बाद जल बंटवारे के फार्मूले की समीक्षा करने तथा आवश्यकतानुसार समायोजन करने की बात है। यह संधि 30 वर्षों के लिए मान्य होगी तथा दोनों देशों की रजामंदी से ही इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा, इसमें प्रत्येक 5 वर्षों के बाद संधि की आवश्यक रूप से समीक्षा किए जाने की बात कही गई है और आवश्यकता

पड़ने पर दो वर्षों के पश्चात् इसकी उक्त अवधि के पहले भी समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। समीक्षा किए जाने के बाद बंगलादेश को नए फार्मूले के अनुसार जल का 90 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा। इस तरह से हम ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे जहां भारत तथा बंगलादेश के बीच गंगा जल के बंटवारे के संबंध में कोई समझौता नहीं है।

भारत तथा बंगलादेश के बीच संधि पर हस्ताक्षर होना हमारे संबंधों की विशिष्टता को दर्शाता है। भारत-बंगलादेश सहयोग 1971 के दौरान दोनों देशों के शहीदों के खून एवं बलिदान के इतिहास पर आधारित है। यह और भी उपयुक्त बात है कि यह संधि बंगलादेश की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर हो रही है जो कि हमारे उपमहाद्वीप के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इस संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही भारत-बंगलादेश संबंधों के एक नए युग की शुरुआत होगी। यह नया संबंध सुरक्षा, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्रों में भारत के लिए दीर्घकालिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित होगा। द्विपक्षीय संधियों के बीच हमेशा से चली आ रही अड़चनों को दूर करके, हम सहयोग के बिल्कुल एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। सदन इस बात से अवगत होगा कि हमने बंगलादेश को अनेक निर्यात उत्पादों पर पहले ही टैरिफ रियायत देकर वाणिज्य के क्षेत्र में सहयोग की पहल कर दी है। हमारा विचार व्यापार संबंधों में और वृद्धि करने के लिए 100 करोड़ रुपए के वाणिज्यिक ऋण प्रदान करने का है। समूचे पूर्वी क्षेत्र में उचित विकास एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम बंगलादेश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

यहां मैं यह भी बता रहा हूं कि पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों का प्रयास बंगलादेश के साथ हमारे संबंधों को सुदृढ़ करने का रहा है।

यहां यह भी बताना उचित होगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा उनके कैबिनेट सहयोगियों ने एक ऐसी स्थिति के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है जिससे भारत-बंगलादेश के बीच वर्तमान संधि का होना संभव हो पाया है। मैं विदेश मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय तथा जल भूतल परिवहन मंत्रालय के अपने सहयोगियों के अमूल्य सहयोग एवं प्रयास के लिए भी उनका धन्यवाद देना चाहूंगा।

'सार्क' जैसे क्षेत्रीय मंचों पर भारत तथा बंगलादेश दोनों देशों का काफी सहयोग रहा है और हमारा इस सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा ताकि इस उपमहाद्वीप में सभी देशों के बीच रचनात्मक संबंध का निर्माण हो सके।

बंगलादेश के प्रधानमंत्री की यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है। गत रात उनके सम्मान में दिए गए रात्रि भोज के भाषण में उन्होंने स्वयं ही 1971 की भावना में पुन: विश्वास व्यक्त किया है। हम उस समय को भी याद करते हैं जब हमने कंधे से कंधा मिला कर कार्य किया था तथा भ्रातृत्व की यही भावना भविष्य में हमें एक नए युग की ओर प्रेरित करेगी। मुझे विश्वास है कि सदन इन भावनाओं से सहमत होगा तथा इस दिशा में प्रगति के हमारे संकल्प को समर्थन देगा।

पश्च टिप्पण

XV. बंगलादेश के साथ गंगा जल के बंटवारे पर हुई संधि पर हस्ताक्षर के संबंध में वक्तव्य, 12 दिसम्बर, 1996

कोई टिप्पण नहीं।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्मशती मनाने संबंधी सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य

20 दिसम्बर, 1996

अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यगण,

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी मनाने के संबंध में इस सदन में और बाहर हाल ही में चिन्ता व्यक्त की गई है।

सबसे पहले मैं इस संबंध में सभी सन्देहों को दूर करना चाहूंगा। नेताजी की जन्म शताब्दी उपयुक्त तरीके से मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन नवम्बर, 1995 में किया गया था। राष्ट्रीय समिति की बैठक 5 दिसम्बर, 1995 को हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि समारोह 23 जनवरी, 1997 को प्रारम्भ होंगे और तत्पश्चात् एक वर्ष तक चलेंगे। राष्ट्रीय समिति ने एक उप-समिति भी गठित की थी, जिसको समारोहों की कार्य-योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इस उप-समिति की बैठक 25 अक्तूबर, 1996 को हुई थी, जिसमें 23 जनवरी, 1997 के उद्घाटन समारोह तथा शताब्दी वर्ष के दौरान चलने वाले कार्यक्रम तैयार किए गए। इस कार्यक्रम को मनाने के तरीके के संबंध में चर्चा करने के लिए मैंने 9 दिसम्बर, 1996 को संसद के दोनों सदनों के नेताओं के साथ बैठक भी की थी। उप-समिति प्राप्त सुझावों के प्रकाश में शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों व कार्यकलापों को अंतिम रूप प्रदान कर रही है।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि सरकार भारत की जनता के सहयोग से नेताजी के जन्म शताब्दी संबंधी समारोहों को राष्ट्रीय महत्व की एक स्मरणीय घटना बनाने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के अनुरूप हो। नेताजी को पूरे भारत की जनता आदर व स्नेह के साथ स्मरण करती है और इस तथ्य को समारोहों की योजना तैयार करते समय पूर्णत: मद्देनजर रखा जाएगा।

सुझाव है कि बाल दिवस (14 नवम्बर) और शिक्षक दिवस (5 सितम्बर) के ही पैटर्न पर 23 जनवरी को राष्ट्रीय सेवा दिवस या राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में घोषित किया जाए। इस संबंध में हम और भी सुझावों का स्वागत करेंगे, ताकि नेताजी का जन्म दिवस भावी पीढ़ी द्वारा उपयुक्त तरीके से मनाया जा सके।

23 जनवरी, 1997 को, जो कि शताब्दी समारोह के आरम्भ होने का दिन है, प्रशासनिक अवकाश के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है और यह भी प्रस्ताव है कि उस दिन लाल किले में उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाए। इस समारोह में नेताजी पर एक स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया जाएगा।

शताब्दी वर्ष के दौरान नेताजी की स्मृति में स्मारक सिक्के जारी किए जाएंगे; उनके जीवनवृत्त संबंधी फिल्म का विमोचन किया जाएगा और उनकी जीवनी प्रकाशित और परिचालित की जाएगी। भारत सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की संग्रहित कृतियों को प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता भी देगी।

सरकार द्वारा नेताजी और आजाद हिन्द फौज के लिए एक उपयुक्त स्मारक बनाने की भी योजना है। नेताजी का स्मारक उनके जन्मस्थल कटक या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बनाया जा सकता है। आजाद हिन्द फौज का स्मारक मणिपुर में मोएरंग में बनाया जा सकता है। लाल किला-सलीमगढ़ किला परिसर में स्थापित स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय एवं स्वतंत्रता सेनानी स्मारक को सुदृढ़ किया जाएगा।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जन्म शताब्दी को पूरे देश में मनाया जाए, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों से उपयुक्त कार्यक्रमों व कार्यकलापों की योजना तैयार करने और उनको आयोजित करने के लिए अनुरोध किया गया है। देशभर में स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनारों, वाद-विवादों, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

चूंकि नेताजी के जन्म शताब्दी समारोह स्पष्टत: भारत की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के साथ-साथ ही आयोजित किए जाएंगे, इसलिए इन दोनों को बेहतर ढंग से समामेलित करने के प्रयास किए जाएंगे।

मुझे विश्वास है कि इस जन्म शताब्दी को उपयुक्त तरीके से मनाने के हमारे प्रयास में इस महान सदन के सभी सदस्य अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

*** *** ***1

पश्च टिप्पण

XVI. **नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्मशती मनाने संबंधी सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य, 20 दिसम्बर, 1996**

1. **श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)**: क्या 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जा रहा है?

श्री एच.डी. देवे गौड़ा: 23 जनवरी को केवल वर्ष 1997 के लिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है।

प्रक्षेपास्त्र परीक्षण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में वक्तव्य

24 फरवरी, 1997

(एक) पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण

मैं आपकी अनुमति से पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के सफलतापूर्वक छोड़े जाने के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहूंगा।

मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को अपनी बधाइयां और समस्त देश की शुभकामनाएं देने के लिए सभा के समक्ष खड़ा हूं जिन्होंने कल 250 कि.मी. की दूरी की श्रेणी वाले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया है। जैसा कि विदित है कि यह प्रक्षेपास्त्र भारतीय वायु सेना के प्रयोग के लिए है और इससे हमारी रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि होगी। जैसा सभा को मालूम है, हमने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया है और कल का सफल प्रक्षेपण इस कार्यक्रम का एक और मील का पत्थर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इसके समर्पित वैज्ञानिकों के दल ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है और मुझे विश्वास है कि यह सभा उनके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्य के लिए उनकी सराहना करने में मेरा साथ देगी।

(दो) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

एक सुविचारित और उपयुक्त रूप से कार्य कर रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि, मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए कार्य करने में असफल रहने, शहरी क्षेत्रों के प्रति उसके झुकाव तथा सुपुर्दगी के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था न होने के कारण व्यापक रूप से आलोचना हुई है। इस बात को समझते हुए, सरकार का गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके तथा सुपुर्दगी प्रणाली की बेहतर मॉनीटरिंग के साथ उन्हें विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुएं बेचकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने का प्रस्ताव है।

जैसा कि 1996-97 के केन्द्रीय बजट में कहा गया है, इस संबंध में शुरुआत अर्थात् खाद्यान्न जारी करके करने का प्रस्ताव है, जिसकी सबसे अधिक जरूरत महसूस की जाती है।

प्रारंभ में योजना आयोग द्वारा प्रो. लाकडावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बताए गए तरीके का इस्तेमाल करके निकाले गए 1993-94 के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति परिवार, प्रति माह 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जैसाकि मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी, राज्यों द्वारा गत, 10 वर्षों में खाद्यान्न के औसत उठान को इस समय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर रहे गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है। इस औसत उठान में से जो मात्रा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की आवश्यकता से अधिक है, उसे राज्यों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर अस्थायी आवंटन के रूप में आवंटित करने का प्रस्ताव है।

सरकार का सुनिश्चित रोजगार स्कीम और जवाहर रोजगार योजना के तहत लाभभोगियों के लिए भी 1 कि.ग्रा. चावल/गेहूं प्रति मानव दिवस की दर से विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है।

यह सर्वविदित है कि चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को 1.2.1994 से संशोधन नहीं किया है। इसके बाद से चावल और गेहूं दोनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमश: तीन और चार बार वृद्धि की जा चुकी है। इन संशोधनों और अन्य आनुषंगिक खर्चों में वृद्धि और इसी समय लोगों के लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए सरकार का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

निर्गम मूल्य रु./कि.ग्रा.		चावल		गेहूं		कुल
		कॉमन	फाइन	सुपर	फाइन	राज सहायता
1.	गरीबी रेखा से नीचे	3.50	3.50	-	2.50	8282.90
2.	गरीबी रेखा से ऊपर	-	6.50	7.50	4.50	

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बुनियादी रूप से गरीबों पर केन्द्रित है और इससे गरीबी रेखा से नीचे के 32 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य राजसहायता की राशि लगभग आठ हजार करोड़ रुपए की होगी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 180 लाख मी. टन खाद्यान्न जारी किए जाने की संभावना है।

कोई भी राज्य जो बड़ी संख्या में लोगों को इस स्कीम में शामिल करना चाहता है या दी जाने वाली मात्रा के पैमाने में वृद्धि करना या मूल्य कम करना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते वह अपने स्वयं के संसाधनों से खाद्यान्नों और निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभभोगियों की पहचान करना, उन्हें विशेष कार्ड जारी करना और इन अभिप्रेत लाभभोगियों के लिए खाद्यान्नों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और उन्हें सदन के पटल पर रखा गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकारें इन दिशानिर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगी और इस बात पर नजर रखेंगी कि हमारे समाज के सबसे गरीब वर्गों को खाद्यान्नों की उनकी हकदारी बिना नागा नियमित रूप से मिलती रहे।

पश्च टिप्पण

XVII. प्रक्षेपास्त्र परीक्षण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में वक्तव्य, 24 फरवरी, 1997

(एक) पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण, 24 फरवरी, 1997

(दो) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 24 फरवरी, 1997

कोई टिप्पण नहीं।

बारीपाड़ा, ओडिशा में हुए अग्निकांड के बारे में वक्तव्य

25 फरवरी, 1997

महोदय, मैं आपकी अनुमति से ओडिशा राज्य की अपनी कल की यात्रा के संबंध में निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं।

मैं कांग्रेस (आई) के नेता श्री शरद पवार, भा.ज.पा. के श्री करिया मुंडा तथा विभिन्न दलों के संसद सदस्यों श्री बीजू पटनायक, श्री अंचल दास, श्री श्रीबल्लम पाणिग्रही, श्री श्रीकान्त जेना, कुमारी सुशीला तिरियां के साथ की गई अपनी यात्रा के संबंध में माननीय सदस्यों को कुछ सूचना देना चाहता हूं। हम बारीपाड़ा में 23 फरवरी 1997 को आग से हुई भीषण दुर्घटना वाली जगह का मुआयना करने के लिए कल दिनांक 24 फरवरी, 1997 को बारीपाड़ा गए थे।

इस घटना के बारे में तथ्य नीचे दिए गए हैं:

मयूरभंज जिले की बारीपाड़ा नगरपालिका के तहत मधुबन क्षेत्र में एक धार्मिक समारोह जो 21 फरवरी, 1997 को आरम्भ हुआ था और 23 फरवरी, 1997 को समाप्त होना था, के दौरान लगभग 10 हजार श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे। 23 फरवरी को दोपहर बाद 3.15 बजे अचानक उस स्थान पर भीषण आग भड़क उठी। राज्य सरकार द्वारा बताया गया है कि दमकल तुरन्त बचाव कार्य में जुट गए। महिलाओं के शिविर को तो बचा लिया गया लेकिन पुरुषों के शिविर में आग फैल गई और 149 लोग मौके पर ही मर गए। अन्य 175 लोग जख्मी हो गए और उन्हें स्थानीय अस्पतालों तथा नर्सिंग गृहों में भर्ती करा दिया गया था। जख्मी लोगों में से भी 28 व्यक्ति मर गए।

इस घटना के तुरन्त बाद स्थानीय प्रशासन ने घायलों की देखभाल के लिए 43 डॉक्टर तैनात कर दिए। स्थानीय स्वयंसेवी संगठन, व्यापारी वर्ग और राजनैतिक कार्यकर्ता भी बचाव कार्य में जुट गए। कटक के मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ भी बारीपाड़ा पहुंच गया है।

मृतकों की पहचान की जा रही है और उनकी पहचान करने के लिए उनके सगे-संबंधी एवं परिचित लोग वहां आ रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार मृतकों के परिवारों को तथा स्थाई रूप से विकलांग हो गए लोगों को 50 हजार रुपए रिलीज कर रही है। घायल हुए अन्य लोगों को भी केन्द्र सरकार 25 हजार रुपए मुहैया कराएगी।

राज्य सरकार ने भी मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों को 25 हजार रुपए तथा घायल हुए लोगों को 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।

मैंने मुख्यमंत्री जी से भी यह अनुरोध किया है कि मृतकों की ठीक-ठीक पहचान करने का प्रयास कराएं ताकि दी जाने वाली सहायता सही लोगों तक पहुँच सके। ऐसी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए स्थानीय अधिकारी तथा राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की जांच केंद्रीय राजस्व प्रभाग, कटक के डिविज़नल आयुक्त से कराने के आदेश दिए हैं जो इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाएंगे और यह मालूम करेंगे कि आग पर काबू पाने और घायलों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तुरन्त कदम उठाए गए या नहीं।

मुझे विश्वास है कि इस दुःखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करने तथा इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवदेना प्रकट करने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने में माननीय सदस्य मेरे साथ हैं।

*** *** ***[1]

पश्च टिप्पण

XVIII. बारीपाड़ा, ओडिशा में हुए अग्निकांड के बारे में वक्तव्य, 25 फरवरी, 1997

1. **श्री शरद पवार (बारामती)**: माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी यात्रा से निश्चय ही स्थानीय लोगों के मन में एक प्रकार का विश्वास उत्पन्न हुआ है। उनको काफी राहत मिली। मेरा अनुरोध केवल यही है कि जो कुछ भी वित्तीय सहायता भारत सरकार उन्हें देना चाहती है, वह सहायता शीघ्र अति शीघ्र जारी की जाए।

उस राज्य में सूखे के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले दौरे के दौरान 50 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी। लेकिन संबंधित मंत्रालय ने उस राज्य को वह राशि जारी नहीं की। इसलिए इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: धनराशि एक विशेष सहायता के रूप में जारी नहीं की गई है। जैसा कि मैंने वचन दिया था, 50 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। लेकिन वे विशेष सहायता चाहते हैं।

उन्होंने कितनी धनराशि जारी की है मैं इस बारे में कल जवाब दूंगा। यह धनराशि हमने आज ही जारी कर दी है और मैंने उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को धनराशि प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

4 मार्च, 1997

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपना उत्तर शुरू करूं मैं अपने सहयोगी और माननीय सदस्य, जिन्होंने उनके परिवार के सदस्यों के पते-ठिकाने के बारे में गम्भीर आशंका व्यक्त की है, को मात्र यह सूचित करना चाहूंगा कि मुझे भी उतनी ही चिन्ता है।

महोदय, ऐसा लगता है कि आपने स्वयं मेरे उत्तर के पश्चात् कल या आज एक अल्पकालीन चर्चा कराने के लिए सहमति दी है। मैं यहां पर बैठूंगा और मैं घटित घटनाओं के बारे में प्रत्येक शब्द सुनूँगा। कल नहीं तो आज किसी भी समय।

यह उत्तर प्रदेश के बारे में है। मैं यह केवल उस माननीय सदस्य को कह रहा हूं। माननीय सदस्य द्वारा एक गम्भीर आरोप लगाया गया। अध्यक्ष महोदय ने मुझे कल बताया था कि उत्तर प्रदेश के बारे में कल एक अल्पकालीन चर्चा हो सकती है। मैं नहीं जानता कि कौन से नियम के अधीन माननीय अध्यक्ष अनुमति देने जा रहे हैं। अब यह सभा और माननीय अध्यक्ष के ऊपर है। मैं केवल सरकार की ओर से एक आश्वासन देने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में व्याप्त कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो इस पर सभा में चर्चा होगी। महोदय, आपने संसद सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति को गठित करने का भी विनिर्णय दिया था। इसी कारण, यह सब बातें उठेंगी।नहीं, मैं...

*** *** ***[1]

महोदय, प्रारम्भ में मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 'राज्यपाल के अभिभाषण' में भाग लिया। इस माननीय सभा के लगभग 52 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया। उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और सकारात्मक आलोचनाएं की हैं। मैं प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने की दृष्टि से उन सभी सुझावों और सकारात्मक आलोचनाओं का स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों का मैं स्वागत करता हूं और उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

मैं पिछली घटनाओं की याद दिलाना चाहूंगा। 1 जून, 1996 को हमने इस देश की बागडोर अपने हाथों में ली थी। 1 जून, 1996 के पूर्व क्या हुआ उनका वर्णन मैं नहीं करना चाहता। मैं 1 जनू, 1996 के पश्चात् इस देश में होने वाली घटनाओं का जिक्र कर अपनी यादों को तरोताजा करना चाहता हूं।

1 जून, 1996 को मेरे विचार से हमारे दल को कोई बहुमत नहीं था। हमारे पास मात्र 44 सदस्य थे। 13 राजनैतिक दलों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया। कतिपय निर्दलीय सदस्यों ने भी अपना समर्थन मुझे दिया। कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा बाहर से समर्थन प्रदान करने पर आदरणीय राष्ट्रपति जी द्वारा इस सरकार का गठन किया गया।

उस समय इस सरकार के सामने कैसी परिस्थितियां थी? नित दिन आम लोगों, नौकरशाहों, समाचार माध्यमों, देश के बाहर और देश के अंदर यह शंका थी कि विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न घोषणापत्रों और विभिन्न कार्यक्रमों वाले विभिन्न 13 राजनैतिक दलों से मिलाकर बनी यह सरकार कैसे कार्य करेगी? उस समय देश में वैसी ही स्थिति विद्यमान थी। नौकरशाह भी यही अटकलें लगा रहे थे कि यह सरकार तीन महीने या एक महीना या दो महीने चलेगी। मैं किसी व्यक्ति पर दोष नहीं लगा रहा हूं। लेकिन अपने साथियों के साथ मिलकर इस देश को चलाने की जिम्मेवारी जिस दिन अपने ऊपर ली उस दिन देश में वैसी ही स्थिति विद्यमान थी। महोदय, इसी पृष्ठभूमि में हमने नौ महीने पूरे कर लिए हैं। हमने इन नौ महीनों में क्या हासिल किया? राष्ट्र की प्रगति की दृष्टि से इस सरकार ने इन नौ महीनों में क्या ठोस कार्य किए हैं और इस नए अनुभव से राष्ट्रीय कार्यों को हम सफलतापूर्वक पूरा कर पा रहे हैं या नहीं ये सभी बातें अब हम सभा के समक्ष रखेंगे।

विगत नौ महीनों के दौरान हमने क्या किया इसकी विवेचना अब हम करेंगे। महोदय, प्रथम 12 दिन तक अनिश्चितता बनी हुई थी। सरकार की स्थिरता का पता सभा में मतदान और बहुमत से स्थापित होता है। 12 जून को विश्वास प्रस्ताव प्राप्त किया गया। 12 जून के उपरांत हमने अपना कार्य प्रारम्भ किया।

हमारे दल का अपना कार्यक्रम, अपना चुनाव घोषणापत्र और अपनी विचारधाराएं हैं। हमने एक साथ बैठकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम को स्वीकार किया। वह हमारा दिशानिर्देश था। यह हमारा मानदंड है। आपस में किसी बड़ी समस्याओं का निर्माण किए बिना हम अबाध रूप से कार्य करना चाहते हैं। हमारी यह इच्छा है कि यह नया प्रयोग सफल हो और ग्यारहवीं लोक सभा हेतु लोगों द्वारा दिए गए अपने निर्णय का सम्मान हो। कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या छोटे-छोटे ग्रुपों में से किसी को जनादेश प्राप्त नहीं था। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट जनादेश प्राप्त नहीं था। पृष्ठभूमि में जब हमने यह जिम्मेवारी संभाली तो हमारी यह कोशिश थी कि समर्थन देने वाले दलों और सरकार में शामिल दलों के सहयोग से यह प्रयोग सफल रहे।

विगत सात-आठ महीनों में हमने जो कुछ भी किया उसे इस सभा के माध्यम से मैं पूरे राष्ट्र के समक्ष रख रहा हूं। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कृषि, क्षेत्रीय असमानताएं और रक्षा संबंधी उठाए गए मुद्दों पर मैंने ध्यान दिया है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में उठाए गए कुछ मुद्दों पर भी मैंने ध्यान दिया है। आपकी अनुमति से मैं उन सभी मुद्दों का जिक्र करना चाहूंगा।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि हमने कृषि क्षेत्र के लिए क्या किया है। मैंने उनका भाषण सुना है। इस सभा में विश्वासमत प्राप्त करने के पंद्रह दिन के अंदर डाईअमोनियम सल्फेट और फास्फेटिक उर्वरकों पर हमने 2,500 करोड़ रुपए की राजसहायता प्रदान की। यह हमारा पहला निर्णय था। जिसे हमने लिया। मुझे पता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक नीतिगत दस्तावेज है। इस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा मैं बाद में करूंगा। सात महीनों में हमने क्या किया? इस राष्ट्र के लोगों को हमसे यही उम्मीद है क्योंकि वे हमारे मास्टर हैं। विगत सात-आठ महीनों का लेखा-जोखा हमें उनके समक्ष प्रस्तुत करना है।

किसानों को 2,500 करोड़ रुपए की राजसहायता का ही परिणाम है कि हमारे कृषि क्षेत्र का उत्पादन 191 मिलियन टन तक पहुंच गया है। यही एक मुद्दा है जिसे मैं कहना चाहता हूं।

एक विभिन्न राजनीतिक वातावरण में काम करने के फलस्वरूप हमने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इस साझा सरकार में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल सम्मिलित हैं और मैं एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच भेदभाव नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई। यह मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन दो दिनों तक दिल्ली में चला। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया। यह निर्णय उन सात क्षेत्रों का पता लगाना था, जो सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के विचार में प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और उनके लिए अधिक धन आवंटित किया जा सके। 1996-97 का पहला बजट डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था। चुनाव के बाद 1996-97 के लिए दूसरा बजट सभा में पेश करने का अवसर हमें मिला। उस उद्देश्य के लिए, उन नौ महीनों के बजट में हमने 2,466 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे और उसे सभी राज्यों में वितरित किया गया था। इसमें किसी एक पार्टी की सरकार या दूसरी पार्टी की सरकार के बीच भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं था। हमने एक दृढ़ निश्चय लिया है। हमारी पार्टी द्वारा लिया गया यह दूसरा कदम था।

मैं अपने वर्ष 1996-97 के बजट की कुछ मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख करता हूं। मैं इसका श्रेय नहीं लेता। तीन वर्ष और दस महीने की अल्पावधि के लिए मैं भी इस सभा का सदस्य था। जब मैंने "राज्यपाल का अभिभाषण" शब्दों का उपयोग किया तब कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। 35 वर्षों तक मैं विधान सभा में था। हम आजकल ऐसी ही प्रक्रिया अपनाते हैं। चार वर्षों तक मैं वहां बैठता था। हमारे वरिष्ठ नेता श्री जार्ज फर्नान्डीज यहां मौजूद थे। श्री जार्ज फर्नान्डीज और हम साथ-साथ थे। सौभाग्य से जब मैं वहां बैठता था तब भी मैं उनके नजदीक नहीं आ पाता था। मैं वहां बैठा करता था।

मैंने भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ से इसी सभा में हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष यहां बैठते थे फास्फेटिक उर्वरक और डाईअमोनियम सल्फेट पर राजसहायता फिर से बहाल करने का अनुरोध किया था, अन्यथा कृषि समुदायों को नुकसान उठाना पड़ेगा। रिकार्ड से इस बात का पता चल सकता है। मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। मुझे इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं।

पहला निर्णय जो हमने लिया वह यह है कि कृषि समुदाय से संबंधित क्षेत्रों का पता लगाया जाए। सिंचाई हेतु बजट उपलब्ध कराने के लिए हमने सरकार से केवल इसी सभा में ही नहीं अनुरोध किया था बल्कि बाद में प्रधानमंत्री और सिंचाई मंत्री से भी इस दिशा में अनुरोध किया था। हमने सिंचाई कार्य में तीव्रता लाने के लिए 900 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। डॉ. मुरली मनोहर जोशी इस सभा में मौजूद नहीं हैं। हमने 18 हार्स पावर वाले ट्रैक्टरों और पावर टीलरों पर राजसहायता उपलब्ध करायी है।

यह सरकार ग्रामीण जनता के प्रति वचनबद्ध है। यह सरकार समाज के विशेषकर कृषि क्षेत्र से संबंधित कमजोर तबके के लोगों के प्रति वचनबद्ध है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वे कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं सहयोग के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करें।

गंदी बस्तियों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हम सभी धनी व्यक्ति हैं और यही कारण है कि हमने इन लोगों के लिए इस बजट में 250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

हमने अब तक जो किया उसी के बारे में बताना चाहता हूं। यह श्रेय लेने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। देश के बाहर यह धारणा बनी हुई है कि यहां लाल-फीताशाही, भ्रष्टाचार और नौकरशाहों द्वारा निवेश में अड़चन होती है। विदेशों में देश के बारे में यही धारणा है। डॉ. मनमोहन सिंह ने स्वत: इस बात को स्वीकार किया है कि प्रक्रियात्मक संबंधी अड़चनों के फलस्वरूप यह विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दे सके। यह उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। हमने आर्थिक सुधारों में, चाहे वह आधारभूत संस्थापनाओं का विकास या औद्योगिक विकास हो, या कृषि क्षेत्र या ऊर्जा क्षेत्र हेतु निजी निवेश हेतु धन हो, तीव्रता लाने के मुख्य उद्देश्य से शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हेतु कुछ कदम उठाए हैं।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन था। मैंने उद्योग मंत्री को शक्तियां सौंपी थीं। चार या पांच महीनों की छोटी कालावधि के भीतर केन्द्र सरकार के समक्ष, मेरे विचार से सात मिलियन डालर की धनराशि वाली लम्बित सभी परियोजनाओं का निपटान कर दिया गया था।

*** *** ***2

मैं न केवल भाजपा के सदस्यों से बल्कि सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि इन नौ महीनों में यदि हम किसी घोटाले में या किसी हवाला में लिप्त रहे हैं—कृपया हर स्तर पर राजनीति न करें— मैं फिर से दुहराना चाहूंगा कि यदि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान यदि कोई घोटाला हुआ हो या कोई हवाला लेन-देन हुआ है तो मामले को सभा के समक्ष लाया जाए और इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। यदि मैं संलिप्त हूं, तो मैं इसी सभा में अपना त्यागपत्र दे दूंगा। यदि मेरे सहयोगी संलिप्त हैं, मैं उन्हें हटा दूंगा। मैं आपको इस हद तक आश्वस्त कर सकता हूं। कृपया भगवान के वास्ते, हमें ऐसे ही मत छोड़िए। आपको अविश्वास प्रस्ताव या नियमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रस्ताव लाने का पूरा अधिकार और विशेषाधिकार है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है।

*** *** ***3

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की शक्तियों का प्रत्यायोजन केवल यह देखने के लिए किया गया था कि परियोजनाओं को समय पर निपटाया जाए, निवेशकों में विश्वास पैदा हो और नौकरशाही या राजनीतिक किसी भी स्तर पर कोई विलम्ब न हो। इस पृष्ठभूमि के साथ मैंने यह निर्णय लिया था।

बिजली परियोजनाओं के बारे में, आठ वृहत बिजली परियोजनाएं थीं जिनके लिए पूर्व सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए थे। केवल दो बिजली परियोजनाओं में सरकार द्वारा प्रति-गारन्टी दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने, जब शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे, इनरान परियोजना को मंजूरी दी थी और उसके बाद क्या हुआ, हम सभी बातों को जानते हैं। तत्पश्चात् वर्तमान सरकार न्यायालय के समक्ष एक शपथपत्र दाखिल करने की सीमा तक गई थी। जो कुछ भी आरोप लगाए गए थे वे मात्र राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत लगाए गए थे और कुछ भी गलत नहीं है। यह है उसकी स्थिति।

ऐसा क्यों है कि आठवीं योजना में हम बिजली क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। मैं आंकड़ों संबंधी ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। आज की स्थिति में एक या दो राज्यों को छोड़कर पूरे देश में बिजली की समस्या अत्यंत गम्भीर है। यदि मात्र तीन घण्टों, चार घण्टों, या ज्यादा से ज्यादा छह घण्टों के लिए भी किसी राज्य में बिजली कृषकों को उपलब्ध कराई जाती है तो वह राज्य सर्वाधिक खुशहाल राज्य है। एक या दो राज्यों के अलावा, सभी जगह बिजली की समस्या गम्भीर है।

आगामी पांच वर्षों में, यदि हम लक्ष्य जो कि हमने नौवीं योजना के लिए निर्धारित किया है को प्राप्त करना है तो न केवल बिजली के उत्पादन बल्कि वितरण और आवंटन के लिए भी यह कुल मिलाकर लगभग 3,20,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं हम धन को कैसे प्राप्त करेंगे। हम संसाधनों को कैसे उत्पन्न करेंगे? क्या हमारे लिए स्वदेशी या विश्वस्तरीय निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाए बिना संसाधनों को उत्पन्न करना सम्भव है? हमने यह निर्णय इसलिए लिया था कि इन परियोजनाओं में विलम्ब न हो। इस सरकार के बारे में विदेशी निवेशकों में सबसे पहले यह शंका थी कि क्या यह सरकार बचेगी और क्या वहां पर स्थिरता होगी? उन लोगों के अनुसार सरकार की जिन्दगी बीच में फंसी हुई थी। हर दिन जब आप मीडिया और समाचारपत्रों का अवलोकन करते थे तो आपको पहला मुद्दा यह मिलता था कि यह सरकार कल जाएगी, या अगले सप्ताह जाएगी, लेकिन हमने नौ महीने पूरे कर लिए हैं। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जिन विषयों पर हम निर्णय लेना चाहता थे, हमने निर्णय लिया। यह सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, ये मेरी चिन्ता नहीं है।

आज, पूरे देश में और पूरे विश्व में मेरे साथी चिदम्बरम महोदय द्वारा बजट के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् एक माहौल उत्पन्न हुआ है। आज सभी ओर से निवेशकों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा, आम आदमी द्वारा प्रशंसा की जा रही है। यह राय है जो कि हमने कायम की है।

मैं उन क्षेत्रों को गिनाना चाह रहा हूं जिनको हमने बजट में सम्मिलित किया है। बिजली क्षेत्र, हां, मैंने इसको विकेन्द्रीकृत किया। मैंने इसे राज्यों के लिए छोड़ दिया। 250 मेगावाट्स तक की परियोजनाओं को राज्य मंजूरी दे सकते हैं। उनको हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वे अधिक परिमाण की बिजली परियोजना लगाना चाहते हैं तो उन्हें आना होगा और वे भी मात्र तीन बातों के लिए। एक ईंधन है क्योंकि हमें इसका आवंटन करना होता है। इसके बाद में आवंटन की समस्या आती है; यदि वे अधिक बिजली पैदा करते हैं तो राष्ट्रीय ग्रिड को इसे खरीदने के लिए सहमत होना होगा।

तकनीकी व्यवहार्यता और मूल्य नियतन के बारे में, मान लीजिए कि एक राज्य 6 रुपए प्रति यूनिट कहता है तो हम कैसे खरीद सकते हैं? केवल इन तीन मुद्दों पर केन्द्र सरकार से या संघ सरकार से परामर्श करने के लिए हमने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि दो महीनों या आठ सप्ताह के भीतर हम इन परियोजनाओं को मंजूरी देने वाले हैं। परियोजना का परिमाण और आकार चाहे जो भी हो, हम इसे रोकना नहीं चाहते, हम अनावश्यक रूप से इसमें विलम्ब नहीं करना चाहते। यदि यह 250 किलोवाट और अधिक है तब उन्हें केन्द्र सरकार के पास आना होगा। इस प्रकार हमने शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है और राज्य सरकारों से सहयोग का अनुरोध किया है।

कुछ लम्बित मामलों के बारे में जैसे नेपाल और हमारे देश के बीच महाकाली संधि, बंगलादेश और भारत के बीच नदी जल का बंटवारा, मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने एक चमत्कार कर दिया है परन्तु हमने अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए सच्चे दिल से प्रयास किए हैं। आप चाहे प्रशंसा करे या नहीं अब लोग ही इस बात का निर्णय करेंगे। मैं चिन्तित नहीं हूं। परन्तु बात यह है कि हमने इसे सात या आठ महीनों की छोटी कालावधि में किया। मैं इसे एक व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं लेने जा रहा हूं; यह इस सभा की उपलब्धि है क्योंकि आप सभी ने सहयोग दिया और हमने अपनी ओर से देश के लिए कुछ कार्य किया।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के मामले में भी, यदि आप लोग सहयोग नहीं करते, यदि देश के लोग सहयोग नहीं देते। तब सरकार के लिए इस प्रकार कठिन निर्णय लेना सम्भव नहीं हो पाता। मैं कह सकता हूं कि यह एक अल्पमत सरकार है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास कांग्रेस के बाहरी समर्थन सहित 330 माननीय सदस्य हैं। यह एक दूसरा विषय है। जब तक मुझे लोगों का सहयोग न मिले, जब तक कि मुझे सभा का सहयोग न मिले, मेरे लिए कतिपय कठोर निर्णयों को ले पाना वास्तविक रूप से कठिन होता। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के मुद्दे पर भी, यह अपेक्षा रखते हुए कि सभा हमारा साथ देगी, हमने कठोर निर्णय लिया। उस बात के लिए, मैं पूरी सभा के प्रति उनके सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

जब हमने पृथ्वी के सफल प्रक्षेपण पर अपने वैज्ञानिकों को बधाई दी थी तो उस दिन कुछ लोगों ने पूछा था कि अग्नि के बारे में क्या प्रगति है? दूसरा पक्ष भी अपनी चिन्ता को व्यक्त कर रहा था। मैं सभा से कहना चाहूंगा कि जहां तक सरकार द्वारा हमारे वैज्ञानिकों को आवश्यक समर्थन देने का संबंध है, हम पूरा सहयोग देंगे। "अग्नि" प्रक्षेपास्त्र के विषय में भी हम पूर्ण सहयोग देंगे। यही मैं इस समय कह सकता हूं।

क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि आज भी, स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद जब हम 1997 में स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं, मेरे विचार से छह राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और.....

*** *** ***[4]

जहां तक उत्तर पूर्वी राज्यों का संबंध है, वे एक साथ, एक अलग वर्ग में आते हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों में न केवल पिछड़ापन अपितु वहां पर उग्रवाद की भी समस्या है। मैं विवरण

देने जा रहा हूं कि हमने वहां पर क्या किया। मैंने व्यक्तिगत रुचि ली और अपने सभी अधिकारियों को वहां लेकर गया। मैं वहां पर साढ़े छह दिन रुका। राजनीति को परे रखकर, मैंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों, ईसाई मिशनरियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों चाहे वो किसी भी दल के क्यों न हो, के साथ बैठकें कीं। मैंने समाज के प्रत्येक वर्ग से प्रति सूचना प्राप्त करने के लिए मिलने का प्रयास किया। मैंने गुवाहाटी छोड़ने से पहले एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करने के पश्चात् हमने 6100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को विनिर्दिष्ट किया। वहां गृह सचिव भी थे। कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के सम्मुख उल्लेखित करना चाहूंगा कि उन सभी कार्यों को वार्षिक बजट में सम्मिलित किया जा चुका है और कुछ प्रमुख परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। श्रीमान कुछ आवंटनों को प्रथम वर्ष 1997-98 के लिए किया गया और अधिक प्रमुख परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाया गया।

कश्मीर में भी यह स्थिति है। मैंने वहां तीन दौरे किए। मैंने वहां कुछ वित्तीय पैकेजों की भी घोषणा की थी। महोदय, ईमानदारी से कहूं, हम उस वित्तीय पैकेज को लागू करना चाहते थे जिसकी हमने घोषणा की थी। उन सभी को स्वीकृति दी जा चुकी है। इस वर्ष के बजट में भी हमने कुछ धनराशि प्रदान की है। इसका ब्यौरा वित्त मंत्री जी द्वारा दिया जाएगा। वे सभी महत्वपूर्ण कार्य भी नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाए गए थे।

*** *** ***5

माननीय सदस्य की सुविधा के लिए मैं इस सूची से आंकड़ों को पढ़कर सुनाता हूं। इस सूची में केन्द्रीय कार्य शामिल हैं जिसमें वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना शामिल है।

इस वर्ष हमने उधमपुर-बारामुला रेलवे लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। हमने चालू वर्ष के बजट में उड़ी जल विद्युत परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए; 112 करोड़ रुपए दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु एक वर्ष के लिए 12 करोड़ रुपए; 10 करोड़ रुपए मुगल सड़क के लिए; 2.4 करोड़ रुपए लेह में एक कन्वेंशन केन्द्र की स्थापना के लिए; 23 करोड़ रुपए कारगिल हवाई अड्डे के विकास के लिए; 300 करोड़ रुपए ग्रामीण आधार संरचना और मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए और पांच करोड़ रुपए डल झील के अवमल संघटक के लिए दिए हैं। उधार लेने वालों को मिलने वाली ऋण राहत लगभग 118 करोड़ रुपए हो गई है। हमने 50,000 रुपए की दर से ऋण माफ किया है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में परियोजनाओं की सूची में उधमपुर-बारामुला रेलवे लाइन के लिए 2,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना को भी शामिल किया है और उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कारगिल हवाई अड्डे के विकास के कार्य को भी नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और इसके

लिए हमने 23 करोड़ रुपए दिए हैं। हम इसे पूरा करना चाहते हैं परन्तु यदि यह कार्य आगे चला तो अगले वर्ष भी जारी रहेगा।

*** *** ***[6]

पहले मुझे अपना अभिभाषण पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कृपया मुझे सहयोग दें।

यह दस्तावेज, राष्ट्रपति का अभिभाषण, सामान्यत: एक नीतिगत दस्तावेज़ है। इसमें अगले वर्ष, अर्थात् 1997-98 के लिए हमारे कार्यक्रमों का विवरण है। इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए उनके अभिभाषण में घोषित कार्यक्रमों के लिए आवश्यक निधियां आवंटित की गई हैं या नहीं। इसमें आगे यह कहा गया है कि क्या हमने उन कार्यक्रमों के बारे में सोचा है या नहीं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मेरी बात समझने की कोशिश करें।

न्यूनतम मौलिक सेवा कार्यों के लिए पिछली बार हमने 2,466 करोड़ रुपए दिए थे और इस बार हमने इसे बढ़ाकर 3,300 करोड़ रुपए कर दिया है। हमने पी.डी.एस. के लिए 8,000 करोड़ रुपए दिए हैं।

जार्ज साहिब और मैंने संयुक्त रूप से एक जन सभा को संबोधित किया है। उर्वरक सब्सिडी और खाद्य सब्सिडी के संबंध में हमने संयुक्त रूप से एक जन सभा को संबोधित किया था। कम से कम आपको इतना तो कहना चाहिए "आपने कुछ अच्छा काम किया है"। आपको ऐसा जरूर कहना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इस श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को कितना धन दिया गया। जरा रुकिए। असम को इस श्रेणी के अंतर्गत 472 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। केरल को मिलने वाला धन सबसे अधिक है क्योंकि उन्होंने इस स्कीम को शुरू में लागू किया है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और जहां तक मुझे ज्ञात है महाराष्ट्र ने भी इस स्कीम को पहले ही लागू कर दिया है। चूंकि इन सभी राज्यों ने इसे पहले ही लागू कर दिया है और पी.डी.एस. को राजसहायता दे दी है इसलिए उन्हें कुछ और धन मिलेगा। अन्य राज्य उन लोगों की पहचान करें जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और हमने इस संबंध में राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। मैं प्रत्येक राज्य को आवंटित की गई धनराशि के संबंध में बताऊंगा।

आंध्र प्रदेश को लगभग 452 करोड़ रुपए, असम को 472 करोड़ रुपए, बिहार को 314 करोड़ रुपए, गुजरात को 279 करोड़ रुपए और जम्मू को 536 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। यह राशि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से संबंधित लकड़ावाला सिद्धांतों पर आधारित है। यह योजना आयोग द्वारा अपनाए गए सिद्धान्तों और दिशानिर्देशों पर आधारित है। 8,000 करोड़ रुपए की यह धनराशि राज्य में इस स्कीम को कार्यान्वित किए जाने से लाभान्वित लोगों में वितरित की जाएगी। अगर कोई राज्य इस घोषित स्कीम का लाभ नहीं उठा रहा है तो हम उसे सीधे नहीं.....

खाद्य सब्सिडी और कृषि सब्सिडी दोनों मिलाकर लगभग 17,800 करोड़ रुपए होता है। जब तक राज्य सरकारें इस स्कीम को लागू नहीं करती तब तक सब्सिडी की राशि को जारी करने का प्रश्न नहीं उठता। हम किसी राज्य को तब तक यह राशि जारी नहीं करेंगे जब तक वे हमें सहयोग नहीं करते, लाभ प्राप्त करने वालों की पहचान करके उन्हें कार्ड जारी नहीं करते और सभी प्रकार की आधार-संरचना तैयार नहीं करते। विशेषकर, इस धन को किसी अन्य काम के लिए लगाए जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया है कि कम से कम अगले दो महीनों में लाभ प्राप्त करने वालों की पहचान कर ली जाए। यह धन व्यापारियों के पास नहीं जाना चाहिए। यह सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि यह अपार धनराशि निहित स्वार्थ वाले लोगों की जेबों में न जाए। मैं इस सदन के माध्यम से सभी मुख्यमंत्रियों को यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं। वे इस मौके का लाभ उठाएं और इस स्कीम को यथाशीघ्र लागू करने की कोशिश करें।

अब मैं सिंचाई क्षेत्र के संबंध में बात करता हूं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? श्री शरद पवार जी ने अनेक मुद्दों का उल्लेख किया है। अब हम सब के समक्ष क्या उत्तरदायित्व है? केवल विद्युत क्षेत्र में 3,20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सभी लम्बित सिंचाई कार्यों अथवा उन कार्यों को पूरा करने के लिए, जो विगत कई वर्षों से लटक रहे हैं, हमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

आपने आधारभूत न्यूनतम कार्यक्रम के बारे में सुझाव दिया है। कृषि क्षेत्र के संबंध में अपने भाषण में आपने भी इन बातों का उल्लेख किया है। केवल विद्युत क्षेत्र में, आपने हमारे समक्ष जो भार है उसके बारे में बताने का प्रयास किया था। आधिकारिक आंकड़ा 3,51,000 करोड़ रुपए का है।

जहां तक सिंचाई परियोजनाओं का संबंध है 194 बड़ी तथा 176 मध्यम स्तर की परियोजनाएं विगत 20-25 वर्षों से लम्बित हैं। इन परियोजनाओं को वर्तमान दर से पूरा करने के लिए लगभग 42,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। आखिरकार, हमने केवल 1300 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

आवास के लिए हमने शहरी लोगों के लिए, जो गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं, 330 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं और हमने पहली बार यह योजना चलाने का प्रयास किया है। मेरे विचार से यह देश समाज के केवल कुछ धनी वर्गों का ही नहीं है। उन लोगों की कोई आवाज नहीं है। गरीब लोगों के लिए कोई योजना नहीं है। भूमिहीन श्रमिकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए हमारे पास अम्बेडकर योजना अथवा इन्दिरा आवास योजना है।

*** *** ***7

इन्दिरा आवास योजना तथा अम्बेडकर योजना भूमिहीनों तथा उन लोगों के लिए है जिनके पास छतें नहीं हैं। जिस व्यक्ति के पास दो एकड़, तीन एकड़ अथवा पांच एकड़ भूमि है तथा

जो कुछ घर बनाना चाहते हैं जिनमें कुछ आधुनिक सुविधाएं होंगी, ऐसा कोई नहीं है जो उसके लिए धनराशि देना चाहे।

इन्दिरा आवास योजना तथा अम्बेडकर योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान उन मकानों के लिए की जानी है जो हम आवंटित कर रहे हैं अथवा उन निधियों के लिए जो हम आवंटित कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्यों की एक मांग यह देखना है कि लाभार्थियों की पहचान हमारे द्वारा की जाए। यह एक मांग है। लेकिन एकमात्र बात यह है कि पंचायती राज संस्थाएं हैं, जिसको हमने सिद्धांतत: स्वीकार किया है। यह मामला कि क्या हमें लाभार्थियों की पहचान करने के लिए पुन: शक्तियां लेनी चाहिएं अथवा उनको अनुमति लेने के बारे में सभा द्वारा पुन: निर्णय किया जाना है। महोदय, मेरा मार्गदर्शन केवल यह सभा करेगी। मैं इस चरण पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।

*** *** ***8

पहली बार हमने वित्तीय संस्थाओं से, चाहे वह जीवन बीमा निगम हो या बैंककारी संस्था हो, प्रति मकान 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की है। इस बार प्रारम्भ में हम 50,000 लाभार्थियों की पहचान करना चाहते थे। हम यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भ करना चाहते हैं। मैंने स्वयं कुछ वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालक अधिकारियों के साथ चर्चा की जिन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम मकान की मूल्यवृद्धि की आशा नहीं कर सकते जैसाकि हम शहरी क्षेत्रों में करते हैं। उसके अतिरिक्त, हम भूमि को समानान्तर प्रतिभूति के रूप में नहीं ले सकते। इसी वजह से हम जोखिम नहीं लेना चाहते। वे इस प्रश्न कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास ऋण क्यों नहीं दे रहे हैं, के उत्तर में यह तर्क देने का प्रयास करते हैं। जब मैंने अधिकारियों के साथ चर्चा की, तो वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस देश में, किसी को इस विषय पर चर्चा चलानी थी। मुझे इस बात का पता नहीं है कि क्या यह भाग्य है जो मेरे सिर पर रहा है लेकिन अब इस उत्तरदायित्व को निभाया गया है।

मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। बैंककारी क्षेत्र में 39,000 करोड़ रुपए के अशोध्य ऋण थे।

*** *** ***9

ये कल ही इकट्ठे नहीं हुए हैं। लगभग 4000 और कुछ करोड़ रुपए के अशोध्य ऋण पहले ही माफ कर दिए गए हैं। हमने कई बार ग्रामीण लोगों के बारे में सोचा क्योंकि वे संगठित नहीं हैं, उनका कोई आवास नहीं है और हमें कुछ करना है।

कल बजट भाषण में श्री पी. चिदम्बरम ने कहा है कि पहली बार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण बढ़कर 6000 करोड़ रुपए हो गया था। क्या यह उपलब्धि नहीं है? हम उससे भी आगे जाना चाहते थे। इस संबंध में किसी प्रकार के संकोच का प्रश्न नहीं है। हमने अवसंरचनात्मक विकास निधि प्रदान की है जो तीसरे चरण में है, और जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं।

हमने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए 3300 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। मेरे साथी, श्री येरानायडू, जो इस सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना को देख रहे हैं, जानते हैं कि केवल ग्रामीण विकास के लिए हमने इस बार लगभग 9000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। 8000 करोड़ रुपए योजना व्यय के अंतर्गत हैं। हमने इसे बढ़ाकर 9000 करोड़ रुपए कर दिया है। क्या यह गरीब लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है कि हमने यह किया है? जो कार्यक्रम हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा प्रारम्भ किया है वह मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है। हमने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए भी पर्याप्त तोशक, पर्याप्त आवंटन प्रदान किए हैं।

कस्तूरबा गांधी के नाम पर हमने एक नई योजना चलाई है, अर्थात् लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल प्रारम्भ किए हैं। हमने लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों के लिए 250 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

जब मैं मेवाड़ क्षेत्र में गया, तो मैंने यह जाना कि दो प्रतिशत लोग भी शिक्षित नहीं हैं। वहां रहने वाले अस्सी प्रतिशत लोग मुस्लिम हैं। जब मैं मध्य प्रदेश गया हमारे कुछ संसद सदस्य, जो यहां हैं वे यह जानते हैं कि एक जनजातीय सम्मेलन में जनजातियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में यह दर्शाया गया था कि जनजातीय क्षेत्र में यहां तक कि दो प्रतिशत भी साक्षरता नहीं है। मैंने वित्त मंत्री को यह कहा कि हम इसे इस तरह जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते। आवासीय स्कूलों को चलाने का सारा उत्तरदायित्व, योजना, आवास, वस्त्र, पुस्तकें, सभी कुछ सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। हमने 200 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। प्रत्येक स्कूल पर एक करोड़ रुपए व्यय होगा और 250 स्कूल हैं। हम स्वयं इस वर्ष 250 स्कूल प्रारम्भ कर रहे हैं।

*** *** ***10

यदि यह राज्य का विषय है तो भी मैं संबद्ध राज्य के मुख्यमंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि निधियों का अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है तो उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अन्य अल्पसंख्यकों और छोटे और सीमान्त किसानों के लिए हमने नि:शुल्क जल देने के लिए एक नई योजना 'गंगा कल्याण योजना' प्रारम्भ की है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में पांच वर्षों के लिए रख-रखाव प्रभार भी कल्याण विभाग के द्वारा वहन किए जाएंगे। हम पैसे देंगे और राज्य सरकार का काम केवल इसे कार्यान्वित करना है क्योंकि हम इसे कार्यान्वित नहीं कर सकते। हमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए चाहे यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की बात हो या 'गंगा कल्याण योजना' अथवा 'आवास योजना' के कार्यान्वयन की बात हो। इस वर्ष हम दस लाख शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने जा रहे हैं परन्तु इन लाभान्वितों की पहचान का कार्य राज्य सरकारें करेंगी। मुझे राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता है। नहीं तो हमारे लिए इन सारी योजनाओं का कार्यान्वयन असंभव हो जाएगा। इसलिए मैं सभी मुख्यमंत्रियों, चाहे वे किसी भी दल के हों, से अपील करता हूं कि वे इनमें

से कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार का सहयोग करें क्योंकि ये समाज के कमजोर वर्ग के लिए सहायक होंगी। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

दूसरी बात मूल्यवृद्धि के बारे में हैं। सदस्यों द्वारा उठाया गया यह प्रमुख मुद्दा था। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। मैंने इस बात का पता लगवाया कि क्या हम अचानक छापे डाल सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि जब तक राज्य सरकारें सहयोग न करें, यह संभव नहीं है। इसलिए, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जमाखोरों के साथ सख्ती से निपटे। एक-दो राज्यों ने सहयोग किया है।

मैं अन्य राज्यों पर सन्देह नहीं करना चाहता। मैं उनसे केवल जमाखोरों के खिलाफ सख्ती बरतने की अपील करता हूं अन्यथा, केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। केन्द्र सरकार तो उन्हें केवल सुझाव दे सकती है। जहां तक इस क्षेत्र का सवाल है, केन्द्र उन पर केवल कड़ी कार्यवाही करने के लिए दबाव डाल सकती है।

संसाधन जुटाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिजली क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विद्युत मंत्रालय पर 8,512 करोड़ रुपए बकाया है। एक दो को छोड़कर प्राय: सभी बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य सरकारों को कैसे सहयोग करें। बिजली की आपूर्ति के लिए हम नेशनल पावरग्रिड के लिए क्या कर रहे हैं? कुल 8,512 करोड़ रुपए बकाया हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पर 1791 करोड़ रुपए, बिहार पर 1771 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल पर 876 करोड़ रुपए, दिल्ली पर 863 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश पर 697 करोड़ रुपए, हरियाणा पर 571 करोड़ रुपए, जम्मू और कश्मीर पर 325 करोड़ रुपए।

*** *** ***[11]

हम उसे बट्टे खाते में डाल सकते हैं। यह तो बहुत आसान है। यहां तक कि कोयले की आपूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों को 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा केन्द्र सरकार को अर्थात् रेलवे और कोयला मंत्रालय को देय है। जब तक वे हमारे साथ सहयोग नहीं करते, वही सुविधाएं देना कठिन है। अब हमने 'नकद भुगतान करो और ले जाओ' के आधार पर देने का निर्णय लिया है। अन्यथा, राज्यों को अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि वे सोचते हैं कि केन्द्र सरकार सब कुछ उपलब्ध करा सकती है। हमारे लिए यह व्यवहारिक रूप से असंभव है और हमने इसे स्पष्ट कर दिया है कि आज के बाद यह 'नकद भुगतान करो और ले जाओ' के आधार पर ही होगा। इसलिए, लिए गए निर्णयों में से यह एक है। मुझे सदन का सहयोग चाहिए।

कुछ सदस्यों ने पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की समस्या तथा अन्य मुद्दे उठाए हैं। मैं इनका उल्लेख करना चाहता हूं।

हमने जो नई योजनाएं लागू की हैं उसमें पिछड़े राज्यों को भी काफी बड़ा हिस्सा मिलेगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ही नहीं उन्हें एक बड़ा हिस्सा मिलेगा उन्हें हिस्सा मिलेगा।

मैं उत्तर प्रदेश के मुद्दों को नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस पर चर्चा के लिए अलग समय निर्धारित किया गया है। जम्मू और कश्मीर में विधान सभा का सफल चुनाव और लोकप्रिय सरकार का गठन, राज्य के सामान्य जन-जीवन बहाल करने और राज्य को आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर करने के बारे में एक बड़ा कदम है। राज्य में चुनाव के बाद सुरक्षा की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। शांति भंग करने के लिए की गई कुछ हिंसक घटनाएं सामान्य जन-जीवन की पूर्ण बहाली के रास्ते में रोड़ा अटका रही हैं। ये घटनाएं आतंकवादियों और सीमा-पार उनके संरक्षकों के राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भिन्न-भिन्न करने के इरादों की असफलता के परिणामस्वरूप उपजी निराशा का प्रतिफल है। हम स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए हैं और राज्य सरकार के सतत सम्पर्क में हैं। मैंने गत तीन महीनों में राज्य का तीन बार दौरा किया और यह सुनिश्चित करना चाहा कि हमारी सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई थी उसे पूरा किया जाए।

कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की अशान्त स्थिति निश्चय ही चिन्ता का विषय है। हाल के सप्ताहों में त्रिपुरा में हिंसक वारदातों में वृद्धि हुई है। असम और मणिपुर की हालत भी सन्तोषजनक नहीं है। मैंने पूर्वोत्तर के सात राज्यों में लोगों की समस्याओं के अध्ययन के लिए इन राज्यों का गत वर्ष अक्तूबर में दौरा किया था। यात्रा के अन्त में मैंने राज्य में सामान्य जन-जीवन की बहाली और इस क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के उद्देश्य से 'पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनेक नई पहलों' से युक्त कार्यक्रमों के एक पैकेज की घोषणा की थी। हम इस पैकेज में उल्लिखित योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन निगरानी कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचना और मूलभूत न्यूनतम सेवाओं में अन्तर का पता लगाने हेतु एक उच्चस्तरीय आयोग का गठन किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षितों को रोजगार देने हेतु एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति ने तत्परता के साथ काम करना शुरू कर दिया है।

अब मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अपने पूर्वोत्तर के दौरों के दौरान, मैंने इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति के लिए राजनैतिक समाधान हेतु भूमिगत संगठनों से बिना शर्त वार्ता का आह्वान किया था। मेरा यह भी आकलन था कि इन सभी क्षेत्रों के लोग बड़ी बेसब्री से शान्ति और सामान्य जन-जीवन की बहाली चाहते थे जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने काम-धन्धे कर सकें और बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके। मेरे आह्वान का 'नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड' ने जवाब दिया और मैंने इस संगठन के चेयरमैन, श्री आइसैक स्वू और महासचिव श्री मुरवाह से मुलाकात की। यह सहमति हुई कि आगे और वार्ता होगी। मैंने नागालैंड के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं से भी इस मुद्दे पर बात की और जहां तक नागालैंड में सामान्य जन-जीवन की बहाली की बात है वे अपना पूर्ण समर्थन देने पर सहमत हो गए हैं।

यह बहुत ही उलझा हुआ मामला है। लेकिन पहली प्रतिक्रिया यह है कि उन्होंने सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मैं इस प्रगति से सदन को अवगत कराना चाहूंगा।

मैं इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह का रास्ता अपनाए संगठनों से हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत करने का फिर आह्वान करता हूं जिससे स्वीकार्य हल निकाला जा सके। इस मुद्दे पर सदन बहुत चिन्तित है। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर का प्रश्न है, सरकार ने अपनी सीमाओं के भीतर प्रयास किया है कि हमें कुछ आदिवासियों तथा उग्रवादी संगठनों का सहयोग मिल सके। इसीलिए, मैंने बिना शर्त आह्वान किया है और दो नेताओं ने हमसे मुलाकात भी की और अपना आश्वासन भी दिया है। राज्य सरकार और अनेक नेताओं के सहयोग से इन तीन-चार राज्यों में सामान्य जन-जीवन की बहाली हो सके, हमें यही देखना है। हमें सामान्य जन-जीवन की बहाली अवश्य करनी है। यह बहुत कठिन कार्य है, सदन इस बात से अवगत है पर हम भरसक प्रयास करेंगे। मैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ इस सदन को आश्वासन देता हूं।

*** *** ***12

कल मैंने ओडिशा के बारे में वायदा किया था जिसके बारे में आपकी यह धारणा थी कि धनराशि जारी करते समय मैंने ओडिशा के प्रति भेदभाव किया है। उनका यह विचार था कि मैंने ओडिशा का नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश का समर्थन किया है। उनकी यह भावना या धारणा थी। मैं आपको यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि कल मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि मैं सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए ओडिशा को दी गई धनराशि के बारे में विस्तार से जवाब दूंगा। ओडिशा के दौरे के बाद मैंने 50 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था। कल ये लोग संदेह कर रहे थे कि यह धनराशि जारी नहीं की जाएगी। ओडिशा के कुछ माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को भी उठाया है। शुरू में हमने 106 करोड़ रुपए जारी किए और उसके बाद 38 करोड़ रुपए।

हालांकि पहले की धनराशि खर्च नहीं की गई है और धनराशि के उपयोग का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है फिर भी हमने कुल मिलाकर 144 करोड़ रुपए रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त नौवें वित्त आयोग के अनुसार राज्य अकाल राहत कोष की पूरी धनराशि जारी कर दी है तथा विशेष मामले के रूप में ओडिशा को अकाल राहत कोष से 50 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं।

*** *** ***13

इस सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि विकास तथा औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हमारा इरादा अनेक रियायतें देकर विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन देने का नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश को आकर्षित किया जाए। हमें धन की आवश्यकता है मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसलिए हमने इस संबंध में कुछ निर्णय लिए हैं और हमने इसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी किया है।

मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। इस सम्मानित सभा में अनेक अर्थशास्त्री हो सकते हैं। मैंने अनेक अर्थशास्त्रियों की सलाह ली है। मैंने 30 दिसम्बर, 1996 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी जिसमें उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों और पूंजी निवेश के क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। मैंने उनके साथ स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श किया। इस बैठक में वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हमने उनके विचार सुने। उनके दृष्टिकोण का पता किया। इसके अतिरिक्त मैंने मुंबई में अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेशकों के साथ भेंट की। इस बैठक का आयोजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया था। उसके बाद मैं लघु उद्योगपतियों से अलग से मिला। मैंने उनके रवैये का पता किया और अन्ततः मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक हम कुछ रियायतें देकर पूंजी निवेश को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक इस देश का तेजी से विकास असम्भव है।

म्यांमार जैसे छोटे से देश में 4 बिलियन डालर का अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश हो रहा है। आज, चीन एक साम्यवादी देश है। वहां भी 100 बिलियन डालर का पूंजी निवेश हुआ है। हमारे यहां भी आज तक 1.7 अथवा 1.8 बिलियन डालर का पूंजी निवेश हुआ है। हम चाहते हैं कि इस वर्ष कम से कम 10 बिलियन डालर का पूंजी निवेश हो। हमने पूंजी निवेश के लिए विद्युत, खनन, कोयला और राजमार्ग क्षेत्र को खोल दिया है। हमने पूंजी निवेश के लिए इन कतिपय क्षेत्रों को खोला है। मेरे विचार से स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को पूंजी निवेश के लिए खोलने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा।

हमने इसके लिए संचार क्षेत्र को भी खोल दिया है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे यहां पर्याप्त पूंजी निवेश है। अन्यथा विद्युत क्षेत्र के लिए 3,54,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? यह धन हमें कहां से मिलेगा? क्या हम इतनी राशि जुटाने की स्थिति में हैं? इन 50 वर्षों में हम कितने आन्तरिक संसाधन जुटा पाए हैं? इसके लिए ईमानदारी से प्रयास भी किए गए हैं।

हमने केवल निवेशकों को ही प्रोत्साहन नहीं दिया है बल्कि हमने कृषि, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर भी विचार किया है। इस बार हमने मानव संसाधन विकास के लिए आवंटन में 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। हमने प्राथमिक शिक्षा और अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया है। हमने सामाजिक क्षेत्र और अल्पसंख्यकों को भी महत्व दिया है। हमने मौलाना आजाद ट्रस्ट के लिए 40 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक विकास निगम के लिए 40 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इस बार इन क्षेत्रों की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सरकार केवल औद्योगिक विकास ही नहीं बल्कि कृषि विकास भी चाहती है। यह सरकार गरीबों का ध्यान रखती है, चाहे वे अनुसूचित जातियों के हों या अनुसूचित जनजातियों के हों अथवा अल्पसंख्यकों के हों या समाज के गरीब वर्गों के हों। हमने इन क्षेत्रों के लिए आवश्यक आवंटन करने हेतु पर्याप्त कदम उठाए हैं।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।

पश्च टिप्पण

XIX. **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, 4 मार्च, 1997**

1. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ)**: सबसे पहले, क्या मैं एक बात प्रधानमंत्री जी से जान सकता हूँ? प्रधानमंत्री नियम 184 के अधीन चर्चा के लिए सहमत क्यों नहीं होते?

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी निर्णय करेंगे वह मुझे स्वीकार्य होगा। मैं नहीं जानता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लेकिन आपको इससे विरोध नहीं है...

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: मैं नहीं ... (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुने ... (व्यवधान) विपक्ष के माननीय नेता नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव लाना चाहते हैं। यदि वह यह चाहते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए तो सरकार ऐसा कर सकती है। कृपया इसके बारे में चिंता न करें। यदि यही उनका उद्देश्य है तो इस बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। नियम 184 के अंतर्गत लाये जाने वाले प्रस्ताव से सरकार चाहे गिरे या रहे मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं उस संबंध में चिंतित नहीं हूं। कृपया उस बारे में चिंता न करें।

अब मैं अपने आपको वाद-विवाद के उत्तर तक ही सीमित रखूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ।

2. **श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा)**: इसमें हवाला धनराशि कितनी थी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): श्रीमान यह पूर्णत: अस्वीकार्य... (व्यवधान) क्या यह व्यवधान के रूप में भी उचित था? प्रधानमंत्री के भाषण में टोकाटाकी करने की भी एक सीमा होनी चाहिए जब वह अभिभाषण का उत्तर दे रहे हैं। निराधार आरोप लगाने की भी एक हद होनी चाहिए। क्या विपक्ष के नेता इसका समर्थन करेंगे?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: उन्होंने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया। कृपया इसे दोहराएँ।

श्री पी. चिदम्बरम : उन्होंने कहा कि हवाला धनराशि क्या थी... (व्यवधान) इस बात का क्या अर्थ है?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: हम किसी भी प्रकार के व्यवधानों के पक्ष में नहीं हैं। प्रधानमंत्री यह जानते हैं।

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीबनाम जी.वेंकटरामन): इसकी कोई सीमा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने नेताओं को स्थिति से निपटने क्यों नहीं देते हैं।

3. **श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर)** : आपकी सरकार के मंत्री ने 546 करोड़ रुपये के एक मामले के बारे में उत्तर नहीं दिया। यह एक बड़ा घोटाला है। मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था। उसे सभा में स्वीकारा गया था परन्तु वह नामों को सामने नहीं ला रहे हैं। .....(व्यवधान)वे क्या बात कर रहे हैं?

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : आप उस पत्र को सम्भाल कर रखिए। उस पत्र को बेकार मत जाने दीजिए। उसे एक उचित समय पर प्रयोग में लाइए। बस यही मैं इस विषय पर कहना चाहूंगा।

4. **एक माननीय सदस्य** : आंध्र प्रदेश।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : नहीं, वह असम है। ऐसे छह राज्य हैं।

5. **श्री नीतीश कुमार** (बाढ़) : बिहार के संबंध में आपका क्या कहना है?

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : हमने बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज नहीं दिया है। मैंने आर्थिक पैकेज केवल पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर के लिए ही घोषित किए हैं।

श्री नीतीश कुमार : आपने बिहार से गंगा जल लिया है परन्तु आपने बिहार के हित का ध्यान नहीं रखा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, आप इन छह राज्यों के लिए भी कोई पैकेज की घोषणा प्रस्तुत करें। आप बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज दिए जाने पर कब विचार करेंगे?

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : छह महीने से ज्यादा हो गए हैं। कश्मीर के एक भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : कृपया इन्तजार करें। मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी अब आप जारी रख सकते हैं।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : चिन्ता न करें।

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : प्रधानमंत्री जी पहले भाषण समाप्त कर लें। शंका और समाधान की बात बाद में हो जाएगी। अगर माननीय सदस्य ऐसे ही टोकते रहेंगे और प्रधान मंत्री उनका जवाब देते रहेंगे तो भाषण का सिलसिला टूट जाएगा।

6. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : महोदय, इससे और अधिक असंतुलन होगा।

अध्यक्ष महोदय : रूडी जी, आपको हस्तक्षेप करने की बहुत ज्यादा आदत है।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : महोदय, जम्मू और कश्मीर के माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हमने राज्य के लिए क्या किया है।

श्री चमन लाल गुप्त : 700 करोड़ रुपयों में से 400 करोड़ रुपया दिया।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : महोदय, पहली बार एक वित्त वर्ष में जम्मू और कश्मीर के लिए 1550 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना है।

इसी प्रकार हमने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज दिए हैं। मेरे पास सूची है जो स्वीकृत की जा चुकी है और चालू वर्ष तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जा चुकी है। मैं वे सभी बातें यहां पढ़ना नहीं चाहता परन्तु अगर यह आवश्यक होगा तो मैं इसे सभी माननीय

सदस्यों में परिचालित कर दूंगा। यह सूची उन कार्यों को दर्शाती है जो हमने चालू वर्ष के बजट और नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किए हैं।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : नर्मदा योजना के बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया।

7. **श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा)**: लाभार्थियों का चयन बहुत दोषपूर्ण है।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: मैं यह जानता हूं। मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आप अपना धैर्य क्यों छोड़ रहे हैं।

8. **श्री येल्लैया नंदी (सिद्दीपेट)**: इंदिरा आवास स्कीम में एम.पीज. को शामिल नहीं किया जा रहा है। केवल जिले के कलक्टर पैसे को तकसीम कर रहे हैं। यह केन्द्र सरकार की स्कीम है इसलिए संसद सदस्यों को भी इसमें शामिल करना चाहिए।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

9. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम)**: क्या श्री पी. चिदम्बरम कुछ नहीं कर रहे हैं?

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: वे भरसक प्रयास कर रहे हैं।

10. **कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण)**: प्रधानमंत्री जी, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में पैंतालीस बालिका स्कूलों की पहले ही मान्यता समाप्त कर दी है। मान्यता समाप्त करने का अर्थ यह है कि सरकार ने स्कूलों का अधिग्रहण किया। सरकार ने पहले ही एक प्रस्ताव पारित किया है कि उन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाना चाहिए। इस तरह से उनका अधिग्रहण किया गया था। इसकी पहले ही घोषणा की गई है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं।

कुमारी ममता बनर्जी: यह सरकार द्वारा किया गया है। इस प्रस्ताव से 45,000 बालिकाएं प्रभावित हुई हैं। उन्हें शैक्षणिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी। उसके बारे में क्या कहना है? उनके लिए कुछ कीजिए।

11. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : बिहार के बारे में क्या हुआ?

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : मैंने आपको बताया, आपने ध्यान से नहीं सुना। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं?

श्री राजीव प्रताप रूडी : उसे बट्टे खाते में डाल दीजिए।

12. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर)**: मैं यह जानना चाहता कि क्या केन्द्र सरकार विद्रोह को विफल करने की कार्यवाही पर आने वाली लागत में हिस्सा देगी?

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर): पिछली सरकार ने और भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने के.बी.के. के लिए करीब 5,500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। आप भी उस विशेष पिछड़े क्षेत्र में गए हैं और आपने भी उस पिछड़े क्षेत्र का दौरा किया और प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखा के लिए 50 करोड़

रुपये की घोषणा की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सूखा प्रवण क्षेत्रों की धनराशि को समायोजित करेंगे अथवा नहीं... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): प्रत्येक राज्य अपनी समस्याएं बता रहा है। अभी उन्हें जिलावार शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री महोदय कब तक जवाब देते रहेंगे? जब प्रधानमंत्री महोदय महत्वपूर्ण चर्चा का जबाव दे रहे हैं हमें कुछ तो शिष्टता दिखानी चाहिए। यदि कोई प्रश्न है तो वे उसे बाद में पूछ सकते हैं। पहले भी माननीय सदस्यों ने इस प्रक्रिया का पालन किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा न करें।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व): उन्होंने सोचा कि उनका भाषण समाप्त हो गया है।

13. **अध्यक्ष महोदय** : प्रधानमंत्री महोदय, आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब दें।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा

11 अप्रैल, 1997

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

महोदय, आपकी अनुमति से, पिछले दस माह में मैं दूसरी बार विश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहूंगा।

12 जून, 1996 को इसी सभा में एक विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और जिसे पारित कर दिया गया था। आज पुन: मैं कुछ नई परिस्थितियों के कारण इस सभा के समक्ष विश्वास मत लेकर प्रस्तुत हुआ हूं।

12 जून, 1996 को जब विश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था उसी दिन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मिलाकर 13 दलों ने संयुक्त मोर्चे का गठन किया था और उस समय संयुक्त मोर्चे के लगभग 192 सदस्य थे। 12 मई, 1996 को समर्थन करने वाले दल कांग्रेस (ई) ने श्री पी. वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि यदि तीसरा मोर्चा सरकार बनाने के लिए तैयार है तो हम उसे समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यह 12 मई, 1996 की बात है। इसके बाद सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल एक हो गए और उन्होंने अपने नेता का चुनाव किया और एक नयी राजनीतिक शक्ति, तीसरी शक्ति, जिसे हमने संयुक्त मोर्चा कहा, की स्थापना हुई और 15 मई, 1996 को मुझे संयुक्त मोर्चे का नेता चुना गया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 28 मई, 1996 को अपना त्यागपत्र दिए जाने के बाद राष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे सरकार बनाने के लिए कहा और उन्होंने मुझे अंतिम तारीख दी और कहा कि 12 जून, 1996 से पहले मुझे इस सभा में उपस्थित होकर विश्वास मत प्राप्त करना होगा।

मैं किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहता अथवा मैं किसी व्यक्ति विशेष अथवा राजनैतिक दल पर तोहमत लगाना नहीं चाहता। मैं केवल वही बताना चाहता हूं कि वास्तव में क्या हुआ।

विश्वास प्रस्ताव पर जिस दिन चर्चा हुई थी उस दिन कांग्रेस संसदीय दल (सी.पी.पी.) के अध्यक्ष और कांग्रेस (ई) के नेता श्री पी.वी. नरसिंह राव ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से यह कहा था।

मैं उनके भाषण में से उद्धृत करना चाहूंगा:

"धर्मनिरपेक्षता, स्वीकार्य सिद्धान्तों के आधार पर किसी व्यक्ति, किसी शक्ति अथवा संयुक्त शक्तियों को हम सहयोग देने को तैयार हैं, हम उन्हें बाहर से समर्थन देने को तैयार है।"

इसके बाद 3-4 दिन सोच विचार में बिताने के बाद देवेगौड़ा को चुना गया और राष्ट्रपति जी ने उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया।

तब उन्होंने कहा:

"श्री देवेगौड़ा जी के साथ मेरा यह वादा है कि यह दल किन्हीं भी परिस्थितियों में इस दल की सरकार को गिरने नहीं देगा। इतिहास यह नहीं कहेगा कि कांग्रेस दल के कारण गौड़ा की सरकार गिर गई।"

मैं यह उद्धरण इस माननीय सभा का ध्यान केवल उस दिन कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल के नेता द्वारा लिए गए निश्चय और राष्ट्र को दिए गए आश्वासन की तरफ आकर्षित करने के लिए दे रहा हूं। मैं केवल उस दिन जो घटा था उसे इस माननीय सभा को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अन्य मित्रों ने क्या कहा था, मैं उसे बताना नहीं चाहता। श्री ए.आर. अन्तुले ने उसी दौरान कहा था कि "हमारी तरफ से समर्थन वापस लिए जाने की बात सोचना भी नहीं। हम इनका साथ देंगे और अंत तक इस सरकार का साथ देंगे"। मैं समझता हूं मैं ठीक कह रहा हूं। श्री शरद पवार जी ने राष्ट्रपति जी द्वारा दोनों सभाओं को सम्बोधित करके दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर इस सभा में अपना भाषण देते हुए जो कहा था मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। उनके भाषण की प्रति मेरे पास है।

पिछले दस माह में 13 दलों के समर्थन वाली इस सरकार को, सरकार चलाने के लिए कहा गया था। बाद में नेशनल कांफ्रेंस भी इसमें शामिल हो गई। दो दलों कांग्रेस और सीपीआई (एम) ने पिछले दस माह बाहर से अपना समर्थन दिया। अन्यथा पिछले दस माह में जो हमने उपलब्धियां प्राप्त कीं वह प्राप्त करना संभव नहीं था। इस विश्वास प्रस्ताव का लाभ उठाते हुए मैं इन उपलब्धियों में से कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा। ये उपलब्धियां केवल मेरी नहीं हैं ये उपलब्धियां केवल मेरे सहयोगियों द्वारा प्राप्त नहीं हुई हैं। यह उपलब्धि विशेषरूप से समर्थन देने वाले दलों के सहयोग और सरकार में सत्ता की भागीदार दलों के सहयोग से प्राप्त हुई हैं और सामान्य रूप से सभा ने भी कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति में पूरा सहयोग दिया है, जिनका हमने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वायदा किया था।

जिस दिन समर्थन देने वाले दल और अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल एकजुट हुए थे, उस समय देश के लोगों को यह शंका थी कि क्या राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल एकजुट हो सकते हैं, क्या वे अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे, क्या क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय मामलों अथवा राष्ट्रीय दृश्य के बारे में अनुभव प्राप्त है क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाने का अनुभव नहीं है और वे केवल अपने राज्य तक ही सीमित रहें।

इस देश के लोगों के मस्तिष्क में यह शंका थी और कुछ बुद्धिजीवियों ने जब हमें यह जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा तथा यह भावना व्यक्त की थी। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले दस माह में हमने जो कदम उठाए उनसे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों ने एकजुट होकर सरकार को पूर्व सरकारों की तुलना में भलीभांति चलाया है। यह मैं बिना किसी शंका के कह सकता हूं। पिछले दस माह में और उस दिन जब मैंने

विश्वास प्रस्ताव का उत्तर दिया था—मैं पुन: कहता हूं कि उस दिन जिस दिन मैंने विश्वास प्रस्ताव का उत्तर दिया था—मैंने कहा था:

> "मैं कितने समय तक पद पर बना रहूंगा, मेरी चिंता का विषय नहीं है—चाहे वह पांच दिन के लिए हो, पांच माह के लिए हो अथवा पांच वर्ष के लिए हो। मुझे इसकी चिंता नहीं है। परन्तु मेरी चिंता यह है कि जितना भी समय मैं इस पर बना रहूं, मैं राष्ट्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने अनुभव से अपने सामर्थ्य के अनुसार बेहतर प्रयत्न करूंगा।"

आप मेरे भाषण को पढ़ सकते हैं। इस पृष्ठभूमि से मैंने अपने सहयोगियों के सहयोग से कार्य शुरू किया था।

मैं इस माननीय सभा को इन पिछले दस माह में उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि कहां हमसे त्रुटियां हुईं और कहां हमने इस देश की जनता अथवा इस सरकार के समर्थन देने वाले दलों के साथ विश्वासघात किया है। मैं इसे इस माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा।

हमने सर्वप्रथम निर्णय उन संस्थानों को पुनर्जीवित करने का लिया जो कि प्रशासन को चलाने के लिए राज्यों और केन्द्र के बीच सहयोग के लिए बहुत जरूरी थे। छह वर्षों से अन्तर-राज्य परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई थी। हमने अन्तर-राज्य परिषद् की बैठकें पुन: बुलाना शुरू किया और हमने दो बैठकें आयोजित कीं। इन दोनों बैठकों में जिस मुख्य मुद्दे पर चर्चा की गई वह था सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। सरकारिया आयोग ने न केवल राजनैतिक शक्ति को बांटने की सिफारिश की थी बल्कि उसने आर्थिक शक्ति को बांटने की भी सिफारिश की थी। सरकारिया आयोग की कुछ सिफारिशें अन्तर-राज्य परिषद् की बैठक में स्वीकार कर ली गई थीं और जहां हम सर्वसम्मति से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहे, हमने मुख्य- मंत्रियों के सम्मेलन में गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन करने की स्वीकृति दी।

हमने कुछ निकायों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया, मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राज्यों और केन्द्र के बीच उचित समझ के लिए यह बहुत जरूरी था। इस पृष्ठभूमि में हमने जो निर्णय लिया वह यह था कि हम साझा न्यूनतम कार्यक्रम के भीतर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सहयोग चाहते हैं।

ग्यारहवीं लोक सभा के लिए आम चुनावों के बाद एक अजीब स्थिति पैदा हुई थी। इस देश के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश से लगभग 32 दल इस सभा में आए। यदि आप छोटे दलों, क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों सभी को लें, 32 अथवा 33 राजनैतिक दल हैं। इसे देखते हुए सभा में सामना करना बहुत कठिन है और देश को चलाना भी आसान काम नहीं है।

हमने सरकार के सुचारू कार्यकरण के लिए चुनौती को स्वीकार किया, हमने सी पी आई (एम) सहित, जो कि एक समर्थन देने वाला दल है और जो कांग्रेस के साथ-साथ सरकार मे नहीं है, सभी दलों की सहमति में साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार किया।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम अपनाने के बाद हमने निर्णय लिया कि इसे कार्यान्वित करने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों से सहयोग करने का आग्रह किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन दो दिन तक चला और उसमें उन क्षेत्रों के बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जिनमें हम बिना मतभेद के इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सकते थे। सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सभी मुख्यमंत्रियों ने इन सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को 2000 ई. तक के समयबद्ध कार्यक्रम में पूरा करने के लिए सहमति दी थी।

एक अन्य मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक भी कई वर्षों से नहीं हुई थी। हमने राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक बुलाई। इसमें हमने नौवीं योजना के बारे में निर्णय लिया। नौंवी योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र को भी स्वीकृति दी गई लेकिन यह सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका क्योंकि अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी थीं। पहली बार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को चार-पांच माह के बहुत ही कम समय में अंतिम रूप दिया गया। दस्तावेज मंत्रिमंडल के समक्ष रखे गए और मंत्रिमंडल में नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के बारे में निर्णय लिया। राष्ट्रीय विकास परिषद् की भी बैठक हुई और हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र को स्वीकार किया। नि:सन्देह, इसे अंतिम रूप देने के लिए इस पर सभा में चर्चा की जानी थी।

हमने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में लोकपाल विधेयक के बारे में सहमति व्यक्त की थी। लोकपाल विधेयक भी पुर:स्थापित किया गया। जहां तक मुझे ज्ञात है यह अब स्थायी समिति के समक्ष है। हम इस विधेयक को पारित करने में बहुत अधिक उत्सुक थे और मैंने आपसे भी अनुरोध किया था कि यह विधेयक इस सत्र में पारित हो जाना चाहिए लेकिन जो भी हो वर्तमान राजनैतिक स्थिति में, जब तक सभा की सहमति न हो मेरे लिए विधेयक को पारित कराना संभव नहीं हो सकता है।

स्थिरता का मुद्दा ऐसा मुद्दा था जो कि सभी के मस्तिष्क में था। पिछले दस माह में मैंने कभी भी यह अनुभव नहीं किया कि सरकार में कहीं अस्थिरता आई है। मुझे निष्पक्ष होना चाहिए। कांग्रेस दल अथवा समर्थन देने वाले दलों ने हमारे किसी भी निर्णय में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। पिछले दस माह में मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए गए, अधिकांशत: सभी सर्वसम्मति से लिए गए। मेरे सहयोगियों अथवा समर्थक दलों के बीच कभी कहीं मतभेद हो सकता है। यह स्वाभाविक है। समर्थन देने वाले दलों का भी अपना मत होना चाहिए, क्योंकि जब विभिन्न राजनैतिक विचारधारा और विभिन्न चुनाव उद्घोषणाएं विभिन्न परिस्थितियों में एकजुट होती हैं तो उनके अपने कुछ अधिकार होते हैं। उनकी विचारधाराएं उनकी चुनाव उद्घोषणाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं।

जब हम इस देश में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एकजुट हुए तब हमने कुछ न्यूनतम कार्यक्रमों को स्वीकृति दी थी जिनमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हमने अन्य मामलों के संबंध में साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार किया था, यह स्वाभाविक था कि उनकी चुनाव उद्घोषणाओं अथवा विचारधाराओं के अनुसार मतभेद व्यक्त

करते। इसमें मुझे कोई दोष नहीं लगता। मैं यह अवश्य कहूंगा कि पिछले दस माह में हमने जो भी निर्णय लिए, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। यही कारण है कि मैं पिछले दस माह में कुछ हासिल करने में सफल रहा।

मंत्रिमंडल ने सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए और मेरी राय में यह प्रगतिशील कदम है। मैं एक-एक करके पिछले दस माह में हमारे द्वारा उठाए गए कदमों और सरकार की उपलब्धियों को इस सभा और इस सभा के माध्यम से राष्ट्र को बताने जा रहा हूं।

1997-98 के बजट की लगभग समाज के सभी वर्गों ने प्रशंसा की थी। हमने इस बजट में किसी वर्ग विशेष को महत्व नहीं दिया है। लेकिन हमने इस बात पर विशेष ध्यान दिया था कि औद्योगिक क्षेत्र कृषि और समाज कल्याण को नजरअंदाज न किया जाए। इसके साथ-साथ हमने गैर-सरकारी निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए भी पहल की। हमने बजट में इसके लिए पर्याप्त गुंजाइश रखी। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि हमें हमारे शुरू किए गए कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। हमारे अपने आन्तरिक संसाधन जुटाने वाले कार्यक्रम द्वारा संसाधन जुटाये जाने थे और इसके अतिरिक्त, नए आर्थिक दर्शन के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र और विश्व से निवेश को भी आकर्षित किया जाना चाहिए। नए आर्थिक दर्शन ने गैर-सरकारी और सार्वजनिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक स्थान बनाया है। इस सबके साथ, इस बार बजट समाज में और सभा के माध्यम से सम्पूर्ण देश को प्रस्तुत किया गया।

संयुक्त मोर्चा सरकार के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट आर्थिक सुधारों के लिए हमारी वचनबद्धता को दर्शाता है लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि समाज के निर्धन और पिछड़े वर्गों को विकास प्रक्रिया में छोड़ा नहीं जाए। वर्ष 1997-98 का बजट कई प्रकार से प्याऊ के समान है। इस सुधार प्रक्रिया में जिसमें भारत लगा है और 1991 और 1997 तक बढ़ा है, इस महत्वपूर्ण कदम में बजट में निगमित और वैयक्तिक आयकर दरों में महत्वपूर्ण कमी की गई है। घरेलू कंपनी कर दरों को कम करके प्रतिशत से काफी कम 35 प्रतिशत कर दिया है। विदेशी कंपनियों को 48 प्रतिशत की दर से कर देना होगा जो पहले से पांच प्रतिशत कम है। वैयक्तिक करदाता को अब 30 प्रतिशत कर देना होगा जिससे उन्हें इसमें 25 प्रतिशत की भारी छूट प्राप्त हुई है।

प्रत्यक्ष कर की दरों को न्यायसंगत बनाने के साथ-साथ बजट में सीमा शुल्क में 20 प्रतिशत छूट की भी घोषणा की गई है। यह दोहरा दर्शन इस दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है कि भारत में भी उन कर की दरों को अपनाया जाना चाहिए जो कि एशिया के अन्य देशों में प्रचलित हैं और कर की कम दरों की परम्परा बड़ी संख्या में करदाताओं को कर देने को प्रोत्साहित करेगी। बजट में राजकोषीय और नीतिगत पहल से व्यापक बुनियादी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए गए हैं। सरकार ने दूरसंचार, तेल और गैस, सड़कों और पर्यटन में गैर-सरकारी निवेशकों को आकर्षित करने की मंशा जताई है। ये कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें हमने गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए खोलने की कोशिश की है।

कोयले पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है। हमारे बजट प्रस्तावों में हमने जो निर्णय लिए हैं वे विकास की दृष्टि से लिए गए हैं और हम पुन: उन पर प्रकाश डालना चाहेंगे। दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने वालों को बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण माना गया है और पांच वर्षों के लिए पूरी कर छूट दी गई है और उससे आगे के पांच वर्षों के लिए 30 प्रतिशत छूट दी गई है। लाइसेंस शुल्क का अब परिशोधन किया जा सकता है और अब लाइसेंस अनेक परियोजनाओं को स्वीकृति देने के साथ-साथ दिए जा सकते हैं। तेल और गैस क्षेत्र में व्यापक रूप से पुनरीक्षा की गई है। पूंजी बाजार को पुन:जीवित करने का प्रयास किया गया है। कम्पनी अधिनियम में व्यापक संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को बदलने का प्रस्ताव है। धनराशि के अवैधानिक रूप से लेन-देन के लिए सांविधिक उपाए किए जाने अपेक्षित हैं।

इसी प्रकार, बजट में गरीब और पिछड़े हुए लोगों के प्रति हमारी चिंता भी स्पष्ट दिखाई देती है। मूल न्यूनतम सेवाएं बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों, रोजगार और सामाजिक सेवाओं के लिए परिव्यय निर्धारित किए गए हैं। मूल न्यूनतम सेवाओं के लिए धनराशि 2,466 करोड़ रु. से बढ़ाकर 3,300 करोड़ रु. कर दी गई है। इसमें गंदी बस्तियों को साफ करने के लिए 330 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। त्वरित सिंचाई योजना जिसके लिए पिछले वर्ष के बजट में 900 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए थे, उसे 1997-98 में बढ़ाकर 1300 करोड़ रु॰ कर दिया गया है। लघु सिंचाई परियोजनाओं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के कमजोर वर्गों और लघु किसानों की मदद के लिए गंगा कल्याण जैसे निर्यात कार्यों के लिए दो सौ करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। हमने कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना के लिए 250 करोड़ रु. उपलब्ध कराए हैं। हम जनजातीय क्षेत्रों में, जहां साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, रहने वाली लड़कियों के लिए 258 आवासीय स्कूल शुरू करना चाहते हैं।

मैं केवल इन पिछले दस माह की कुछ विशेष बातों और इस सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख कर रहा हूं। हम अपने आश्वासनों, जो हमने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को दिए हैं, के प्रति वचनबद्ध हैं। हमने 1997-98 के बजट में कुछ आवश्यक प्रावधान करके कुछ कदम उठाने का प्रयास किया है।

हमने ग्रामीण आवास कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 मकान बनवाये जाने हैं। पहली बार यह योजना शुरू की गई है। इससे पहले किसानों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं थी। इसके लिए दो लाख रुपए प्रति घर की दर से धन उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिए शुरू की गई यह एक नई योजना है। जवाहर रोजगार योजना और अम्बेडकर आवास योजना कमजोर वर्ग या निराश्रित लोगों या घर विहीन लोगों के लिए था। हमने यह योजना कृषक समुदाय के लिए शुरू की है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उर्वरक पर राजसहायता जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। विगत दस महीनों में हमने जो भी कदम उठाए हैं, वे कृषक समुदाय के लोगों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए

हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अब तक दो-तीन राज्यों ने ही सस्ते दरों पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। हमने इस योजना को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस योजना के लिए हमने 7,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इस योजना से देश के करीब 32 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि की गई है। हमने कृषक समुदाय को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से पिछले साल उर्वरकों के लिए 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस वर्ष इसमें और भी बढ़ोत्तरी की जा रही है। आयातित उर्वरकों पर भी हमने 1,700 करोड़ रुपए की राजसहायता प्रदान की है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली कुल राजसहायता करीब 17,500 करोड़ रुपए की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्ग के कुछ लोगों, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं तथा जिनके पास क्रय शक्ति का अभाव है, को सहायता पहुंचाना है। हमने राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

कुछ अन्य मुद्दे भी हैं और सभा में सभी पक्षों की राय सुनने के बाद उस पर मैं अपना विचार प्रकट करूंगा।

अंत में, मैं उन सभी मुद्दों का जिक्र करूंगा। अब मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव पर, जिसे मैंने आपकी अनुमति से अभी-अभी पेश किया है, विचार करें। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर विचार करें कि विगत इस महीने में हमारे निर्णय के फलस्वरूप कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, सरकार ने कहीं कोई गलती नहीं की है और क्या राष्ट्र को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में हम विफल रहे हैं। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस सम्मानित सभा में अपना विचार व्यक्त करें। यदि हमसे कोई गलती हुई है, तो हम उसे दूर करने हेतु तैयार हैं। मैं इस पर, विशेषकर विगत दस महीनों में, सरकार द्वारा हुई किसी भूल-चूक पर खुली बातचीत करना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे विश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ शंकाओं का समाधान करना चाहूंगा।

सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्यों को 21 तारीख को वित्त विधेयक पारित करने की सहमति देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सम्पूर्ण सभा को इस माह की 21 तारीख को वित्त विधेयक, लेखानुदान और विनियोग विधेयक पारित करने की सहमति देने के लिए हृदय से अपना धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वरिष्ठ नेता के रूप में कहा है कि समर्थन देने वाली पार्टियों को उस रूप में नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि इस समय कांग्रेस

(आई) के समर्थन से प्रशासन चलाने वाली पार्टी कर रही हैं। यह बहुत ही अच्छा सुझाव है। श्री संतोष मोहन देव ने बीच में बोलते हुए कहा था कि जब यह मुद्दा कांग्रेस के नेता और कांग्रेस संसदीय पार्टी दोनों द्वारा उठाया गया था तो संयुक्त मोर्चे से न तो कोई भी नेता उनसे मिला और न ही किसी ने उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयास किया। श्री संतोष मोहन देव ने यह टिप्पणी की है।

विस्तार में जाने से पूर्व, मैं दो पत्रों, जो कि माननीय सदस्य श्री पी.आर. दासमुंशी के भाषण के अनुसार, मुझे भेजे गए थे, के बारे में बताना चाहूंगा। मुझे कोई पत्र नहीं मिला है। भारत के राष्ट्रपति ने आवरण पत्र और संलग्नक जो कि कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष ने 30 मार्च, 1997 को उन्हें भेजा था, उन्होंने 31 मार्च, 1997 को मुझे भेजा था। समर्थन वापस लेने के लिए 30 मार्च, 1997 को राष्ट्रपति जी को भेजा गया पत्र 31 मार्च, 1997 को राष्ट्रपति जी ने मुझे भेजा था। तब तक मुझे कांग्रेस (आई) अध्यक्ष से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। 30 मार्च, 1997 को मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव से मिला था।

मेरे वित्त मंत्री ने 29 मार्च को दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होने से पहले मुझसे अनुरोध किया था कि कांग्रेस (आई) ने अपने पार्टी लेखे जांच अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए हैं। 31 मार्च अंतिम तारीख है। इस संबंध में अर्थदंड लगाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। उन्होंने बताया कि वह कलकत्ता जा रहे थे और फिर गोवा जाएंगे और 31 मार्च को ही वापस लौटेंगे; इसलिए कृपया इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वित्त मंत्री जी ने मुझे यही बताया था। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उन्होंने आवश्यक स्पष्टीकरण मांगने के लिए खजांची, श्री अहमद पटेल से संबंध स्थापित करने के सभी प्रयत्न किए। लेकिन वह नहीं मिले। इसलिए कृपया इस मुद्दे को सुलझाएं। 30 मार्च को मैं श्री पी. वी. नरसिम्हा राव से मिला क्योंकि उस समय वह पार्टी के अध्यक्ष और 1993-94 के लेखाओं के लिए जिम्मेदार थे। मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने सुझाव दिया कि वह इस बारे में चर्चा करने के लिए श्री प्रणव मुखर्जी को भेजेंगे। मैं वापस आया और श्री सीता राम केसरी जी पार्टी अध्यक्ष और कां.सं. दल के नेता से फोन पर सम्बन्ध स्थापित किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं और कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि वह कब मिल पाएंगे। उन्होंने मुझे 31 मार्च को 2 बजे मिलने के लिए समय दिया। मेरे कुछ नैतिक मूल्य हैं। मैं यहां इस पद की खोज में, किसी आशा, आकांक्षा से नहीं आया हूं। मैंने मुख्यमंत्री का पद छोड़कर इस देश का प्रधानमंत्री बनने की कभी इच्छा नहीं की थी। मुझे जोड़-तोड़ वाली राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश के लोग राजनैतिक दृष्टि से बहुत जागरूक हैं, वे इस बात से परिचित होंगे। समर्थन वापस लेने के लिए पत्र प्रस्तुत करने का समय अपराह्न 12.40 बजे चुना गया था और उन्होंने मुझे मिलने के लिए अपराह्न 2.00 बजे का समय दिया। क्या श्री संतोष मोहन देव वहां नहीं थे जब मैं उनके अध्यक्ष से मिला था? मैं उनसे बारह बार मिला हूं।

आरोप यह लगाया गया है कि मैं केवल श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी से मिलता रहा। मैं पीठ में छुरा घोंपने वालों में से नहीं हूं। श्री पी.वी. नरसिंहा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे। जी हां, उस दिन मैं यहां मौजूद था जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था

और मैंने उनके विरुद्ध वोट डाली थी। उस दिन उन्होंने किसी भी तरह अथवा कोई भी तरीका अपनाकर सरकार बनाने की कोशिश की थी। आज वे मित्र जो इस देश में धार्मिक उपदेश और नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं, जो श्री नरसिंहा राव के विरुद्ध अपने उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हैं, क्या उनकी सरकार में अपने पद का सुख नहीं भोग रहे थे। आज, प्रत्येक श्री नरसिम्हा राव के विरुद्ध यह कहकर उंगली उठाना चाहता है कि देवेगौड़ा श्री नरसिम्हा राव के हितों की रक्षा कर रहे हैं। यदि वह बीमार हैं और अस्पताल में हैं और यदि देवेगौड़ा उन्हें देखने जाते हैं तो वह उन्हें अधिक सम्मान और आदर दे रहे हैं क्योंकि वह अध्यक्ष का पद खो बैठे हैं, कां.सं.पा. के नेता का पद खो बैठे हैं। मैं उन्हें किसी प्रकार से छोटा दिखाने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे वह अपने पद पर विभिन्न राजनैतिक तरीकों को अपनाकर बने रहे अथवा नहीं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। उन्होंने देश को आर्थिक संकट से उबारा। मैं सभी का नाम लेकर कुछ नहीं कहने वाला लेकिन मित्रों, आप में से कुछ ने किस प्रकार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, मैं इसे जानता हूं। यद्यपि यह मेरी चिंता का विषय नहीं है, यद्यपि मैं जानता हूं कि आज मैं पद-त्याग करने वाला हूं लेकिन इस देश में मैत्री बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। श्री नरसिम्हा राव जी को इन शब्दों से परिचित होना चाहिए। वह अपने अंतिम दिन व्यतीत कर रहे हैं इसलिए उन्हें इन शब्दों से अवश्य ही परिचित होना चाहिए। ये वे लोग हैं जिन्होंने उन्हें छुरा घोंपा है। मैं उन्हें छुरा घोंपने नहीं जा रहा हूं। जिस दिन उन्होंने कां.सं.पा. के नेता के पद से त्याग-पत्र दिया था, वह बिल्कुल अकेले थे। मैं उनके घर यह जानने के लिए गया कि ऐसा क्यों हुआ?

जी हां, मैं श्री चन्द्रशेखर जी का आदर करता हूं। मेरी श्री चन्द्रशेखर जी से मित्रता बहुत पुरानी है। मेरा उनके साथ पिछले 20 वर्षों से संबंध रहा है। वह एक वरिष्ठतम नेता हैं और मैं उनका आदर करता हूं। चाहे मैं किसी पद पर था या नहीं, मैं उनके घर जाया करता था। उनके घर जाना पाप है, श्री नरसिम्हा राव के घर जाना पाप है, श्री शरद पवार जी से मिलना पाप है, लेकिन उनके अध्यक्ष से बार-बार मिलना पाप नहीं है। मैंने अपने जीवन में किसी की उपेक्षा नहीं की है। क्या मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर नहीं गया? क्या मैं लालकृष्ण आडवाणी जी के घर नहीं गया? हमारे सार्वजनिक जीवन में कुछ मौलिक शिष्टाचार होने चाहिएं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम पद पर बने रहने के लिए किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं अथवा चापलूसी कर रहे हैं। आपको अपने से बड़ों का आदर करने का प्रयास करना चाहिए। जिस पद पर मैं आज हूं एक घंटे तक और हूं, वह उच्चतम पद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि विश्व के सबसे बड़े नेताओं में एक थे, यहां बैठते थे और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाते थे। भाग्य ने मुझे यहां ला पटका और मुझे इस कुर्सी पर बिठा दिया। जब इस सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री शिवराज पाटिल बोल रहे थे तो मैं उनका भाषण सुन रहा था। उन्होंने जो कुछ बातें कहीं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

मैं कुछ विस्तार से बोलना चाहूंगा क्योंकि इस सभा में यह मेरा अंतिम भाषण है। मैं दूसरे सदन में चला जाऊंगा। मुझे वहां पांच वर्ष तक रहना है। मेरा सभी सदस्यों, वरिष्ठ

नेताओं से अनुरोध है कि वह मुझे सहयोग दें। मैंने इस सभा में कई सदस्यों द्वारा बहुत गलत बोलने पर भी उन्हें कभी बीच में नहीं टोका। मैंने ऐसा कभी नहीं किया।

श्री दासमुंशी जी ने मेरे बंगलौर जाने और वापस लौटने की बात की।

श्री दासमुंशी, आप मेरे अच्छे मित्र हैं। आप मुझे कलकत्ता ले गए। कृपया अपने दिल को टटोलकर मुझे बताइए—कि पिछले दस माह में इस प्रधानमंत्री का कार्य-निष्पादन कैसा रहा। किस प्रधानमंत्री ने सात दिन तक लगातार उत्तर-पूर्व के राज्यों का दौरा किया है? युवा कांग्रेस के दिनों से आप यहां है। आप कट्टर कांग्रेसी हैं। मुझे आपकी संगठन के प्रति निष्ठा पर कोई प्रश्न नहीं उठाना है। लेकिन आप सच-सच बताइए। अपनी अन्तरात्मा की आवाज को न दबाएं। फिरोज़ गांधी जैसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने ससुर के प्रधानमंत्री होते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को उद्घाटित किया था। यदि आप महसूस करते हैं कि समर्थन वापस लेने के आपके अध्यक्ष के निर्णय से तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को बल मिलने वाला है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मुझे कोई खेद नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले दस माह में अपने कर्त्तव्यों को निभाने के अतिरिक्त कुछ और नहीं किया है मैं उस पर आ रहा हूं। कृपया धैर्य रखें।

मेरे धर्मनिरपेक्ष होने पर संदेह किया गया। यह कहा गया है कि कांग्रेस कार्यकारी समिति यह नोटकर खेद व्यक्त करती है कि संयुक्त मोर्चा सरकार धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट रखने के लिए आवश्यक नेतृत्व प्रदान करने में और साम्प्रदायिक ताकतों को दबाने में असफल रही है। क्या पंजाब में उनकी हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं? नगर-निगम के चुनावों अथवा महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनावों में उनकी हार के लिए क्या मैं जिम्मेदार हूं? क्या मेरे गृह राज्य में मेरे द्वारा खाली किए गए स्थान पर जहां उप-चुनाव में भा.ज.पा. की जमानत तक रद्द हो गई और कांग्रेस की जीत हुई, के सिवाय सभी उप-चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों की हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं? मैं यह नहीं कहना चाहता कि भा.ज.पा. और कांग्रेस मिल गए हैं। भा.ज.पा. को 1996 में संसदीय चुनावों में 23,000 वोट मिले और विधान सभा के चुनावों में 27,000 वोट मिले। उनकी जमानत जब्त हो गई और वे धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध लड़ाई में एक साथ आगे बढ़े।

श्री पी.आर. दासमुंशी आपने यह राय जानकारी के अभाव के कारण बनाई होगी। मैं इस कार्यकारी समिति के संकल्प की मंशा के बारे में पूछना चाहूंगा। श्री मुलायम सिंह जी यहां मौजूद हैं। राज्य सभा के लिए तीन उप-चुनाव हुए। कांग्रेस को 30 वोट मिले, बसपा को 66 और जनता दल को आठ वोट मिले। यदि उन्होंने ये 104 वोट नहीं काटी होतीं तो क्या जनता दल, कांग्रेस और ब.स.पा. सहित इन तीन पार्टियों के लिए यह संभव हो सकता था कि वे भा.ज.पा. के तीन अधिकृत उम्मीदवारों को हरा पातीं। आप मुझे बताएं। समर्थन वापस लेने पर खेद व्यक्त न करें। समर्थन वापस लेने पर चिंतित न हों। इसके लिए अब कोई लीपा-पोती न करें। यह संभव नहीं है। देश को असलियत का पता लगने दें।

मैं इस सभा में पुन: मीडिया द्वारा-संपादकीय कालम अथवा 'संपादक के नाम पत्र' में की गई प्रशंसा को उद्धृत नहीं करना चाहता। अब मैं सरकार के कार्य-निष्पादन और सरकार की कार्यकुशलता के बारे में कांग्रेस (आई) अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों पर आ रहा हूं।

सर्वप्रथम, मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि सुबह मैं राजनैतिक भाषण देना नहीं चाहता था। कुछ लोगों की यह धारणा थी कि मैं अवसादपूर्ण मन:—स्थिति में हूं। नहीं मैंने श्री चन्द्रशेखर से प्रशिक्षण लिया है। मुझे कभी भी पद की कोई चिंता नहीं होगी। मैंने उनकी सलाह के विरुद्ध तीन-बार त्यागपत्र दिया है। आज, मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस दिन मुझे राष्ट्रपति जी के कार्यालय से समर्थन वापस लिए जाने का पत्र मिला था, मैंने तभी अपना त्याग-पत्र दे दिया होता। लेकिन, तुरन्त अगले दिन, संयुक्त मोर्चे के सभी दलों के नेता यहां एकत्र हुए और उन्होंने कहा, "नहीं, त्याग-पत्र नहीं देना चाहिए। आपको सभा के समक्ष जाना चाहिए। हमें जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कितने पानी में है"। संयुक्त मोर्चे के इस निर्णय के सामने मैंने अपना सिर झुका लिया। उनके समर्थन के कारण ही मुझे नेता चुना गया था और मैं कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहा था। मेरी यही पृष्ठभूमि है।

पिछले ग्यारह माह में, मैंने कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए कभी भी किसी सार्वजनिक सभा में कुछ नहीं कहा। मैंने करीब 66 बैठकों को उत्तर प्रदेश में सम्बोधित किया होगा जहां लोक सभा चुनावों में भा.ज.पा. को 236 विधान सभा क्षेत्रों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। विधान सभा चुनावों में उन्हें लगभग 176 सीटें प्राप्त हुईं। श्री पी.आर. दासमुंशी जी क्या यह कोई उपलब्धि नहीं है?

*** *** ***[1]

जब अन्य लोग बोल रहे थे, तो मैंने उन्हें बीच में नहीं टोका। अब उन्हें मुझे, प्रधानमंत्री के रूप में, जाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में, इस माननीय सभा में अपने विचार व्यक्त करने का मौका देना चाहिए।

किसी ने मुझे बताया था, शायद मेरे गृह मंत्री ने मुझे बताया था कि आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का विभाजन करना चाहते थे। श्री माधवराव सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे तब वह मेरे पास आए थे क्योंकि उस समय वह संयुक्त मोर्चे में थे। क्या मैंने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए नहीं कहा था? कृपया उन्हें बताने दें। कृपया मुझे बोलने दीजिए।

*** *** ***[2]

श्री एन.डी. तिवारी और श्री अर्जुन सिंह जी ने जब मुझसे कहा कि वे कांग्रेस पार्टी में वापस जा रहे हैं क्योंकि श्री पी.वी. नरसिंहा राव को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। मैंने कहा था, "जाइए, आपका ऐसा करने के लिए स्वागत है और इसमें

मुझे कोई आपत्ति नहीं है"। क्या मैंने कांग्रेस पार्टी को विभाजित करने का प्रयत्न किया है? कोई भी कह सकता है।

एक अन्य आरोप यह लगाया गया है कि देवेगौड़ा कांग्रेस पार्टी के महत्व को कम करना चाहते थे। जब श्री शरद पवार जी ने मुझसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कहा था तो क्या मैंने उनसे 'नहीं' कहा था। यहां तक कि श्री संतोष मोहन देव के निर्वाचन क्षेत्र में, भूतपूर्व अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र में जब भी मुझे बुलाया गया मैं वहां गया। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में नहीं गया क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव नहीं चाहता था। मैं जब भी स्थानीय संसद सदस्यों द्वारा निर्धारित सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों में गया, मैं कभी भी किसी पार्टी की बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। मैंने किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के महत्व को कम किया है? मैं नहीं जानता कि मैंने क्या पाप किया है?

सुबह विपक्ष के माननीय उप नेता श्री जसवंत सिंह जी ने बहुत ही शालीनता से उस भाषा का उल्लेख करने का प्रयत्न किया था जो कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कांग्रेस (आई) अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की गई थी। जब प्रेस वालों ने इसके बारे में पूछा तो मैंने कहा कि "इस पर ध्यान न दें।" आज मैं इस सभा के माध्यम से इस राष्ट्र को वह भाषा बताना चाहूंगा जो माननीय कांग्रेस (आई) अध्यक्ष जो कि नेता बनने की इच्छा रखते हैं, ने प्रयोग की थी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि सभा ऐसा चाहती है, यदि मेरे सभी मित्र, कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मुझे हिन्दी के शब्द 'निकम्मा' का अर्थ मालूम नहीं है।

उन्होंने कहा था:

"आप मूर्ख, कायर और शक्तिहीन हैं। जरा मैदान में आओ तो देखते हैं कि शाक्तिशाली कौन है।"

उन्होंने हिन्दी में कहा था:

"यह व्यक्ति निकम्मा और कम्युनल है।"

यह आदमी केवल निकम्मा ही नहीं है बल्कि साम्प्रदायिक भी है।

पिछले दस माह में इस निकम्मे प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया, उसे मैं इस सभा को तथा इस सभा के माध्यम से राष्ट्र को बताना चाहता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष का ध्यान 'द हिन्दू' समाचार पत्र के संपादकीय में छपे एक सम्पादकीय की ओर दिलाना चाहूंगा। आप सबने इसे देखा है। इसमें लिखा है:

"श्री देवेगौड़ा के शासन काल जैसा पिछले कई दशकों में कभी नहीं हुआ — मंत्रालयों को पर्याप्त स्वायत्तता वापस मिली। प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका में पर्याप्त कमी आई। निर्णय लिए जाने वाले अनेक क्षेत्रों जैसे, विदेशी निवेश, को उद्योग को वापस सौंप दिया गया।"

मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्तियों को प्रत्यायोजित किया क्योंकि मैं निकम्मा हूं, निकम्मा और मूर्ख प्रधानमंत्री हूं। कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं हैं। वे अखिल भारतीय कांग्रेस (आई) अध्यक्ष हैं। वे उस पद पर आसीन हैं जहां श्री मोतीलाल नेहरू, पं. जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे महान लोग पदासीन रहे।

महोदय, 'वाशिंगटन पोस्ट' में लिखा है:

"भारत ने नए प्रकार के नेतृत्व का प्रदर्शन किया है जिसकी दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में अत्यधिक आवश्यकता है। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा की पहल पर गंगा जल बंटवारे के संबंध में बंगलादेश और भारत का विवाद समाप्त किया जा रहा है। यदि गंगा समझौता श्री देवेगौड़ा के नेतृत्व का एक उदाहरण है तो आगे देखते हैं क्या होता है।"

यह 'वाशिंगटन पोस्ट' में लिखा है। मैं पूरा संपादकीय लेख नहीं पढ़ने जा रहा हूं।

एक मूर्ख और निकम्मे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लिए कुछ तो करने का प्रयत्न किया है। मैं दस माह तक निष्क्रिय नहीं बैठा रहा। मैंने इस सभा में विश्वास मत के उत्तर में जो कहा था, उसे याद दिलाना चाहूंगा। मैं जानता हूं जो होने वाला है। चाहे मैं पांच दिन के लिए रहूं अथवा पांच माह के लिए अथवा पांच वर्ष के लिए, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मैं प्रत्येक मिनट राष्ट्र के लिए कार्य करूंगा। यह मैंने प्रण लिया है। जी हां, मैं दिन में 18-19 घंटे काम करता हूं। मुझे इस पर गर्व है। मुझे इस पद को छोड़ते हुए कोई खेद नहीं है। मुझे कोई खेद नहीं है। मैंने एक मिनट भी बेकार नहीं गंवाया है। जब भी मुझे अवसर मिला मैंने अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा कार्य किया।

वर्तमान कांग्रेस (आई) अध्यक्ष से किसी प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने जीवनकाल में दस चुनाव लड़े हैं। क्या उन्होंने कभी कोई सीधा चुनाव लड़ा है? मैंने राज्य सभा से चुना जाना क्यों चाहा। मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। मुझे कांग्रेस के साथ छोड़ देने की आशा थी क्योंकि श्री चन्द्रशेखर इसके शिकार रहे हैं, श्री वी.पी. सिंह इसके शिकार रहे हैं मुझे इस सबके बारे में जो पिछले समय में हुआ है, जानकारी थी। श्री नरसिम्हा राव इसके शिकार हुए। मैं सभी कुछ बताने जा रहा हूं — कि किस प्रकार श्री मोरारजी देसाई जी के साथ कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया और किस प्रकार श्री राज नारायण जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे और जो श्रीमती गांधी के विरुद्ध लड़े, को जनता पार्टी को तोड़ने के लिए प्रयोग किया गया। आप यह जानते हैं, मैं इस बारे में जानता था और प्रत्येक इस बारे में जानता था। मैं सारा खेल जानता हूं।

जब तक श्री नरसिम्हा राव अध्यक्ष रहे, कोई परेशानी नहीं हुई। जिस दिन श्री सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, मैंने उन्हें दोपहर के भोजन के लिए बुलाया था। मैंने आपके अध्यक्ष की कभी उपेक्षा नहीं की। मेरे घर में मेरी उनसे दो घंटे तक बातचीत हुई। उन्होंने मुझे वचन दिया और उन्होंने मुझे वरिष्ठ राजनेता के रूप में सलाह भी दी। परन्तु चौथे दिन

मेरे एक मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला, जिनके सहयोगी प्रो. सैफुद्दीन सोज़ मेरे मंत्रिमंडल में हैं, जब श्री सीताराम केसरी जी से मिलने गए, तो उन्हें कहा गया कि वे संयुक्त मोर्चे सरकार में शामिल न हों क्योंकि मैं समर्थन वापस लेने वाला हूं। चार दिन के भीतर ऐसा हो गया।

मैं जब इस सभा में आया था, मैंने भगवान का नाम लेकर शपथ ग्रहण की थी। श्री नरसिम्हा राव जी आप बहुत से कड़वे घूंट पी सकते हैं, क्योंकि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं। अब मैं समर्थन देने वाली पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई कम से कम कुछ शंकाओं के बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैंने श्री सीताराम केसरी जी के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी उपेक्षा की है। यह सच नहीं है बल्कि इसके पीछे कुछ और है। एक शीर्षक छपा है, जिसमें ठीक कहा गया है, भारत के बुजुर्ग जल्दी में: 'अभी अथवा कभी नहीं'। यह किसी भारतीय समाचार पत्र में नहीं छपा। यह 'लंदन टाइम्स' में छपा था।

यह कहा गया है कि हम पद-लोलुप हैं। लेकिन यहां प्रश्न सम्मान का है। हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष का पद एक ऊंचा पद है। कांग्रेस (आई) 105 वर्षों के पृष्ठभूमि वाली एक ऐतिहासिक राजनैतिक पार्टी है। ठीक है, इसकी 111 अथवा 113 वर्ष पुरानी पृष्ठभूमि है। यह वह स्थान है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठा करते थे और आज मैं इस पर आसीन हूं। मैं इसे कांग्रेस कहूंगा, कांग्रेस (आई) नहीं। कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने स्वतंत्रता प्राप्त कराने में देश की सेवा की। इसने देश को चलाने, देश का विकास करने में, देश की सेवा की। सभी दृष्टिकोणों से इसने देश की सेवा की। अध्यक्ष बन जाना ही बड़ी बात नहीं है; सम्मान पाना प्रमुख है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का कोई मान नहीं है, कोई दर्जा नहीं है। यदि वह यहां इस पद पर बैठते हैं तभी केवल उन्हें सम्मान और दर्जा प्राप्त होगा। यही कारण है कि यह कहा गया है कि बुजुर्ग नेता जल्दी में हैं।

मैं केवल एक बात कहता हूं। भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त पत्र में मेरे विरुद्ध और संयुक्त मोर्चा सरकार के विरुद्ध बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। मुझे उन सभी का जवाब देना चाहिए। यह किसी व्यक्ति पर प्रहार करने का प्रश्न नहीं है। मेरी सरकार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की स्थिति स्पष्ट करना मेरी जिम्मेवारी है। वह पत्र मेरे पास है और मैं उन सभी बातों का उत्तर दे रहा हूं। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैं अपमान करना चाहता तो मेरे लिए यह कोई आवश्यक नहीं था कि इसके लिए बारह महीने लगते। आपके लिए मेरे मन में बहुत आदर है, कुरियन जी। परन्तु यह निकम्मा और अकम्मा क्या है?

माननीय गृह मंत्री जी, समर्थन देने वाले दल से कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उस पार्टी के माननीय सदस्य स्पष्टीकरण दें। वह कह रहे थे कि उन्होंने डेढ़ घंटे तक उनके नेता से बात की परन्तु कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उन्हें केवल यही तर्क दिया गया था, "आपके नेता को पद त्याग देना चाहिए"। जब तक मैं पद नहीं छोड़ता वे कैसे पद पर आ सकते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इतना समझ सकते हैं। इसलिए समर्थन देने वाले दल से किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता कहां थी?

उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं बहुत ही स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पिछले 10 महीनों में कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य ने उस सदन में या सदन से बाहर आलोचना नहीं की है— मैं उनका आभारी हूं। एकमात्र इच्छा यह है कि कोई और इस कुर्सी पर बैठे और मैं इसे खाली कर दूं। इसके पीछे यही रहस्य है। जब उन्होंने माननीय गृह मंत्री को यह कहा कि "आपके नेता को प्रधानमंत्री का कार्यालय छोड़ देना चाहिए"। तो कोई गलत नहीं कहा था। कांग्रेस अध्यक्ष ने गृह मंत्री को यह समझाने की कोशिश की थी तो मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगी। उन्होंने इस मामले से मुझे अवगत नहीं करवाया, उन्होंने इस मामले के बारे मे सदन को सूचित किया था।

माननीय विदेश मंत्री जी ने हमारे विदेशी मामलों, विदेश नीति और जो कुछ हमने किया उसके संबंध में एक संक्षिप्त भाषण दिया है। उन्होंने हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियों का उल्लेख किया है। जब मैं रूस में था तो मुझे एक साथी श्री श्रीकान्त जेना, संसदीय मामलों के माननीय मंत्री, से यह संदेश मिला था कि पूरी संभावना है कि कांग्रेस अपना समर्थन वापिस ले लेगी। मैंने उनसे कहा, "मैं वापिस आ रहा हूं। अगर वे अपना समर्थन वापिस ले रहे हैं तो आपको चिन्ता क्यों हो रही है। आखिरकार, जब तक मैं इस पद पर आसीन हूं, मुझे अपने देश के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, चाहे मैं पद पर रहूं या नहीं"।

मैं भाग्य में विश्वास रखता हूं। स्वर्गीय श्री नीलम संजीव रेड्डी जी को 1969 में पद से हटाया गया था। वे 1978 में पुन: उस पद पर आसीन हुए। उन्होंने 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इस पद की शपथ दिलाई थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें समय के बारे में कहा था।

मैं भारतीय राजनीति से दूर नहीं भाग रहा हूं। हो सकता है मैं इस सदन में सफल न समझा गया होऊं। मुझे कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा एक अक्षम प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है परन्तु अंतिम निर्णय राष्ट्र के समक्ष है और 95 करोड़ लोग आज हमें देख रहे हैं। एक अक्षम प्रधानमंत्री इस चुनौती को स्वीकार करता है। मैं जनता के समक्ष जाऊंगा और मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं।

तीन समूह हैं। भाजपा भी कोई एकमात्र बड़ी पार्टी नहीं है। श्री वाजपेयी जी के लिए मेरे मन में बहुत आदर है। वे वरिष्ठतम नेता हैं। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे केवल बजट को पारित करने में हमारी मदद करने का अनुरोध किया था।

ऐसा इसलिए कि मैं इसके बारे में बहुत चिंतित हूं। हमने कई नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहली बार एक अक्षम प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। गंदी बस्तियों की सफाई के लिए हमने 330 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। गत वर्ष उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मैं भी राजनीति में हूं। मैं कोई नया आदमी नहीं हूं। केन्द्रीय बजट में जब गंदी बस्तियों के लिए धन का आवंटन किया गया था तब हमने कई कार्यक्रम शुरू किए थे। कल्याण मंत्री यहां उपस्थित हैं। कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष कल्याण मंत्री भी थे। मैं यह बात सुनिश्चित करने के लिए काफी उत्सुक हूं कि चाहे मैं पद छोड़ दूं फिर भी लोगों को लाभ मिलना चाहिए।

हमने सब्सिडाइज्ड फूड कार्यक्रम शुरू किया है। मैं समझता हूं कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे तीन चार राज्यों में ही चल रही है। हमने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है जिसके लिए हमने इस साल के बजट में 7,500 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। क्या यह एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? जिन वरिष्ठ नेताओं ने आज बोला उन सभी ने यही पूछा कि उन्होंने बजट पारित करने से पहले 30 मार्च का दिन ही क्यों चुना? वे अपना समर्थन वापिस करने का निर्णय बजट पारित होने के बाद, महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के पश्चात् — जिस पर मेरी बहनें मुझ पर आरोप लगा रही थीं, लोकपाल विधेयक पारित होने के पश्चात् 9 या 10 मई को ले सकते थे। मैं क्या कर सकता हूं? अगर वे अपना समर्थन 10 मई को वापिस लेते तो कोई विपत्ति नहीं आ जाती। आपको इससे क्या मिला। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है?

जब मैं इसी सदन में बैठा था, तो भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने इसी जगह यह कहा था कि हम किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि सब्सिडी को तीन वर्षों में चरणबद्ध कार्यक्रम द्वारा हटा दिया जाएगा। उन्होंने यह इसी सदन में कहा था। मैंने उस स्थान से बहस की थी। जब मैं उस स्थान से बहस कर रहा था, तो उस समय श्री शिवराज पाटिल इस सदन के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, "आगामी तीन वर्षों में हम एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब्सिडी को समाप्त करने वाले हैं क्योंकि मुझे वित्तीय घाटे के बारे में सोचना है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऐसा करने के लिए कह रहा है"। जो कुछ उन्होंने उर्वरक सब्सिडी के बारे में इस सदन में कहा था वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है। संसद आने से पहले पन्द्रह दिनों के अंदर मैंने अपने किसानों को 2,500 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया था। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम विश्वासघात करने वाले हैं? यह आपका ख्याल है। अपने किसानों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी रखते हुए मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि वे समाज का एक शोषित वर्ग है। मैं इसे इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं समुदाय से आया हूं और यह कोई जाति नहीं है। यह एक वर्ग है। इस वर्ष हम कुछ और आगे बढ़े हैं, हमने इस वर्ग के लिए खाद्य सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी सहित लगभग 17,500 करोड़ रुपए प्रदान करने की कोशिश की।

इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 32 करोड़ लोगों को लाया जा रहा है। क्या यही पाप मैंने किया है? मेरे विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि इस प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की तरफ ध्यान नहीं दिया है। अपने दिल पर हाथ रखकर विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध वोट दो। अपने दिल पर हाथ रख कर कोई निर्णय लो।

अगर मैंने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है तो वे चाहे मुझे फांसी लगा दें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आपको पूरा अधिकार है।

अल्पसंख्यकों जिन्हें उन्होंने वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है — के बारे में मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से इस वर्ष कम से कम 100 करोड़ रुपए प्रदान करने का अनुरोध किया था। उन्हें ऊपर उठाना इतना आसान नहीं है और हम उन्हें इस स्थिति में छोड़ने वाले नहीं हैं।

श्री अंतुले जी ने इस सदन में यह शपथ ली थी कि वे समर्थन वापिस नहीं लेने वाले हैं और मेरा साथ देंगे। वे पार्टी के व्हिप के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं; मैं उनकी कोई गलती नहीं निकाल रहा। उन्होंने अपनी सही भावनाओं को व्यक्त किया है।

हमने पहली बार उन लोगों का ध्यान रखा है जिनका जनजातीय क्षेत्रों में बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता था। वहां साक्षरता दर दो से कम या ढाई प्रतिशत है। श्री भूरिया जी यहीं कहीं बैठे हैं; वे उनके प्रतिनिधि हैं और वे मुझे जनजातीय लोगों की संगोष्ठी में ले गए थे। उनका कहना है कि मैंने कांग्रेस को हाशिए में ला दिया है। मैंने वित्त मंत्री जी को कहा कि कम से कम 250 आवासीय स्कूल खोले जाएं। क्या यही पाप मैंने किया है जिसके लिए वे मुझे सज़ा देना चाहते हैं।

मैंने श्री नरसिम्हा राव जी को कहा कि जब भी उन्हें लगे कि उनकी पार्टी सही स्थिति में है तो वे मुझे कह सकते हैं और मैं उन्हें त्याग पत्र दे दूंगा। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था। वे इस समय सदन में भी बैठे हैं। मैंने श्री केसरी जी को भी कहा था कि वे बार-बार सहयोग वापिस लेने की बात न करें; जब भी उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी सत्ता में आने की सही स्थिति में है तो वे मुझे कह सकते हैं और मैं उन्हें त्याग पत्र दे सकता हूं। परन्तु वे मेरे विरुद्ध इस प्रकार का आरोप क्यों लगाते हैं? वे मुझसे यह कह सकते थे, "श्री गौड़ा जी, हम समर्थन वापिस लेना चाहते हैं"। अगर उन्होंने एक भद्र पुरुष की तरह कहा होता तो मैं अपने सदस्यों से इस मामले को आगे न बढ़ाने के लिए कहता और हम इस अध्याय को यहीं समाप्त कर देते।

सबसे पहले यह बताइए क्या मैंने उनका समर्थन मांगा था? उन्होंने 12 तारीख को, कांग्रेस (आई) कार्यकारी समिति ने बिना किसी के कहे और बिना किसी के अनुरोध के स्वयं ही एक निर्णय ले लिया था, हमें सहयोग देने का निर्णय ले लिया था। उस दिन उन्होंने राष्ट्र को बताया कि वे किसी जातीय दल को सत्ता में आने की अनुमति नहीं देंगे। परन्तु आज उन्होंने क्या किया? उनके निर्णय का क्या परिणाम है?

अब वे एक नए नेता की तलाश कर रहे हैं। क्या आप संयुक्त मोर्चा सरकार को विभाजित करना चाहते हैं? जब वे मुझसे कांग्रेस पार्टी को विभाजित न करने की बात कहते हैं तो उनका यह नैतिक अधिकार कैसे हो जाता है कि वे मेरी संयुक्त मोर्चा सरकार को विभाजित करें? वे सीधे यह कह सकते हैं कि इसी स्थिति के कारण ऐसा कर रहे हैं। हां, श्री वाजपेयी जी ने कहा था कि हम चुनाव करवाएंगे। इसके लिए कौन जिम्मेवार है। अगर उनमें नैतिक साहस होता तो उन्हें यह बात इस सदन में कहनी चाहिए थी। उन्हें गंदी राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। क्या वे हरेक से अलग-अलग संपर्क करना चाहते हैं? वे कहते हैं कि अब संयुक्त मोर्चा सरकार का पतन हो गया है और वे इसके हरेक सदस्य को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे; वे उन्हें एक चुंबकीय शक्ति की तरह आकर्षित करना चाहते हैं, मान लो संयुक्त मोर्चा सरकार उस चुंबकीय शक्ति से आकर्षित होने के लिए तैयार ही हो।

अगर उनमें नैतिक साहस है तो हम लोगों के सामने जाने तथा उनकी बात मानने को तैयार हैं। वे उन्हें बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। वे उन्हें बता सकते हैं कि देवेगौड़ा की सरकार एक धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं है। यह अक्षम सरकार है। वे लोगों के पास जा सकते हैं। वे नए नेता का चुनाव क्यों करना चाहते हैं? वे आज खोज कर रहे हैं मान लो उन्हें रक्षा मंत्री में कोई नया गुण दिख गया हो।

क्या आपने मेरे रक्षा मंत्री में नए गुण देखे हैं? आप हमें तोड़ना चाहते हैं। यह संभव नहीं है। हम आपकी रणनीति समझ गए हैं। यह एक राजनैतिक रणनीति है। हम इसको समझ चुके हैं।

हमें पूरे दिल से यह बात मान लेनी चाहिए कि आपने गलती की है। अगर मैंने कोई गलती की है तो लोग मुझे सज़ा दे सकते हैं। मैं इस देश के लोगों के अंतिम राजनैतिक फैसले को सुनने के लिए तैयार हूं। हां, मैं बार-बार चुनाव करवाने से होने वाले वित्तीय भार को समझ सकता हूं। मैं यह समझ सकता हूं कि इससे होने वाली वित्तीय देयता क्या होगी। परंतु यह मुद्दा थोपा गया है। आपने इस मुद्दे के द्वारा हमें चुनाव करवाने के लिए मजबूर कर दिया है। हम चुनाव नहीं करवाने वाले थे। अब आप मुझे एक अक्षम और!एक ऐसा प्रधानमंत्री कहकर फांसी देना चाहते हैं जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास न रखता हो। तो, ठीक है। परंतु आप किसी अन्य व्यक्ति की खोज करना चाहते हैं।

मैं श्री बाला साहेब ठाकरे से मिला हूं। श्री अंतुले जी आपने कहा था कि मैं उनके राजदूत के रूप में काम करने वाला हूं। श्री वाजपेयी जी मैं भी एक राजनैतिक भाषण दे सकता हूं। आप हमें यह बताना चाहते हैं कि किसी गठबंधन सरकार में कैसे काम किया जाता है? मैं कह सकता हूं कि एक वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार का क्या हुआ? राजनैतिक नैतिकता की बात मत कीजिए। इस देश की प्रत्येक राजनैतिक पार्टी सत्ता में आने के लिए अधिक उत्सुक है।

हां, मैं कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ा था। मैं कोई राजनैतिक सन्यासी नहीं हूं। परंतु मैंने कभी इस पद पर आने के लिए कभी आकांक्षा नहीं की थी। मैं सच्चाई नहीं छिपाना चाहता। अगर आप सभी निष्ठावान हों तो कोशिश करके देख लें।

हम एक राजनैतिक ताकत हैं। हममें से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्या जनता दल एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्या सी.पी.आई. एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्या सी.पी.आई. (एम.) एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका चार-पांच राज्यों में प्रभाव है। बादल ग्रुप के बिना पंजाब में भाजपा की स्थिति क्या है? श्री चन्द्र शेखर जी कृपया बताइए कि वास्तविकता क्या है? आप अपने निष्ठावान मित्रों को बताना चाहते हैं। परंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम सभी वर्गों से संपर्क कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको इतना लगाव है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर मेरे भाग्य में होगा कि मैं भारतीय राजनीति की धूल से फिर उठूं तो मैं दुबारा इसी ताकत से वापिस आऊंगा। मैं यही साबित करना चाहता हूं।

मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं डरता जो धौंस वाली राजनीति का खेल खेलना चाहता है। मैं बाहर से बहुत ही नम्र व्यक्ति हो सकता हूं परंतु जब मैं लड़ाई शुरू करता हूं तो मैं दिखा देता हूं कि मैं क्या हूं, जैसा कि मैंने कर्नाटक में दिखाया था। अब, मैं यह दिखाना चाहता हूं कि देवेगौड़ा संयुक्त मोर्चा के सहयोग के साथ क्या है? कोई इसमें दरार डालना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इसमें दरार आ जाती है तभी वे आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि वे ही एकमात्र वैकल्पिक पार्टी हैं। परंतु हम उन्हें दरार नहीं डालने देंगे। आप भी इकट्ठा होइये और लड़िये। श्री राजेश पायलट जी, अगर एक निष्ठावान पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आप रक्षा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपसे पूछ रहा था कि आपने जो मुझे पत्र लिखा है वह क्या था? मुझे पता है कि आपके पास वह कहने का साहस है और आपने वह कहा था परंतु मैं उसके ब्यौरे जानना नहीं चाहता।

अब सवाल यह है कि किन परिस्थितियों में मैं प्रधानमंत्री बना था। एक तरफ सी.बी.आई. की जांच चल रही थी।

एक तरफ सी.बी.आई. की जांच चल रही थी।

*** *** ***[3]

श्री जार्ज फर्नांडीज बैठे हुए हैं। वे मेरे पुराने मित्र हैं। आज मैं सोच रहा था कि आप बोलेंगे, परंतु आपने श्री नीतीश कुमार जी को बोलने का मौका दे दिया। आप अपने पुराने मित्र की आलोचना नहीं करना चाहते। कम से कम आपने इतनी शिष्टता तो दिखाई।

एक तरफ तो एन्फोर्समेंट निदेशालय है। आज न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि जांच एजेंसी न्यायालयों को सीधे रिपोर्ट करें। अगर किसी को मुझ पर संदेह है तो मैं क्या कर सकता हूं? श्री संतोष मोहन देव जी मुझे सलाह दें। एक तरफ जनसंचार माध्यम कहता है कि देवेगौड़ा जी श्री नरसिम्हा राव के घर में 28 बार गए, देवेगौड़ा जी भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के घर आधी रात, 2 बजे गए थे। पिछले दस महीनो में मुझे यह सभी बातें सुनकर बड़ा आनन्द आया।

आपके समर्थन वापिस लेने से मुझे कोई दुःख नहीं है। परीक्षाकाल समाप्त होने के पश्चात् हम अपने विचारों के आदान-प्रदान के लिए केंद्रीय कक्ष में मिलेंगे। पहले तीनों दलों की परीक्षा हो जाए।

सभी 21 तारीख को लेखानुदान और वित्त विधेयक पारित करने पर सहमत हो गए। इन दस दिनों में कोई राजनैतिक दिखावा न करें। ऐसा करने की कोशिश भी न करें। मैं भी उन्हें वचन दूंगा कि उनकी कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया।

इस देश के प्रधानमंत्री को, चाहे कोई भी हो, एक बार उसके पद की मान और मर्यादा चली जाए तो उसे किसी की दया पर प्रधानमंत्री बने नहीं रहना चाहिए। हमें अब और क्या चर्चा करनी है। श्री गुजराल जी आप किस साहस के साथ बाहर जाना चाहते हैं? कोई आपकी ओर उंगली उठा रहा है। आप वरिष्ठतम नेता हैं। मैं यह बात स्वीकार करता हूं पर इन परिस्थितियों में नहीं।

इस देश के प्रधानमंत्री की जो 95 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जब वह बाहर जाता है तो उसका देश के प्रधानमंत्री के रूप में कुछ मान-सम्मान होना चाहिए न कि इस तरह का पट्टे पर दिया गया जीवन, मैं ऐसा नहीं चाहता। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने सारे सहयोगियों से अपील करता हूं कि मैंने आपके साथ विश्वासघात नहीं किया है। मैंने देश के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया है। पिछले दस महीनों में मैंने अपनी सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी भी मामले का आरोप नहीं लगने दिया। लोगों के सामने पूरे साहस और विश्वास के साथ जाइए। पैसा ही कोई मापदंड नहीं है। मैंने इन दस महीनों में किसी उद्योगपति से किसी तरह का कोई घोटाला करने को नहीं कहा।

मुझे विश्वास है। मुझे भाग्य में विश्वास है।

अंत में, मैं गीतांजलि से उदाहरण देना चाहूंगा। मैं पहली बार उद्धरण दे रहा हूं। श्री चिदंबरम जी ने तमिल में हमेशा थिरूकुराल का उद्धरण दिया है।

यह गीतांजलि से है।

"लीव दिस चैंटिंग एण्ड सिंगिंग एण्ड टेलिंग आफ बीड्स !

हूम दो दाओ वर्शिप इन दिस लोनली डार्क कॉर्नर आफ ए टेम्पल विद डोर आल शट?

ओपन दाइन आइज़ एण्ड सी दाए गॉड इज नोट बिफोर दी।"

भगवान इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

*** *** ***[4]

"वह वहां है जहां किसान सख्त जमीन खोद रहा है और जहां रास्ता बनाने वाला पत्थर तोड़ रहा है। वह धूप और वर्षा में उनके साथ हैं और उसके कपड़े धूल से सने है। अपना धार्मिक लबादा उतार दो और उसकी तरह धूल वाली जमीन पर उतर आओ।"

इस सरकार ने कई योजनाएं शुरू करके लोगों का ख्याल रखा है। मैं भगवान को नहीं देख सकता। मुझे वह आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिली है। मैं एक साधारण सा मानव हूं। मैं भगवान को अपने लोगों के माध्यम से देख सकता हूं जो इस देश में सबसे अधिक पीड़ित हैं। मेरा सिद्धांत 'जनता जनार्दन' है। मैं इसी के लिए काम करूंगा। वे किस तरह के लोग हैं?

"अपनी साधना से बाहर आओ और अपने फूलों और अगरबत्ती को अलग रख दो। क्या होगा अगर तुम्हारे कपड़े फट जाएं और गंदे हो जाएं? उससे मिलो और खेती में उसके साथ रहो और अपना पसीना बहाकर देखो?"

यह मेरी धारणा है। मैं औरों को प्रलोभन नहीं देना चाहता। मेरे पूरे जीवन का उद्देश्य उन लोगों की सेवा करना रहा है जिन्हें पिछले 50 वर्षों से अनदेखा किया गया है। श्री चन्द्रशेखर जी ने पदयात्रा की थी। उन्हें इस सदन में बजट प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई

थी। उन्होंने 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। परंतु मैंने अपना मौका नहीं खोया। मैं जानता था कि मेरे ऊपर तलवार लटक रही है। जो कुछ मैं हूं मैं उसे साबित करना चाहता था। यह सब मेरे साथी, वित्त मंत्री जी के सहयोग से साबित किया जा चुका है और मैंने इसी प्रकार किया है। इसको लागू किया जाना इस सदन का काम है। अगर प्रत्येक सहयोग करेगा, जैसा कि उन्होंने वित्त विधेयक पारित करने पर अपनी सहमति दी है तो मैं आभारी रहूंगा।

मैं आप सभी का और इस देश का फिर एक बार धन्यवाद करता हूं। जब इस मुद्दे को जल्दबाजी में निर्णय लेकर लागू किया था तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। देश बोल रहा था। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमने सारी समस्याओं का समाधान नहीं किया है। हम दस महीनों के समय में कुछ करना चाहते थे। कम से कम देश ने संभावित स्थिरता महसूस करनी शुरू कर दी थी। देश आगे बढ़ने वाला ही था परंतु दुर्भाग्य से ऐसा हो गया है।

इसके अलावा इस सरकार का विश्वास निवेशकों में बनाए रखने के लिए पिछले साल 30 दिसंबर को हमने सभी उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था। हमने वित्तीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। मैं मुंबई गया था। मैं निवेशकों से मिला था। उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री वहां थे। दस महीनों के दौरान इस सरकार के प्रशासन में मैंने कोई भेदभाव नहीं किया था। मैंने सभी परियोजनाओं को पूरा किया, चाहे कोई राज्य हो या देश में कोई राजनैतिक दल। पिछले दस महीनों में लगभग 500 परियोजनाएं पूरी की गईं जिसमें लगभग सात बिलियन डॉलर खर्च हुआ।

क्या यही पाप मैंने किया है। दस महीनों में हमने 118 नई चीनी मिलों को लाइसेंस दिए। मैं कई ऐसे फैसलों का उदाहरण दे सकता हूं जिनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि यह देश अब अपनी दुर्दशा से बाहर आए और देश की प्रगति में तीव्रता आए। इसी पृष्ठभूमि के साथ हमने निर्णय लिया है।

महोदय, मैं एक बार फिर कांग्रेस (आई) सहित सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इन दस महीनों में मुझे कुछ करने के लिए सहयोग किया।

मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था। परंतु भाग्य मुझे यहां ले आया है। मैं संतुष्ट हूं। इन दस महीनों के दौरान मैंने अपने लोगों, अपने देश और यहां तक कि अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात नहीं किया है। महोदय, आज आपके सहयोग से और इस पूरे सदन के सहयोग से जो कुछ सेवा मैं कर सकता था वह सेवा मैंने इन दस महीनों में की है।

मैं जनसंचार माध्यम से जुड़े लोगों को भी अपना धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस (आई) द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार से समर्थन वापिस लेने के बाद क्षेत्रीय समाचारपत्रों सहित सभी समाचार पत्रों ने इस सरकार की उपलब्धियों का कम से कम सही चित्रण करने की कोशिश की है।

इसलिए, मैं संचार माध्यम से जुड़े इन लोगों को अपना आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय जी इन दस महीनों में मुझे पूरा सहयोग देने के लिए मैं आपका और प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूं।

अंत में, विश्वास प्रस्ताव के संबंध में विवेक के साथ कोई निर्णय लेना इस सदन का काम है।

पश्च टिप्पण

XX. मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, 11 अप्रैल, 1997

1. **श्री पी. आर. दासमुंशी** : प्रधानमंत्री जी, आपने उस समय धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने का प्रयत्न नहीं किया।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : आपको पता नहीं है। इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं।

मैं सभी बातों का खुलासा नहीं करना चाहता क्योंकि यदि मैं सभी बातों को विभिन्न अवस्थाओं में मैंने क्या किया, कहते हुए बताऊंगा तो यह मेरी दृष्टि में अनैतिक होगा।

श्री पी. आर. दासमुंशी : मैंने पूरी तरह से आपको दोषी नहीं ठहराया है।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : श्री पटवा, कृपया मुझे बीच में मत टोकिए।

2. **श्री माधव राव सिंधिया (ग्वालियर)** : आप बहुत ही सज्जन आदमी हैं। लेकिन चूंकि आपने मेरा नाम लिया है तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरा आपके साथ बहुत ही अच्छा तालमेल रहा है। लेकिन मैं आपके पास आपको शिष्टाचार के नाते बताने आया था कि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं। मैंने आपकी अनुमति नहीं मांगी थी।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : इसमें मेरी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप आए थे और आपने यह बात बताई तो, आपने राजनैतिक मूल्यों और उनकी गरिमा को बनाए रखा। उस समय आप संयुक्त मोर्चे में थे और आप आए और मुझे इसकी सूचना दी। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था: "कृपया जाइए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाइए मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।" क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था?

श्री माधवराव सिंधिया : मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जब इसकी सूचना आपको दी थी, आपने कहा था, "जरूर, निश्चित रूप से।"

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : धन्यवाद।

3. **कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़)** : कौन सी जांच?

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : कई मामले हैं। मैं उनके ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। मेरे पास सभी ब्यौरे हैं। मैंने किसी भी मामले की जांच के लिए सी.बी.आई. को आदेश नहीं दिया है। मैंने पिछले दस महीनों के दौरान किसी भी राजनेता के विरुद्ध किसी भी मामले का आदेश नहीं दिया है। ये सभी पिछले मामले थे।

कर्नल राव राम सिंह : प्रधानमंत्री, श्री राजेश पायलट के उस पत्र में क्या है?

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : मैं प्रत्येक मामले के ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। मैं इस माननीय सदन को और इस सदन के माध्यम से राष्ट्र को यह बताना चाहता हूं कि पिछले दस महीनों में मैंने किसी के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया, या कोई जांच नहीं करवाई या सी.बी.आई. द्वारा जांच नहीं करवाई। परंतु मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मैं केवल इतना कह सकता हूं

कि मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। सदन को यही आशा रही है। अपने मुख्यमंत्री काल में भी मैंने किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। इससे मेरी अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है। सभी बातें ठीक हो रही हैं या नहीं मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे साफ सुथरी छवि पेश करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी से किसी ने सी.बी.आई. की जांच के बारे में मुझसे नहीं पूछा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं।

30, 30, 30, ये 30 क्या है? कुछ अखबारों में इसे 4, 4 और 30 लिखा गया है। 4 और 30

अध्यक्ष महोदय : यह 4 क्या है?

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : जब मामला न्यायालय में है तो मैं कोई ब्यौरे नहीं देना चाहता। मैं इस स्थिति में कुछ नहीं कहूंगा। चूंकि यह मामला न्यायालय के समक्ष है इसलिए मैं न्यायालय के इस मामले पर कोई विवरण या ब्यौरे नहीं देना चाहता। उससे पहले तो सरकार ही चली जाएगी। मैं क्या कर सकता हूं? किन परिस्थितियों में मुझे प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा गया है?

जब मैं श्री नरसिम्हा राव जी से मिलने गया तो उन्होंने कहा, "आपने बहुत बड़ा काम स्वीकार किया है। यह बहुत कठिन काम है"। यह उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा था। उन्होंने यह सलाह दी थी मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे सहयोगी दलों द्वारा कोई समस्या नहीं है। हां, चाहे एकजुट रहने की जिज्ञासा नहीं है, मैं भी सहमत हूं। यह भी एक आरोप है। मंत्रियों के बीच एकजुट रहने की प्रवृत्ति नहीं है। क्या पिछले पांच वर्षों में उनके बीच ऐसी प्रवृत्ति थी, श्री राजेश पायलट जी?

श्री राजेश पायलट : मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : आप गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं इस बारे में यहीं बात समाप्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी ने भी वह टिप्पणी की थी। मैं इसे स्वीकार करता हूं। अगर उस उच्च पद पर आसीन होकर वे ऐसा कहते हैं तो हमें अपने सिर झुकाने पड़ेंगे। उन्होंने मुझे सलाह दी थी। अगर एक पार्टी में आपको ऐसी बातें दिखाई देती हैं तो मुझे तो 13 पार्टियां संभालनी पड़ती हैं। आपको कुछ छूट तो देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

4. **अध्यक्ष महोदय** : श्री गढ़वी जी, आपको अपना ज्ञान दिखाने की कोई जरूरत नहीं।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : माननीय सदस्यों मैं केवल अपने लिए ही बोल रहा हूं।

कृपया इंतजार करें। इतनी जल्दी न मचाएं।